खण्ड-392, अंक-1
शुक्रवार, 10 चैत्र, शक संवत् 1911
(31 मार्च, 1989 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 392 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
राज्यपाल मंत्रि-परिषद् तथा नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी एवं अधिष्ठाता मण्डल	घ--छ
उपस्थित सदस्य	ज
जनपद गाजीपुर के मरदह ब्लाक में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूखा राहत के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की मजदूरी का भुगतान न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1
जिला बहराइच के विकास खंड नबाबगंज के माधोपुर ग्राम के सम्पर्क मार्गों का निर्माण मास्टर रोल के आधार पर कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	2
जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में ग्राम नगौला के कादराबाद नाले पर पुल के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	2
जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बाराचवर एवं कासिमाबाद के अन्तर्गत बनायी गयीं जहूराबाद--मुबारकपुर मार्ग को पक्का कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	2
जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बाराचवर में भीखम अमहट से केरारी महूदपुर एवं अमहट से तिराहीपुर तक के पहुंच मार्ग को पक्का कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	3
जनपद ललितपुर की भूमि की बढ़ी हुई दर को पूर्व पुनरीक्षण वर्ष 1987 के अनुसार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	3
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1989 (सदन को सूचना)	4
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1989 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	4
जनपद नैनीताल, लालकुआं की कंकरीट एवं स्टोन क्रसिंग औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति को रेता बजरी की छनाई हेतु गोला नदी (लालकुआं) का प्लाट आवंटित करने विषयक याचिका (उपस्थित की गई)	4
जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड व तहसील घाटमपुर के ग्राम घरछुआ में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने तथा जनपद कानपुर देहात के विकास खंड व तहसील घाटमपुर के ग्राम सिधौल में बालिका जूनियर हाई स्कूल खोले जाने विषयक याचिका (उपस्थित की गई)	4
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निधारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	5
वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 11--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या 12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (जारी)	5
राज्यपाल दीर्घा से सदन में पर्चा फेंके जाने के संबंध में जानकारी	31
वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-- अनुदान संख्या 11--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या 12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत)	31

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 46 प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 63-विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग, अनुदान संख्या 85-सांस्कृतिक कार्य विभाग, अनुदान संख्या 88 सूचना विभाग (स्वीकृत) .. 70

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 40 नियोजन विभाग अनुदान संख्या 20 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) अनुदान संख्या 21-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत) 86

अनुदान संख्या 30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) 87

अनुदान संख्या 38-नागरिक उड्डयन विभाग 87

अनुदान संख्या 39 नियुक्ति विभाग 88

अनुदान संख्या 41-निर्वाचन विभाग 88

अनुदान संख्या 42-न्याय विभाग 89

अनुदान संख्या 45 प्रशासनिक सुधार विभाग 89

अनुदान संख्या 54-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) 89

अनुदान संख्या 55-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) 90

अनुदान संख्या 56 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) .. 90

अनुदान संख्या 57-वित्त विभाग (राज्य लाटरी) 91

अनुदान संख्या 58 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) .. 91

अनुदान संख्या 59 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) 91

अनुदान संख्या 60-विधान परिषद् सचिवालय 92

अनुदान संख्या 61-विधान सभा सचिवालय 92

अनुदान संख्या 78-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) 92

अनुदान संख्या 79-संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) 93

अनुदान संख्या 81-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) .. 94

अनुदान संख्या 82-सचिवालय प्रशासन विभाग 94

अनुदान संख्या 83-सतर्कता विभाग 94

अनुदान संख्या 87-सार्वजनिक उद्यम विभाग [अनुदान 38 लगायत 87 (स्वीकृत)] 95

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1989 ।.. (स्वीकृत) 95

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 106

जनपद सुल्तानपुर की तहसील अमेठी के परगनाधिकारी के व्यवहार से क्षुब्ध अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य 106

हापुड़ में व्यापारियों पर पुलिस द्वारा निर्मम लाठी चार्ज तथा उसमें कई व्यक्तियों के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य 107

मद सं0 17 से संबंधित प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ0प्र0 .. कार्यालय के कनिष्ठ लिपिक/टंककों की नियुक्तियों में अनियमितता पर लगे वक्तव्य का स्थगन .. 108

कृषि विभाग के अनुदानों की मांगों पर चर्चा के मध्य राज्यपाल दीर्घा से सदन में पर्चा फेंके जाने वाले व्यक्तियों को दण्डित किये जाने का प्रस्ताव (संशोधित प्रस्ताव स्वीकृत) 109

जनपद बुलन्दशहर की अनूपशहर तहसील में नरौरा के निकट उजाड़े गये गांवों को पुनः न बसाये जाने विषयक सूचना के संबंध में वक्तव्य .. 114

प्रदेश में शीतगृह मालिकों द्वारा आलू उत्पादकों को सड़े हुए आलू का मुआवजा न दिय जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा .. 117

उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधियों को सरकार द्वारा नियंत्रित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक चर्चा का स्थगन .. 122

राज्यपाल

श्री मुहम्मद उस्मान आरिफ

मंत्रि–परिषद्

1—श्री नारायण दत्त तिवारी, मुख्य मन्त्री ।	..	सामान्यप्रशासन, आवास, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योग, पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान, पर्वतीयविकास, नागरिक उड्डयन, वित्त, सांस्कृतिक कार्य, सूचना, पूर्त धर्मस्व, आबकारी एवं मद्य निषेध, उद्योग ।
2—श्री बलदेव सिंह आर्य	..	नगर विकास मंत्री ।
3—श्री लोकपति त्रिपाठी	..	सिचाई मन्त्री ।
4—श्री अजीत प्रताप सिंह	..	वन मंत्री
5—श्री नरेन्द्र सिंह	..	ऊर्जा एवं बीस सूत्री कार्यक्रम मंत्री ।
6—श्री अम्मार रिजवी	..	सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री ।
7—श्री गोपी नाथ दीक्षित	..	जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री ।
8—श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी	..	शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री ।
9—श्री श्याम सूरत उपाध्याय	..	ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री ।
10—श्री सईदुल हसन	..	श्रम एव मुस्लिम वक्फ मंत्री ।
11—श्रीमती सुशीला रोहतगी	..	गृह मंत्री ।
12—श्री अरुण कुमार सिंह	..	दुग्ध विकास, पशुधन एवं मत्स्य मंत्री ।
13—श्री हुकुम सिंह ..	..	खाद्य एवं रसद मंत्री ।
14—श्रीमती बेनी बाई	..	लघु एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री ।
15—श्री रघुबीर सिंह यादव	..	नियोजन मंत्री
16—श्री कृष्णवीर सिंह कौशल	..	कृषि मंत्री ।
17—श्री माता प्रसाद	..	राजस्व

राज्य मन्त्री

1—श्रीमती दीपा कौल	..	हरिजन एवं समाज कल्याण
2—श्री ओम प्रकाश रिछारिया	..	1—न्याय एवं विधायिका, वित्त, संस्थागत वित्त, बिक्रीकर, मनोरंजन कर, पंजीयन, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क
3—श्री संकठा प्रसाद शास्त्री	..	गन्ना विकास एवं गृह ।
4—श्री मानपाल सिंह	..	जेल, होमगार्डूस, नागरिक सुरक्षा एवं राजनीतिक पेंशन

3--श्री समर पाल सिंह	..	सहकारिता
6--श्री प्रमोद तिवारी	..	परिवहन
7--श्री मुईद अहमद	..	सिंचाई
8--श्री नरेश चन्द्र	..	नगर विकास, सूचना एवं संसदीय कार्य
9--श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान	..	शिक्षा
10--श्री बिहारी लाल दोहरे	..	स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिशु कल्याण एवं महिला कल्याण ।
11--श्री चेतराम गंगवार	..	बीस सूत्री कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योग, परिस्थिति विज्ञान एवं पर्यावरण ।
12--श्री सीताराम निषाद	..	राजस्व, प्रांतीय विकास दल एव राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री
13--श्री जगदम्बिका पाल	..	शिक्षा, वन एवं संसदीय कार्य
14--श्री शिव बालक पासी	..	कृषि
15-श्री गौरी शंकर	..	नियोजन, ग्राम्य विकास एवं प्रोटाकाल
16--श्री सईदुज्जमा	..	गृह
17--श्री राम औतार दीक्षित	..	ऊर्जा
18--श्री गुलाब सिंह	..	पर्यटन एवं पर्वतीय विकास
19--श्री कोकब हमीद	..	ऊर्जा एवं खाद्य तथा रसद
20--अजीत सिंह सेठी	..	शिक्षा एवं नगर विकास
21--श्री बृजेन्द्र पाल सिंह यादव	..	श्रम एवं दुग्ध विकास
22--श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा	..	सार्वजनिक निर्माण
23--श्री श्रीनाथ सिंह	..	आवास, जल संपूर्ति एवं क्षेत्रीय विकास

उप मंत्री

1--श्रीमती हितेष कुमारी	..	सिंचाई
2--श्री निसार हुसैन	..	लघु उद्योग एवं गन्ना
3--श्रीमती प्रमिला बद्धवार मेहरा	..	परिवहन, पर्यटन एवं सांस्कृतिक कार्य
4--श्री शैलेन्द्र कुमार	..	हरिजन, समाज कल्याण एवं वन
5--श्रीमती रीना कुमारी	..	ऊर्जा
6--श्री राम दुलार यादव	..	बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं सहकारिता

नेता विरोधी दल

श्री सत्यपाल सिंह

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री नियाज हसन

उपाध्यक्ष

श्री त्रिलोक चन्द्र

सचिव

श्री भालचन्द्र शुक्ल

अधिष्ठाता मण्डल

1--श्री खान गुफरान जाहिदी, सदस्य, विधान सभा (फतेहपुर)
2--श्री राम सकल तिवारी, सदस्य, विधान सभा (देवरिया)
3--श्री कर्नल केशरी सिंह, सदस्य, विधान सभा (बस्ती)
4--श्री मनहरण नाथ कौल, सदस्य, विधान सभा (बहराइच)
5--श्री भगवती सिंह विशारद, सदस्य, विधान सभा (उन्नाव)
6--श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा (गोण्डा)
7--श्री राजेन्द्रकुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा (सीतापुर)
8--श्री रघुवर दयाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा (आगरा)
9--श्री राम शरण दास, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर)
10--श्री कौशिक, रमाशंकर सदस्य, विधान सभा (मुरादाबाद)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 10.02 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:-

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल	मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
अकबर यू0 अहमद, श्री	बस्ती	मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
अमर नाथ सिंह, श्री	फतेहपुर	महाराज सिंह, चौधरी	इटावा
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	महेन्द्र भाटी, श्री	गाजियाबाद
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	मानपाल सिंह एडवोकट, श्री	एटा
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
अशरफ इमाम, श्रीमती	मिर्जापुर	मोहम्मद हयात, हाजी	मुरादाबाद
अशोक सेहरा, श्री	आगरा	रफीक अहमद (उर्फ रफ्फन), श्री	बरेली
आर0 एन0 पाठक, श्री	कानपुर	राजितप्रसाद यादव, श्री	वाराणसी
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
कनक सिंह, श्री	गाजियाबाद	राज़ेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
कमाल अहमद रिजवी, श्री	खीरी	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	राजेश कुमार खैरा, श्री	ललितपुर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	रिछपाल सिंह बंसल, श्री	मेरठ
किशन लाल, श्री	पीलीभीत	विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
गंगा स्वरूप मटनागर, श्री	सीतापुर	वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	कानपुर
गोपाल राम दास, श्री	अलमोड़ा	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
जगवीर सिंह, श्री	अलीगढ़	शैलेन्द्र कुमार, श्री	इलाहाबाद
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	श्यामसूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	सतीश चन्द्र, श्री	आगरा
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर	सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ	सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	फैजाबाद
पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर	सुरेश चन्द्र, श्री	नैनीताल
फजलुल बारी, श्री	गोण्डा	सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
फजले मसूद, श्री	देवरिया	सैयद अली अशरफी, श्री	पीलीभीत
बलदेव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
बाबू सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद	हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
भगौती सिंह, श्री	लखनऊ	हितेश कुमारी, श्रीमती	बुलन्दशहर
मंगलदेव, श्री	गोण्डा		

जनपद गाजीपुर के मरदह ब्लाक में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 301 के अन्तर्गत 38 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 7 सूचनाओं को स्वीकार किया गया है। जिन माननीय सदस्यों को सूचनायें स्वीकार हुई हैं उनक नाम इस प्रकार हैं:--

1--श्री मुस्तमन्द अली खां
2--श्री गौरी शंकर भइया
3--श्री देवता दीन
4--श्रीमती विमला सिंह
5--श्री महावीर सिंह राणा
6--श्री सरजू प्रसाद सरोज
7--श्री देवेन्द्र कुमार सिंह

इन सभी सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाय ?

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

श्री मुस्तमन्द अली खां--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में जनपद गाजीपुर के क्षेत्र मरदह में छात्राओं के लिये एक राजकीय हाईस्कूल खोले जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस स्थान पर एक राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल है। इस विद्यालय को उच्चीकृत करके हाईस्कूल खोले जाने का प्रस्ताव किया गया था। इस संबंध में स्थानीय प्रतिनिधि ने कई बार लिखित रूप से संबंधित जिलाधिकारी एवं शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी दिया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस क्षेत्र से कई हजार छात्राएं प्रति वर्ष जू0 हाईस्कूल के बाद शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती क्योंकि इस स्थान से 20 किलोमीटर की दूरी पर छात्राओं का हाईस्कूल तक का विद्यालय है। इसलिए इस क्षेत्र की लाखों जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। कई बार धरना एवं प्रदर्शन भी किया गया।

अतः आपसे प्रार्थना है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि मरदह में राजकीय कन्या विद्यालय खोले जाने की शीघ्र व्यवस्था की जाय। जिससे अभिभावक अपने छात्राओं को हाईस्कूल तक शिक्षा अर्जित करा सकें।]

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूखा राहत के अन्तर्गत कराये गये कार्य की मजदूरी का भुगतान न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरी शंकर भइया--

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश मे गत वर्ष सूखा राहत योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अधिकांश जिलों में सड़क आदि के रूप में मिट्टी का कार्य कराया गया था। इसमें रुपा और चावल के रूप में मजदूरी का भुगतान होना था, साल भर बीत जाने के बाद भी अन्न के रूप में होने वाला भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

इस प्रकार बलिया समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों के ग्रामीण मजदूरों का करोड़ों रुपये मूल्य के अन्न का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर रही है इससे सदन की भावना को ठेस पहुंची है।

उपरोक्त लोकमहत्व के प्रश्न को विधान सभा में उठाने की माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा चाहता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला बहराइच के विकास खण्ड नबाबगंज के माधोपुर ग्राम के सम्पर्क मार्गों का निर्माण मस्टर-रोल के आधार पर कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवतादीन---

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलखित लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

जनपद बहराइच के विकास खंड नबाबगंज के ग्राम-माधोपुर, नदौना, शिवपुर, मोहनिया; निघनगर, पोसरा में सम्पर्कमार्गों का निर्माणठकेदारों द्वारा कराकर 20 सूत्रीय कार्यक्रम की नीति के विरुद्ध स्थानीय श्रमिक वर्ग में मजदूरों के प्रति अन्याय किया जा रहा है। उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण मस्टररोल के आधार पर न कराकर सरकार के 20 सूत्री कार्य की नीति के विरुद ठेकेदार द्वारा कराये जाने पर स्थानीय जनता को मजदूरी से बंचित किया जा रहा है। यह भी बताना चाहता हूं कि उक्त कार्यों को विकास खण्डों के स्वीकृत धन प्राप्त होने के पूर्व ही ठेकेदारों पर आरम्भ करा दिया गया। इस प्रकार की अनियमिता से स्थानीय जनता में रोष एव क्षोभ व्याप्त है।

सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है की स्थानीय मजदूरों के प्रति उदारतापूर्ण नीति को अपनाने के ध्येय से उक्त कार्य को मस्टररोल की प्रथा की अनुसरण करके पूरा करवाया जाय। साथ ही इस विषय को सदन के संज्ञान में लाकर स्थनीय जनता के अधिकारों का हनन करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की माँग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में ग्राम नगौला के कादराबाद के नाले पर पुल के निर्माण के सबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला सिंह---

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अत्यन्त महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र मोदी नगर जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत विकास खंड भोजपुर में ग्राम अमीपुर नगौला के निकट कादराबाद नाले के मील 13 पर पुल का निर्माण न होने से लगभग बीस ग्राम सभा के निवासियों के आवागमन की असुविधा होती है। इस नाले में गर्मी के दिन में भी पानी रहता है। बच्चे इस नाले के पानी में होकर ही स्कूल जा सकते हैं। इस नाले के पानी से होकर गूजरने से आदमियों को और विशेष रूप से बच्चों को चर्म रोग भी हो गया है। बरसात में तो इतना अधिक पानी हो जाता है कि आवागमन बंद हो जाता है। इस स्थान पर पुल निर्माण को लेकर कई बार क्षेत्रीय जनता ने उग्र प्रदर्शन के रूप में अपना आक्रोश भी व्यक्त किया है। जनता में बड़ा ही आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है।

अस्तु मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के नियम की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थान पर जनहित में पुल का शीघ्र निर्माण कराने की मांग करती हूं।]

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बाराचंवर एवं कासिमाबाद के अन्तर्गत बनायी गयी जहूराबाद मुबारकपुर मार्ग को पक्का कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना---

श्री महावीर सिंह राणा---

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में जनपद गाजीपुर के विकास खंड बाराचवर कासिमाबाद के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी बाराचवर से जहूराबाद, मुबारकपुर

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(मंगोली) 10 कि0 मी0 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं यह सड़क सेक्टोरल, आर0एल0ई0 जी0पी0 द्वारा स्वीकृत की गयी इस मार्ग में मुबारकपुर से जहूराबाद तक सा0नि0वि0 द्वारा मिट्टी पुलिया खड़ंजे तक बनवाया गया और बाराचवर से जहूराबाद तक आर0ई0एस0 से निर्माण कराया गया जो बहुत ही खराब स्तर का है। इस पूरे मार्ग को सा0नि0वि0 द्वारा बनवाया जाने के लिए स्वीकृति दी गयी थी शेष भाग को बाराचवर से जहूराबाद को आर0ई0एस0 से सा0नि0वि0 में स्थानान्तरित करके बनावाया जाय इस संबंध में क्षेत्र के प्रतिनिधि ने लिखित रूप से संबंधित अभियंताओं को ज्ञापन दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई इस मार्ग पर मिट्टी बहुत कम मात्रा में डाली गयी मिट्टी एवं खड़ंजे का स्तर बहुत ही खराब रहा पुलिया जो बनायी गयी वह टूट गयी। इस क्षेत्र की जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है इसके लिए हजारों जनता प्रदर्शन एवं धरना भी दिया इस मार्ग की जांच तकनीकी सेल से करायी जाय।

अत: आपसे निवेदन है कि अधूरे कार्य को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूरा कराया जाय तथा सम्पूर्ण मार्ग को लेपन स्तर तक धन स्वीकृति दिलाकर कराया जाय। जिससे जनता को लाभ एवं सुविधा मिल सके।]

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बाराचवर में भीखम अमहट से करारी महूदपुर एवं अमहट से तिराहीपुर तक के पहुंच मार्ग को पक्का कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सरजू प्रसाद सरोज----

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जिला गाजीपुर के विकास खंड बाराचवर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मार्गों 1--भीखम अमहद से करारी महूदपुर लम्बाई 3 कि0 मी0 2--अमहद से तिराही पुर तक पहुंच मार्ग लम्बाई लगभग सवा दो कि0मी0 3--लट्ठ रोड डनिया पक्की सड़क पर मीशन से उतरांव होते हुए निहालपुर तक लम्बाई 4 कि0मी0 4--नेवादा से असावर होते हुए अमहद तक की लम्बाई 6 कि0मी0 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इन मार्गों पर मिट्टी एवं गिट्टी बहुत कम दी गयी है। गिट्टी की साइज भी भिन्न प्रकार की है इससे सड़क टूट रही है। यह मार्ग ठेकेदार के माध्यम से बनवाया गया है तथा इन मार्गों पर पड़ने वाले गांव के मजदूरों को क्षेत्र के भूमिहीन ग्रामीण मजदूर और मजदूर जो हैं उनको कोई काम नहीं दिया जा रहा है इसलिए यहां कोई मानव दिवस नहीं मनाया गया और फर्जी मस्टररोल भर दिया गया इससे पूरे क्षेत्र में हजारों जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है इसके लिए जनता में धरना एवं प्रदर्शन भी किया लेकिन सा0नि0वि0 के अधिकारियों ने कोई ध्यान ही दिया। इन मार्गों की जांच तकनीकी सेल से करायी जाय तथा लेपन स्तर तक का निर्माण कराया जाय।

अत: आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उपरोक्त मार्गों के खराब कार्य को सही कराकर अधूरे कार्य को पूरा कराया जाय तथा धन आवंटित कराकर लेपन स्तर तक कार्य कराया जाय जिससे इस क्षेत्र की जनता को लाभ एवं सुविधा मिल सके।]

जनपद ललितपुर की भूमि की बढ़ी हुई दर को पूर्व पुनरीक्षण वर्ष 1987 के अनुसार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह---

[मान्यवर, इस वर्ष दिनांक 20 फरवरी, 1989 को समस्त ललितपुर जनपद में स्थानीय प्रशासन द्वारा स्टाम्प नियमावली के नियम 340 के अन्तर्गत इस जनपद की भूमि पर परगनावार किस्मवार लागत मूल्य का पुनरीक्षण लगान का 1500 गुना करने एवं शहरी जमीन की कीमत

नोट— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

डेढ़ गुनी एवं दोगुनी तथा ढाई गुनी करने से जमीनों के अन्तरण में, रजिस्ट्रियों हेतु जनपद के किसानों को भीषण परेशान होना पड़ा रहा है। जनपद की जनता में इसके कारण भीषण क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर मैं मांग करता हूं कि यह भूमि की दरें पूर्व पुनरीक्षण वर्ष 1987 के अनुसार ही की जाय।]

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव विधान सभा --

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव विधान सभा --

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1989, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 मार्च, 1989 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 30 मार्च, 1989 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री मैनेजर सिंह --

मान्यवर, जो जुआ में सिद्धहस्त होते हैं उन्हीं की सूचनायें शलाका द्वारा बार-बार आ जाती हैं, इसका कोई दूसरा उपाय निकालिये।

(हंसी)

जनपद नैनीताल लालकुआं की कंकरीट एवं स्टेशन क्रशिंग औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति को रेता बजरी की छनाई हेतु गोलानदी (लालकुआं) का प्लाट आवंटित करने विषयक याचिका†

श्री विदेशी प्रसाद भारती --

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद नैनीताल, लालकुआं की कंकरीट एवं स्टोन क्रशिंग औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति को रेता बजरी की छनाई हेतु गोला नदी (लालकुआं) का प्लान्ट आवंटित करने विषयक श्री विवेकानन्द विद्रोही तथा राम प्रसाद आदि निवासीगण ग्राम गोला नदी, पो0 लालकुआं, नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद कानपुर देहात के विकास खंड व तहसील घाटमपुर के ग्राम घरछुआ में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने तथा जनपद कानपुर देहात के विकास खंड व तहसील घाटमपुर के ग्राम सिबौल में बालिका जूनियर हाईस्कूल खोले जाने विषयक याचिका†

श्री राम आसरे वर्मा --

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कानपुर (देहात) के विकास खंड व तहसील घाटमपुर के ग्राम घरछुआ में पानी टंकी की का निर्माण कराये जाने विषयक श्री शिवशंकर सिंह तथा श्री शिव राम, निवासीगण ग्राम घरछुआ, पो0 बरीपाल, जनपद कानपुर (देहात) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा जनपद कानपुर (देहात), के विकास खंड व तहसील घाटमपुर के ग्राम सिबौल में

नोट -- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

†छापी नहीं गयी।

बालिका जूनियर हाई स्कूल खोले जाने विषयक श्री टोडी लाल निवासी ग्राम सिधौल, पो0 बरीपाल, जनपद कानपुर (देहात) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने दिनांक 30 मार्च, 1989 की अपनी बैठक में यह सिफारिश की है कि दिनांक 5 अप्रैल, 1989 को पूर्व-निर्धारित सरकारी विधायी कार्य के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसके पारण संबंधी प्रस्ताव लिये जाएं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश की सूचना जो माननीय अध्यक्ष ने सदन को दी है उससे सदन सहमत है ?

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव किया है सदन उससे सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वर्त्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या 11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)

अनुदान संख्या 12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

कृषि मंत्री (डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक) विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19, 67, 07, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जायें ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,20, 95,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, आप अवगत हैं हमारा देश और प्रदेश उसकी सारी इकोनौमी और उसका ढांचा कृषि पर आधारित है। हमारे प्रदेश में 173 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती की जाती है और उसमें भी 102 लाख हेक्टेयर में सिचाई की सुविधा उपलब्ध है, जो कुल भूमि का 59 प्रतिशत आता है इस पर सारे प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था निर्भर करती है। यही नहीं पूरे भारतवर्ष का खाद्यान्न उत्पादन जो है उसमें हमारे प्रदेश का योगदान करीब 22 प्रतिशत आता है। मान्यवर, आजादी के बाद से हमारे राष्ट्र के निर्माताओं ने कृषि को प्राथमिकता के लिहाज से अनेक योजनायें देश और प्रदेश को दीं। मान्यवर, आजादी के बाद आपने अनुभव किया होगा कि खाद्यान्न के मामले में विदेशों पर हम आश्रित रहते थें और हम अपने नागरिकों के भरण-पोषण के लिए विदेशों से खाद्यान्न मंगवाते थे ।

श्रीमन्, आज कृषि के क्षेत्र में जो योजनायें हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने दीं इस देश और प्रदेश में और विशेषकर सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्षों में हमारे युवा प्रधान मंत्री जी ने जो विशेष खाद्यान्न उत्पादन योजनायें इस प्रदेश को दीं और मान्यवर, जो कृषि विभाग ने नवीनतम तकनीकी जानकारी इस प्रदेश के किसानों को दी और जो कृषि निवेश की समुचित व्यवस्था की गयी तथा सही समय पर सिंचाई की सुविधा दी गयी, किसानों को ऋण दिये गये, उन्नतशील बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा संयंत्र और कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग तथा हमारे प्रदेश के किसानों के कठिन परिश्रम से आज न केवल इस प्रदेश में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुए हैं बल्कि हरित क्रांति के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां प्राप्त की हैं। आज हमारा प्रदेश इतना खाद्यान्न उत्पादन करने की स्थिति में है कि उससे न केवल हम अपने 13 करोड़ नागरिकों का पेट भर सकते हैं बल्कि प्रदेश और देश के बाहर अन्न निर्यात की स्थिति में हम पहुंच गये हैं। इसके लिये मैं जहां एक ओर इस प्रदेश के कृषकों को धन्यवाद देता हूं वहीं कृषि कार्यों में लगे हुए महान वैज्ञानिकों को जिन्होंने अथक परिश्रम से शोध द्वारा नयी-नयी किस्में, प्रजातियां बीजों के क्षेत्र में दीं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। चाहे वह चावल की प्रजातियां हों, गेहूं की हों या दलहन या तिलहन की हों, इन प्रजातियों को हमारे किसानों ने स्वीकार किया है। इसके साथ ही साथ मैं अपने कृषि विभाग के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अथक परिश्रम से इस देश में और प्रदेश में हरित क्रांति को सफल बनाने में उपलब्धि हासिल की है।

श्रीमन्, 1980-81 में प्रदेश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 249.48 लाख मी0टन था। 6ठीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 1984-85 में यह बढ़कर 299.1 लाख मी0टन हो गया। प्रदेश में सातवीं पंच वर्षीय योजना अवधि के प्रथम वर्ष 1985-86 में 314, 26 लाख मी0टन खाद्यान्न उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित किया गया। श्रीमन्, 1986 तथा 1987 में मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, सूखा पड़ने के कारण क्रमशः 302.4 लाख मी0टन तथा 281.49 लाख मी0 टन खाद्यान्न का उत्पादन इस प्रदेश में हुआ। मान्यवर, जैसा मैंने अभी कहा माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष आह्वान पर हमारे देश में और प्रदेश में विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किया गया। पूरे भारतवर्ष में इस हेतु 169 जनपदों का चयन किया गया जिसमें से हमारे प्रदेश के 38 जनपदों को इस कार्यक्रम में लिया गया और इनमें गेहूं के लिये 24, चावल के लिये 24 मक्का के लिये 9, अरहर के लिये 6 तथा चने के लिये 5 जनपदों, को लिया गया। मान्यवर, 1988-89 में 334 लाख मी0टन का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। जिसमें खरीफ में हमने 123 लाख मी0 टन तथा रबी के लिये 211 लाख मी0टन उत्पादन के लक्ष्य रखे हैं।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभाग के द्वारा जो प्रयास किये गये, मैं उनके संबंध में सदन को आपके माध्यम से सूक्ष्म रूप से अवगत कराना चाहूंगा। मान्यवर, इस वर्ष 4.8 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण इस प्रदेश के किसानों में किया गया, जिसमें खरीफ में 1.67 लाख क्विंटल, रबी में 3.13 लाख क्विंटल वितरण किया गया। यही नहीं, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रमों के अन्तर्गत हमने प्रदर्शनों में भी पहली बार बीज के उत्पादन को जोड़ा, जिसके फलस्वरूप इस वर्ष 40,000 क्विंटल धान के प्रमाणित बीज कृषकों से बाजार भाव से 15 प्रतिशत अधिक दर से क्रय किया। मान्यवर, आप इस बात से अवगत हैं कि हमारे प्रदेश में 1 करोड़, 78 लाख जोतें हैं, उनमें 80-85 प्रतिशत छोटी जोतें हैं, जिनमें लघु और सीमांत जोतें आती हैं, वे बड़े पैकेट में बीज नहीं ले सकते, उन छोटे-छोटे किसानों के लिए, छोटी-छोटी पैकेट्स में बीजों की पहली बार व्यवस्था करायी गयी, ताकि सही, एवं प्रमाणित बीज हमारे छोटे किसानों को मिल सके और उनका प्रयोग वे कर सकें।

इस वर्ष हमने खरीफ में 9 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का इस्तेमाल किया, जबकि 85-86 में कीर्तिमान स्थापित किया गया खाद्यान्न के उत्पादन में, उस समय केवल 6.77 लाख मीट्रिक टन वितरित किया गया था। श्रीमन् उर्वरक की खपत हमारे छोटे-छोटे किसानों में बढ़ायी जाय, हमने पहली बार उर्वरक की आपूर्ति 10 किलो ग्राम; 20 किलोग्राम और 25 किलोग्राम पैकट्स में

वितरित किया, ताकि हमारे छोटे किसान बिना मिलावट के उसे इस्तेमाल कर सकें। 10 किलोग्राम के साढ़े 30 लाख पैकट्स इस प्रदेश में वितरित किये। 25 किलोग्राम के साढ़े 5 लाख उर्वरक के पैकेट्स वितरित किये गये। यही नहीं, शासन का यह हमेशा प्रयास रहा है कि हम प्रमाणित बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन किसान के दरवाजे के बहुत नजदीक जाकर मुहइया करा सकें, उसको दो-तीन किलोमीटर से ज्यादा न जाना पड़े। हमारा यह भी प्रयास है कि जाने वाले समय में उसको दो-तीन किलोमीटर भी न चलना पड़े, उसको सीधे प्रमाणित बीज, सही उर्वरक सही रसायन उसके दरवाजे पर, किसानों के दरवाजे पर उसको मिल सके, यह शासन का प्रयास लगातार चल रहा है।

श्री भोपाल सिंह---

उसके खेत में ही पहुंचा दीजिए, तो उसे बिलकुल ही नहीं चलना पड़ेगा।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल---

वह रखेगा तो घर पर ही। मान्यवर, माननीय सदस्य भोपाल सिंह ने बहुत सुन्दर बात कही। मान्यवर, किसान के खेत तक न केवल बीज पहुंचे, रसायन पहुंचे, उर्वरक पहुंचे वरन् शासन ने पहली बार प्रयास किया है श्रीमन्, कि शोध व अनुसंधान व तकनीकी ज्ञान जो हमारे वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में कर रहे हैं, कृषि विश्वविद्यालय में कर रहे हैं, वह तकनीकी ज्ञान खेत तक पहुंचे।

मान्यवर, लैब टू लैन्ड का प्रयोग पहली बार हमने किया है, जो नयी तकनीकी जानकारी वैज्ञानिकों ने हासिल की है। मान्यवर, यह है प्रशिक्षण एवं सम्पर्क योजना ट्रेनिंग एण्ड विजिट प्रोग्राम। यह योजना हमने पूर्वांचल के 16 जिलों में लागू की है और इसके बड़े सुखद परिणाम निकले हैं। जहां जहां मैं दौरा करने गया, निरीक्षण करने गया पूर्वांचल में वहां जो किसान सहायक की नियुक्ति की गयी है जो एक कड़ी का काम करता है किसान और वैज्ञानिक के बीच में। मान्यवर, वहां के कृषक, गाजीपुर और बलिया के कृषक माननीय मैनेजर सिंह जी के इलाके में वहां किसान सहायक को देवता के रूप में मानते हैं। मान्यवर, मुझसे लोगों ने शिकायत की कि हमारे क्षेत्र में किसान सहायक नहीं है बगल में है तो वहां बहुत उत्पादन हुआ है इसलिए हमारे यहां भी किसान सहायक की नियुक्ति कर दी जाय यह मान्यवर, गाजीपुर और बलिया में कहा गया।

(किसी सदस्य द्वारा कुछ टोके जाने पर)

मान्यवर, आपका विषय तो केवल फैजाबाद यूनिवर्सिटी तक ही सीमित है मैं बाद में उस पर भी रोशनी डालूंगा।

श्री अध्यक्ष---

माननीय कृषि मंत्री जी आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, मुझको महसूस हो रहा है कि डा0 साहब अपने मन के विषय को दबाकर मुंह से कुछ और कह रहे हैं इसीलिए उदासीनता देखकर सदन चिन्तित है।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें वर्मा जी, माननीय कृषि मंत्री जी, बीच बीच में माननीय सदस्य बोल देते हैं आप उसकी चिन्ता न करिये आप भाषण जारी रखिए।

(व्यवधान)

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल---

मान्यवर, मैं जैसा कि प्रशिक्षण एवं सम्पर्क योजना का जिक्र कर रहा था उन 16 जनपदों में जहां यह योजना लागू की गयी है उसमें उत्पादकता 1986-87 की तुलना में 1988-89 में चावल के क्षेत्र में 31.41 प्रतिशत उत्पादकता बढ़ी और गहूं के क्षेत्र में 14.80 प्रतिशत उत्पादकता बढ़ी है। यह मैं ढाई साल की बात कर रहा हूं जब से यह योजना प्रारम्भ की गयी है।

मान्यवर, कृषि निवेशों में भी वृद्धि हुई है 1986–87 की तुलना में कृषि निवेशों के उपयोग में उर्वरक के क्षेत्र में 34.04 प्रतिशत, गुणात्मक बीज के क्षेत्र में 15.27 प्रतिशत हुई खरपतवार नियंत्रण प्रति हेक्टेयर के क्षेत्र में जो गेहूं में एक बीमारी खरपतवार लगती है जिसको गेहूं का मामा बोलते हैं उससे किसान बड़ा त्रस्त रहता है उसके नियंत्रण में हमने आइसो प्रोटीन पूरे क्षेत्र में इस्तेमाल किया, उसमें 33.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मान्यवर, प्रदर्शनों की योजना है इस योजना के अन्तर्गत खरीफ 88–89 में 25,857 रबी के अभियान में 55,762 प्रदर्शन इस योजना के अन्तर्गत किये गये। मान्यवर, 16 जनपदों में अभी यह योजना चल रही है और निकट भविष्य में प्रदेश के और 5 जनपदों में इस योजना को लागू करने जा रहे हैं। हमारे पास हर जनपद से मांग आ रही है, वहां के जन प्रतिनिधि वहां के किसान इस बात की मांग कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में यह योजना लागू की जाय।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि आने वाले निकट भविष्य में हमारी यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू होगी ताकि वहां के किसान अपने क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम हो सकें। मान्यवर, मैं उर्वरक का जिक्र कर रहा था।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--
मान्यवर, सूक्ष्म कर दें।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--
मान्यवर, कृषि से जहां 85 परसेंट जनता जुड़ी हो, इसको सूक्ष्म करके उनके प्रति अन्याय करना चाहते हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--
मान्यवर, माननीय मंत्री जी अपने भाषण को सूक्ष्म करके कृषि हित में मा0 सदस्यों के सुझाव लेकर समायोजित कर लें तो अच्छा होगा।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--
श्रीमन्, पहले उपलब्धियों की जानकारी कर लें फिर सुझाव दीजियेगा।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---
सिर्फ जगदीशपुर की ही प्रगति आंकिये, पूरे प्रदेश से मतलब नहीं है।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल---
माननीय राजा साहब तो दूसरों का घर देखते हैं। अपने घर को नहीं देखते। मान्यवर, हमने उर्वरक के अधिक वितरण के लिये एक काम और किया है। दो टन उर्वरक के स्टाक तक लाइसेंस से मुक्त कर दिया है। कोई भी विक्रेता दो टन उर्वरक बिना लाइसेंस के अपने यहां रख सकता है और विक्रय कर सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उर्वरक का वितरण संभव हो सके। मान्यवर, इस वर्ष 6759 नये बिक्री केन्द्रों की स्थापना की है और कुल 35,557 बिक्री केन्द्र प्रदेश के अन्दर हो गये हैं। यही नहीं, हमने जो उर्वरक निर्माता थे, उनको निर्देश दिये, बैठक करके एक कार्यक्रम बनाया और उन निर्माताओं ने सचल वाहन द्वारा गांव में जाकर बिक्री पहली बार कराई ताकि किसानों को अपने घर पर न केवल उर्वरक मिले, बल्कि जो हमारे लीड सप्लायर थे, उर्वरक के, उनको पूरे उत्तर प्रदेश में जिले आवंटित कर दिये कि किसको किस जिले में सप्लाई करनी है, ताकि उर्वरक के वितरण में कोई कमी न आने पाए। इसके बाद कृषि रक्षा रसायन का थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगा। इस वर्ष खरीफ में 4,662 टन कृषि रक्षा रसायन का उपयोग किया और यही नहीं, श्रीमन्, हमने प्रदेश में पहली बार सिंगिल विन्डो स्कीम को प्रारम्भ किया ताकि कृषकों को बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन आदि एक स्थान पर मिल सके। इसके लिये सिंगिल विन्डो को स्कीम को प्रदेश में लागू किया ताकि एक ही स्थान पर सारी चीजें मिलें और ऐसे सिंगिल विन्डो केन्द्र जो थे वह 1,022 से बढ़कर 4,011 बन चुके हैं। कृषि विभाग द्वारा इसके अतिरिक्त यू0 पी0 एग्रो, सहकारिता को भी इन कृषि निवेशों के वितरण के लिये भागीदार बनाया है। कृषि यंत्र

और कृषि रक्षा उपकरण के मामले में सघन अभियान के रूप में एक आन्दोलन के रूप में चलाया गया प्रदेश में और इस वर्ष उस अभियान में 91,124 कृषि यंत्र वितरित किये जा चुके हैं, जबकि गत वर्ष में इनकी संख्या 51 हजार थी। दुगुना कर दिया है।

श्री कौशिक रमाशंकर---

कमीशन क्या हुआ ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल---

कृषि रक्षा संयंत्रों पर 500 रुपये अनुदान देते हैं। श्रीमन्, यही नहीं हमने कृषि रक्षा के जो उपकरण हैं, वह हमने अब तक साढ़े छब्बीस हजार उपकरण इस प्रदेश में वितरित करवाए, जबकि गत वर्ष केवल 7 हजार उपकरण वितरित किये जा सके थे। मान्यवर, इन सब प्रयासों के फलस्वरूप जो विगत खरीफ में हमारा प्रयास किया गया, उसमें श्रीमन्, 123 लाख मैट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, उसमें मान्यवर, 89 लाख 50 टन चावल का उत्पादन का लक्ष्य था। उस लक्ष्य के विपरीत हमने 94 लाख मीट्रिक टन चावल उत्पादन करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है प्रदेश के अंदर पहली बार पिछली खरीफ की फसल में इस रबी में हमने 211 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन रखा है। श्रीमन्, हमें यकीन है कि माननीय सदस्य जो सामने बैठे हुए हैं और इधर बैठे हुए हैं इन सबके सहयोग से हमारा लक्ष्य जो है वह पूर्ण होगा बल्कि लक्ष्य को पार करके नया कीर्तिमान जो खरीफ में प्राप्त किया है, रबी में भी प्राप्त कर सकेंगे। यह तो मैंने वर्तमान की बात कही कुछ थोड़ी सी भविष्य की भी बात कहना चाहता हूं। 1989--90 में 363 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य अपने सामने रखा है। खरीफ 135 लाख मीट्रिक टन और रबी 228 लाख मीट्रिक टन उत्पादन किया जाना है। इसके अतिरिक्त 12 लाख टन तिलहन के उत्पादन का कार्यक्रम बनाया है इस साल में। इसके लिये हमने जहां इस साल, आपके माध्यम से अभी बताया था कि प्रमाणित बीज करीब पौन पांच लाख कुंटल वितरित किया 1989-90 में साढ़े 8 लाख कुंटल प्रमाणित बीज वितरित करने जा रहे हैं लगभग दुगुना।

(मेजों की थपथपाहट)

उर्वरक के बारे में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 88--89 में 21 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की खपत थी 89--90 में 27 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की खपत का लक्ष्य अपने सामने रखा है। इसके लिये श्रीमन्, जहां सचल वाहनों की व्यवस्था की है श्रीमन्, हमने अन्य, जैसा मैंने पूर्व में उल्लेख किया था, हमने उसके लिये उर्वरक वितरण सारे प्रदेश में करने की व्यवस्था की है। हमने प्रदेश में 24 जनपदों में विशेष तिलहन उत्पादन का कार्यक्रम निर्धारित किया है। राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम 23 जनपदों में प्रदेश के लागू किया है। विशेष तिलहन उत्पादन कार्यक्रम लागू किया है। राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम इस प्रदेश के 22 जनपदों में लागू किया है विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम 38 जनपदों में लागू किया है। जिसके अन्तर्गत चावल के लिये 24, गेहूं के लिये 24, मक्का के लिये 5, अरहर के लिये 6 जनपदों का चयन किया गया है। कुछ नवीन योजनायें लागू करने जा रहे हैं, उनके संबंध में सूक्ष्म में आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं 1989--90 में कृषि उत्पादन के विकास की दर को तेज करने के उद्देश्य से कुछ नये कदम उठाने का निर्णय लिया है। श्रीमन्, प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को उनकी निजी भूमि पर भूमि संरक्षण के सम्पादित कार्य की लागत पूर्णरूप से राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी भूमि संरक्षण का कार्य छोटे किसानों के खेत पर होता था हमारी कई तरह की योजनायें चलती थी किसी में कुछ प्रतिशत था किसी में कुछ प्रतिशत अब निर्णय लिया है कि लघु सीमान्त कृषक जो हैं उनसे हम कोई भी कीमत वसूल नहीं करेंगे।

मान्यवर, एक और क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। अब किसानों को कृषि यंत्रों और कृषि रक्षा उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक ब्लाक में, प्रत्येक विकास खंड में 500 कृषक परिवारों का चयन किया जायेगा और पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या साढ़े 4 लाख बैठेगी। साथ ही प्रत्येक कृषक परिवार को कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण हेतु 50 प्रतिशत यानि 500 रुपये तक का अनुदान दिया जायेगा, यह योजना पहली बार पूरे उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही है।

मान्यवर, अभी मैंने आपके माध्यम से अवगत कराया था कि 2 टन तक उर्वरक को बेचने पर लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। अब मान्यवर, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम 10 टन तक उर्वरक बेचने पर उसे लाइसेन्स से मुक्त करने जा रहे हैं, इससे उर्वरक की खपत बढ़ेगी। मान्यवर, इस वर्ष हमने तिलहन उत्पादन कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया है और प्रदेश के 45 हजार हेक्टेयर में सूरजमुखी की सघन खेती का कार्यक्रम तैयार किया है और इस 45 हजार हेक्टेयर में जो लोग सूरजमुखी की खेती का काम करेंगे, उनको हम इस खेती करने के लिये अनुदान भी देंगे, उनके प्रदर्शनों पर भी अनुदान देंगे और कृषि निवेश पर भी अनुदान देंगे और जो इसका बीज पैदा करेंगे, उनको भी हमने अनुदान की व्यवस्था की है। यह अनुदान हम भारत सरकार की संस्था नेफेड के माध्यम से क्रय भी करेंगे और यह योजना भारत सरकार के सहयोग से पहली बार प्रदेश में लागू की है।

मान्यवर, इसीके साथ-साथ हमने सोयाबीन की खेती को भी प्रदेश में पहली बार बड़ी प्रमुखता दी है और इसके लिये एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया है। पर्वतीय क्षेत्र के साथ ही बुन्देलखंड में सोयाबीन के उत्पादन के लिये, उसे और अधिक बढ़ाने के लिये विशेष अनुदान की व्यवस्था की है। इतना ही नहीं, हमने विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम को भी और अधिक विस्तार दिया है, और उसके अन्तर्गत ज्वार, रायी व बाजरा को भी शामिल किया गया है और पहले यह योजना जो केवल 38 जनपदों में ही थी, उन जनपदों की संख्या बढ़ाकर अब 45 जनपदों को इस योजना में शामिल कर लिया है।

इसी प्रकार मान्यवर, विश्व बैंक की नलकूप योजना के अन्तर्गत जल के बेहतर उपयोग के लिय स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल किया है, इससे यह फायदा होगा, कि जिन क्षेत्रों में विशेषकर पहाड़ों में जहा पानी की अत्यन्त कमी है, वहां आसानी से पानी का सदुपयोग हो सकेगा। मान्यवर, हमने पहली बार कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं के निमित्त कृषि यंत्रों के परीक्षण हेतु यू0पी0 एग्रो के माध्यम से विशेष यंत्र परीक्षण केन्द्र की समन्वित सुविधा इस बार स्थापित की है। साथ ही भूमि संरक्षण कार्य हेतु समन्वित ढंग से माइक्रो वाटर शेड स काम करने का प्रबन्ध किया है।

मान्यवर, प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर, आजमगढ़, गाजीपुर इन सभी जनपदों में सनई विकास का कार्यक्रम विशेष तौर से लागू किया है इस हेतु कृषकों को कृषि निवेशों पर 600 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देने की व्यवस्था की है, तथा कृषि रक्षा उपकरण एवं कृषिरक्षा रसायनों का वितरण पर 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था भी की गयी है।

मान्यवर, हमने प्रदेश में पहली बार प्रत्येक जनपद में कृषकों और अच्छे कार्यकर्ताओं को पुरष्कार देने की योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत प्रत्येक जनपद के 5 प्रगतिशील कृषकों व 5 विशिष्ट कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में नकद पुरस्कार देने की योजना बनाई है, जिससे हमारे प्रदेश में उत्पादकता बढ़ सके और लोगों को प्रोत्साहन मिल सके।

मान्यवर, उद्यान और खाद्यान के क्षेत्र में भी हमने उपलब्धियां हासिल की हैं। आपके माध्यम से मैं उन पर भी रोशनी डालना चाहता हूं। प्रदेश में पहली बार फल और सब्जियों के संरक्षण की महत्ता को देखते हुए सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से उद्यान एवम् खाद्यान प्रसंस्करण विभाग का गठन किया गया है, जिससे फल और शाक-भाजियों का अधिक उत्पादन और विकास में तीव्रता लाई जा सके। यहीं पर मैं माननीय श्री माहरा जी को भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमने प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र के लिए और

मैदानी क्षेत्र के लिए 1-1 अलग-अलग निदेशालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। मान्यवर, पहली बार प्रदेश में फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और उसके रोपण का विशेष प्रयास किया गया है । इस वर्ष विभाग ने मान्यवर, रिकार्ड पौधे का वितरण किया है । वर्ष 1986-87 में 71.99 लाख तथा 1987-88 में 46.20 लाख फलदार पौधे वितरित किए थे वही 1988-89 में लगभग एक करोड़ पौधे वितरित किए गये हैं, जो एक कीर्तिमान है । आप सभी अवगत हैं कि स्वस्थ्य रहने के लिए शाक-भाजी का अपना एक विशेष महत्व है । हमने श्रीमन्, सब्जी उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक महत्वाकाक्षी योजना इस प्रदेश में बनाई है और यह लक्ष्य रखा है कि सब्जी बीज के वर्तमान 0.51 प्रतिशत प्रतिस्थापन को बढ़ाकर वर्ष 1993-94 तक 18 प्रतिशत किया जाय । यही नहीं मान्यवर, जन साधारण में सब्जी उत्पादन के प्रति रूझान उत्पन्न करने के लिए प्रदेश में नि:शुल्क शाक-भाजी बेहन वितरण का कार्यक्रम चलाया है और उसमें 12 करोड़ विभिन्न सब्जियों के बेहन का वितरण किया गया है ।

मान्यवर, जहां एक ओर शाक-भाजी की बात आती है तो वही पर आलू की भी बात आती है । . . .

श्री भोपाल सिंह–

हमारे यहां तो आलू सड़ रहा है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, आज प्रदेश में लगभग 65 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा आलू पैदा किया है । जो हमारा उत्पादन है उसका 60 प्रतिशत भण्डारण की आवश्यकता है, परन्तु उसका 67 प्रतिशत ही उपलब्ध है । हमारा भी अनुभव है आपका भी रहा होगा पिछले दिनों प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज बनाने की प्रक्रिया की गति धीमी हो गयी थी । उसके बहुत से कारण थे चाहे इकानामिक वाइबिलिटी हो या ऋण की व्यवस्था समुचित न हो पाने के कारण हो या भण्डारण पर अधिकतम अधिभार शासन के द्वारा लगाया गया हो । हमारे कृषक जो आलू पैदा करते हैं उसके भण्डारण की सुविधा मिले इसके लिए पहली बार निर्णय लिया है कि 2 फरवरी, 1989 के बाद निजी क्षेत्र में जो शीतगृह बनाये जायेंगे, 10 वर्ष तक उनको अधिभार से मुक्त रखेंगे ताकि इकनामिकली वाइबिल बन सकें ताकि आलू जो किसान पैदा करता है, उसका भण्डारण हो सके ।

अकसर शासन का ध्यान आकर्षित किया है माननीय सदस्यों ने आपके माध्यम से शिकायत की है कि शीतगृह भण्डारण में ज्यादा अधिभार वसूला गया आलू किसानों से मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमने एक अभियान चलाया है और जिन लोगों ने ज्यादा अधिभार वसूल किया था 91,78,188 रुपये धनराशि देना स्वीकार किया कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने, उनसे 63,31,000 रुपया वसूल कर लिया जो उन्होंने ज्यादा वसूल किया था हमारे किसानों से । जहां इतना वसूल किया वहीं 18,33,952 रु0 सीधे-सीधे भण्डारण कर्ताओं को वापस किया शीतगृह मालिकों ने और केवल 6 लाख रु0 बाकी है, जिसकी वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं । हमने, आलू उत्पादक को सही मूल्य मिले, इसके लिए बाजार हस्तक्षेप मूल्य योजना शुरू की है । इसके अंतर्गत 71 क्रय केन्द्र सहकारिता के माध्यम से खोले हैं जहां पर 65 एवं 75 रु0

प्रति क्विंटल की दर से 60 हजार टन आलू खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है । अब तक नेफेड तथा पी0 सी0 एफ0 ने कुल 701.30 टन आलू की खरीद बदायूं, बरेली, मुरादाबाद और फर्रुखाबाद जनपदों में की है लेकिन हमें खुशी है कि बाजार हस्तक्षेप मूल्य योजना की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि बाजार में भाव ठीक चल रहा है । अगर उससे नीचे आयेगा तो हस्तक्षेप मूल्य योजना के क्रय केन्द्र एक्टिव होंगे और उसे खरीदेंगें ।

पर्वतीय क्षेत्र के बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कितना समय और लेंगे ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, एक घण्टा और दे दें । अभी मण्डी परिषद है, एग्रो है, हार्टीकल्चर है, भूमि सुधार अधिनियम है । मेरा प्रयास होगा बहुत शीघ्र समाप्त कर दूं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

हमें कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनको एक घण्टा मिल जाय तो मुझे खुशी होगी, लेकिन फिर विनियोग विधेयक आज पारित करने के बजाय 3 तारीख को ले लें और आज दिन भर केवल कृषि पर ही बहस करें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

पहले कृषि का बजट दो दिन में होता था । अब एक दिन में समाप्त किया जाने लगा है । कृषि मंत्री ने हर पहलू पर अपने आपको बात कहने के लिए तैयार किया है, आभारी हूं । हमें भी समय दें ताकि सारी बात कह सकें ।

श्री अध्यक्ष–

यह तो कार्य मन्त्रणा समिति का निर्णय है ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, कार्यमंत्रणा समिति में ही तो यह गड़बड़ी होती है । इसके मूल में तो कार्यमंत्रणा समिति ही है । कृषि के बजट पर दो दिन की बहस रखी जाती थी अब उसे आधा दिन के लिए कर दिया गया है । डाक्टर कौशल का प्रस्ताव सही है । दो माह का इसका लेखानुदान पारित हुआ है, कृषि के बजट पर दो दिन की बहस होनी चाहिए ।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । इसकी शुरुआत ही पहाड़ से होनी चाहिए थी, फिर नीचे आते माननीय मंत्री जी । लेकिन अब जब माननीय मंत्री जी पहाड़ पर चढ़ने लगे तो उनको टोक दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कृषि मंत्री जी आप 15 मिनट में अपना भाषण समाप्त करें ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

श्रीमन्, 15 मिनट नहीं, आधा घण्टा में इसे मैं समाप्त कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

अभी तो आप बाद में भी बोलेंगे, तब और बातें कह लीजियेगा ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

अच्छा सवा ग्यारह बजे तक के लिए आप हमें समय दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, सवा ग्यारह बजे तक आप इसे समाप्त कर दें ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, हमने पहाड़ी क्षेत्रों में फल उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष रूप से अभियान चलाया है । हमने वर्षाकाल में रोपण के लिए 13.174 लाख पौधों का वितरण किया है इस सिलसिले में और शीतकाल के लिए पौधे रोपण का लक्ष्य 13 लाख रखा गया था जिसमें से अभी तक 11 लाख पौधों का वितरण हम कर चुके हैं और अभी यह कार्यक्रम जारी है । जैतून आदि फलों के विकास के लिए इटली सरकार ने हमें तकनीकी और वित्तीय सहयोग दिया है और पहाड़ी क्षेत्र में इसका कार्यक्रम चल रहा है जिसकी लागत ढ़ाई करोड़ रुपया आती है । इटली के उन्नत किस्म के पौधों के लिए यह इकाइयां ढ़करानी, देहरादून और ज्योलीकोट में स्थापित की गयी हैं ।

इसी तरह से मशरुम की खेती के लिये भी पहाड़ी क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया गया है। अब वहां पर भी मशरुम की खेती की जा रही है। डच सरकार की सहायता से जो कि 1987-88 से चल रही है, इसे आगे भी चलाने का प्रयास हो रहा है ताकि वहां के किसान कैश क्राप पैदा कर सकें।

सब्जी के बीज के उत्पादन के लिये सब्जी ब्रीज प्रमाणीकरण योजना चलायी जा रही है। आलू की पैदावार के लिये कि आलू का उन्नतशील बीज पैदा किया जा सके इसके लिये भी हम प्रयास कर रहे हैं।

मान्यवर, अब मैं थोड़ा सा भूमि संरक्षण के बारे में आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे प्रदेश में लगभग 36.74 लाख हैक्टेयर भू-कटाव है। साढ़े 12 लाख हैक्टेयर बीहड़ तथा 11.05 लाख हैक्टेयर ऊसर की समस्या है। इस समस्या को देखते हुए प्रदेश में भू-कटाव बीहड़ तथा ऊसर भूमि सुधार का एक व्यापक कार्य-क्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 1988-89 में 1.00 लाख हैक्टेयर कटावग्रस्त तथा बीहड़ भूमि एवं 0.5 लाख हैक्टेयर ऊसर भूमि के सुधार का लक्ष्य प्रस्तावित है, जिसके विरुद्ध 101687 हैक्टेयर कटावग्रस्त तथा बीहड भूमि एवं 5646 हैक्टेयर ऊसर भूमि का सुधार माह फरवरी, 1989 तक किया जा चुका है।

एक योजना मान्यवर पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित बतानी रह गयी थी कि वर्ल्ड बैंक के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक नयी योजना बनायी है, जिससे पर्वतीय क्षेत्र के किसानों को विशेष लाभ मिल सकेगा आने वाले वर्षों में. . . . (व्यवधान)

एक सदस्य–

वह योजना क्या है, यह तो माननीय मंत्री जी बता दीजिए?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

इसको पढ़ें पर देखिए... और मान्यवर, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि भूमि संरक्षण कार्यक्रम से लघु सीमान्त कृषकों को अधिक लाभ पहुंचाने तथा कार्यक्रम में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शासन ने यह निर्णय लिया है कि लघु एवं सीमान्त कृषकों को उनकी निजी भूमि पर भूमि संरक्षण कार्यक्रम का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ।

अब मान्यवर, इसके आगे एक महत्वपूर्ण बात का और जिक्र करना है कि कृषि क्षेत्र में, जो हमने प्रयास किए हैं, उसमें कृषि विभाग ने महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है और जो हमारे अधिकारी व कर्मचारी इस कार्य में लगे हुए हैं उनका मनोबल और बढ़े , इसलिए उनके विनियमितीकरण के काम को भी हमने अपने हाथों में लिया है । इस कार्य में हमने श्रीमन् बहुत ही विशेष उपलब्धि हासिल की है, जिसकी वजह से बहुत से उन्नति के रास्ते जो पहले बंद थे अब खुले हैं हमारे कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए इससे उनमें जो कंठा व्याप्त थी , वह भी समाप्त हो जायेगी ।

श्री मैनेजर सिंह–

(हंसते हुए) माननीय मंत्री जी क्या कृपा करके यह बताने का कष्ट करेंगे कि एटा जनपद की ऊसर भूमि में आपने क्या-क्या सुधार किये हैं ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

सुधार तो पूरे प्रदेश की ऊसर भूमि का हो रहा है...मान्यवर, मैं जिक्र कर रहा था कि वर्ष 1988-89 में पहली बार 106 अधिकारियों/कर्मचारियों का सेलेक्शन ग्रेड हमने स्वीकृत किया और यही नहीं मान्यवर, प्रशिक्षण के लिए भी हमने अपने अधिकारियों को बाहर देश और विदेश में भेजने के कार्यक्रम भी बनाए हैं, यह मान्यवर हमारी एक विशेष उपलब्धि है और इसके आगे की उपलब्धि यह भी श्रीमन् बताना आवश्यक समझता हूं कि हमने कृषि मैनअल जो पहले नहीं बना था , पहली बार विभाग के कार्य-कलापों के बारे में निश्चितता अधिक आए, बनाया है। साथ ही इस विभाग का कार्य प्रभावशाली ढंग से चले इसके लिए अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं जैसे अधिकारियों के बायो-डेटाज को मेन्टेन करने के लिए सी0 आई0 डी0 विजिलेंस तथा लोक लेखा समिति आदि की भी संस्तुतियों की देख-रेख की सेवाओं को कम्प्यूटराइजेशन करना शुरू किया है ताकि विभागीय कार्य में सुदृढ़ता आ सके ।

इसी प्रकार से मान्यवर, मैं मण्डी परिषद् के कार्य-कलापों के बारे में भी बताना चाहूंगा जैसा कि आप लोग स्वयं जानते हैं कि मण्डी परिषद् की सेवा विशेष रूप में हमारे किसानों के लिये बहुत उपयोगी है और इसकी स्थापना का उद्देश्य भी यही है कि हमारे किसानों के हो रहे शोषण को किस तरह से रोका जाए । उस शोषण को समाप्त करने के लिये मंण्डी अधिनियम बनाया गया है और उसके अन्तर्गत होने वाली आय को देखने, नवीन मण्डी स्थल का निर्माण , नवीन मण्डी स्थल में व्यापार का स्थानान्तरण, खड़ंजा, सड़क, पुलिया और गोदामों का निर्माण कार्य मंडी परिषद् को सौंपा गया है और हमने इन क्षेत्रों में प्रगति भी की है। हमारे पास मुख्य मण्डी स्थल 257 और उप

मण्डी स्थल 371 हैं। मान्यवर, सब्जी मण्डी का निर्माण मार्च, 1988 तक 14 और नवम्बर, 1988 तक निर्माणाधीन 4 थे। वर्ष 1988-89 में निर्माण का लक्ष्य 9 रखा गया है। ग्रामीण गोदामों का निर्माण किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि सम्पर्क मार्गों के निर्माण की। आज पंजाब के अन्दर प्रति लाख कृषक 240 किलोमीटर सड़क आती है, हरियाणा में प्रति लाख 150 किलोमीटर सड़क आती है और हमारे प्रदेश में प्रति लाख केवल 56 किलोमीटर सड़क आती है। हमने मंडी परिषद् के द्वारा पहली बार बहुत बड़े विशाल पैमाने पर सम्पर्क मार्गों के निर्माण का संकल्प लिया है और मैं बताना चाहूंगा कि जिन सम्पर्क मार्गों का मिट्टी का काम पूरा हो चुका है, चाहे खड़ंजा स्तर तक बनी हो, चाहे पुलिया बनानी हो उन सभी सम्पर्क मार्गों की सूची माननीय सदस्य दे दें, हम उनको अवश्य बनवायेंगे और पूरा करायेंगे।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को इस कार्य के लिये बधाई देता हूं और इसका स्वागत करता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मण्डी समिति की सड़कें बनी हैं उनके रख रखाव की भी आप व्यवस्था करेंगे।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

ठीक है।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो पुलियों और सड़कों के निर्माण की बात कही है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सड़कें मण्डी परिषद् द्वारा बनायी जाती हैं, उन्हीं के विषय में यह है या और एजेन्सियों द्वारा जो बनायी गयी हैं, उनके लिये भी है।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

किसी भी एजेन्सी से हो। हमारे शासन, हमारी मण्डी परिषद् द्वारा एक ऐतिहासिक कार्य प्रारम्भ किया गया है, वह यह है कि 1 जनवरी, 1989 से एक योजना लागू की है वह योजना है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। जो कृषक भाई काम करते हुए, जो मजदूर मजदूरी करते हुए, मण्डी स्थल पर मजदूरी करते हुए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, वह चाहे कृषि यन्त्रों से, चाहे बोरिंग करते समय बिजली से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उन सभी कृषक एवं मजदूरों को इस बीमा योजना से लाभ मिलेगा, उनको बीमा की धनराशि दी जायेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे कोई प्रीमियम नहीं लिया जायेगा, एक पैसा भी नहीं लिया जायेगा वह सब मण्डी परिषद् वहन करेगी। अगर दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाती है, तो कृषक और मजदूर को उस दशा में 15 हजार रुपये की धनराशि दिलायेंगे और अगर उसका एक अंग कट जाता है या बेकार हो जाता है तो 6 हजार रुपये दिये जायेंगे, दो अंग बेकार हो जायें तो 10 हजार रुपया दिया जाएगा। एक अंगूठा या उंगली कट जाये तो डेढ़ हजार रुपया दिया जायेगा। यह व्यवस्था 1 जनवरी, 1989 से चालू हो गई और हमने क्लेम भी देना शुरू कर दिया। हम क्लेम दे रहे हैं। मुरादाबाद से कुछ क्लेम आये हैं। इस प्रकार हमने क्लेम वितरण करना शुरू कर दिया है। इसी तरह से मान्यवर, अगर उसकी चार उंगली कटेंगी तो यह माना जायेगा कि उसका एक अंग बेकार हो गया है और उस हिसाब से हम उसे 6 हजार रुपये देंगे।

इसके अलावा मान्यवर, हमने इसकी प्रक्रिया भी आसान रखी है । अगर कोई कृषक दुर्घटनाग्रस्त हो जाय तो वह एक सादे कागज पर प्रार्थना-पत्र लिखेगा, अगर मृत्यु हो जाय तो उसका उत्तराधिकारी लिखेगा और उसके साथ एक डाक्टर का प्रमाण-पत्र लगायेगा और उसे ग्राम प्रधान से सत्यापित कराकर मण्डी सचिव के पास भेजेगा । मान्यवर, मण्डी सचिव द्वारा वह प्रार्थना-पत्र निदेशालय में आयेगा । हमने यह निर्देश दिये हैं कि हर महीने की 15 तारीख को जिलों से जितने भी इस प्रकार के क्लेम आयेंगे उनका निस्तारण किया जायेगा । महीने में एक बार हम ऐसे क्लेम का निस्तारण अवश्य करेंगे । इस प्रकार इस तरह का कोई क्लेम बाकी नहीं रहेगा ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

जहां इस तरह की मण्डी समितियां नहीं हैं उनके लिए कौन सी व्यवस्था आपने की है ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

केवल कुछ जिलों को छोड़कर बाकी सारा प्रदेश इसके अन्तर्गत आ जाता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का मार्गदर्शन चाहता हूं । हमारे शासन का यह प्रयास रहा है, प्रयास है और रहेगा कि हम कृषक को हर सम्भव तरीके से उसकी मदद करें और खास तौर से जब कोई दैवी आपदा आ जाय उस समय हम उसकी और भी मदद करने में सक्षम हों । मान्यवर, आपने देखा होगा कि मई और जून में जब किसान अपने उत्पाद को काटकर खलिहान और खेत में रखता है तो उसमें कभी आग लग जाती है और जो छोटे-छोटे और लघु तथा सीमान्त किसान हैं वे साल भर के लिए बेसहारा हो जाते हैं । उनके पास अगली फसल के लिए तथा अपने बच्चों का पेट भरने के लिए पैसा नहीं रह जाता है और ला-मुहाला उन्हें साहूकार के पास कर्जा लेने के लिए जाना पड़ता है । शासन इस पर गम्भीरता से विचार कर रहा है । इस संबंध में मैं इस सम्मानित सदन का मार्गदर्शन चाहता हूं कि इसकी रूपरेखा क्या हो जिससे अगर किसी लघु तथा सीमान्त कृषक के खलिहान में रखे उत्पाद पर आग लग जाय और वह जल जाय, तो हम उसे मुआवजा दे सकें । श्रीमन्, बीमे की तो एक लम्बी प्रक्रिया होती है । जिस प्रकार दैवी आपदा के मामलों में जिलाधिकारी द्वारा राहत दी जाती है उसी प्रकार यदि किसान का खलिहान में उत्पाद जल जाय तो जिलाधिकारी के स्तर से उसे मुआवजा दे सकें । इसकी रूपरेखा क्या हो ? श्रीमन्, हमें यह भी देखना है कि इसका दुरुपयोग न हो पाये तथा किसान को कैसे लाभ मिल सके । . . . (व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल शर्मा–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको लघु तथा सीमान्त कृषक तक ही सीमित न रखकर ऐसा कर दें कि जिस किसी भी कृषक का इस तरह से आग लगने पर खलिहान का नुकसान हो उसे मुआवजा दिया जायेगा यानी सभी को ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

श्रीमन्, मैं तो बड़े खुले दिल और दिमाग से अपनी बात कह रहा हूं । हमारी कोई संकुचित भावना नहीं है । इस पर मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं । . .

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, अब काफी समय हो गया है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

श्रीमन्, इसके अलावा एक और उद्देश्य जो इस मण्डी परिषद् का था वह पूरा नहीं हो पाया । वह यह था कि हमारा किसान मण्डी स्थल पर जब अपने उत्पाद को लाये तो उसका शोषण न हो, बिचौलिये उसका शोषण न कर सकें और मण्डी परिषद् द्वारा जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनका लाभ उन्हें मिल सके । अभी तक किसान और मण्डी समिति के बीच कोई लिंक नहीं है । श्रीमन्, इस समय हमारे प्रदेश में 20 हजार कृषि स्नातक मौजूद हैं जो ग्रामीण मण्डी सहायक के रूप में लिंक का काम कर सकते हैं । दुर्भाग्य की बात है कि 20 हजार लगभग हमारे कृषि स्नातक बेरोजगार हैं, उनके पास नौकरी नहीं है उनकी तथा हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी हम सेवायें लेना चाहते हैं वे ग्रामीण मण्डी सहायक के रूप में लिंक का काम करेंगे, किसान का शोषण न हो और उनका उत्पाद मण्डी तक पहुंच सके इसके लिए उनकी सेवायें हम लेंगे । अगर वाहन नहीं है तो वाहन की सुविधा उपलब्ध करायेंगे । उनकी इस सेवा के बदले हम उनको कुछ पारिश्रमिक के रूप में दो सौ, तीन सौ, चार सौ रुपया जैसा भी हो सहायता देंगे और इस मामले में माननीय सदस्यों का मार्गदर्शन हम चाहेंगे और आपके सुझाव हम चाहेंगे । इस योजना से न केवल प्रदेश के किसानों का लाभ होगा बल्कि इसके साथ ही हमारे बेरोजगार कृषि स्नातक और भूतपूर्व सैनिकों की सेवायें हम ले सकेंगे और उनका जीवन स्तर इससे ऊंचा उठाना सम्भव हो सकेगा ।

मैं थोड़ा सा जिक्र तराई बीज निगम के बारे में भी करना चाहूंगा । हमने एक बहुत ही महत्वकांक्षी कार्यक्रम हाथ में लिया है जिसमें हम अच्छे और प्रामाणिक बीज कृषकों को दे सके केवल खाद्य ही नहीं तिलहन और दलहन के बीज भी हम कृषकों को वितरित कर सकेंगे । करीब साढ़े आठ लाख क्विंटल हमारे बीज का उत्पादन और वितरण हो रहा है । इसके अलावा हम विदेशों से भी गेहूं की अधिक उपज देने वाले बीज प्राप्त किये हैं, हमने फिलीपीन्स से धान का बीज और मैक्सिको से मक्के तथा अन्य चीजों के बीज मंगवाये हैं । इस बीज निगम के द्वारा हम अच्छी उपज देने वाले बीज किसानों को दे सके इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं । यही नहीं मैं आपके माध्यम से एक शुभ सूचना देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इसी वर्ष तराई बीज निगम को अच्छी उपलब्धियों के आधार पर राष्ट्रीय पुरस्कार देने का निर्णय लिया है और वह आज या कल परसों में दिल्ली में भारत सरकार देगी । यह प्रदेश के लिये गौरव की बात है ।

कृषि के क्षेत्र में हमारे एग्रो का भी विशेष योगदान रहा है कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अच्छे यंत्र, कृषि सुरक्षा उपकरणों का विशाल मात्रा में वितरण किया है । राज्य के लघु तथा सीमांत कृषकों की सुविधा के लिये निगम ने बैल चालित कृषि यंत्रों का उत्पादन 6 गुना अधिक किया है । पिछले वर्ष में यत्रों का निर्माण 70 लाख रु0 था जो बढ़ा कर 115 लाख इस फरवरी तक कर दिया है । निगम के सेवा केन्द्रों में यंत्रों के निर्माण की योजना बड़ी मात्रा में की जा रही है और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन 13.02 लाख से बढ़ा कर 79.34 लाख किया गया है ।

कृषि यंत्रों की बिक्री 114.16 लाख रुपये से बढ़ा कर 431.43 लाख की गयी है । कृषि सुरक्षा संयंत्रों की विक्री रु0 4.86 लाख से बढ़ा कर 133.33 लाख की गयी है ।

अन्न संग्रह बुखारी योजना के अंतर्गत हमने इनकी बिक्री 15.65 लाख रु0 से बढ़ा कर 161.18 लाख की है ।

इसके अलावा प्रदेश की वैकल्पिक ऊर्जा योजना को बढ़ाने के लिये वुड स्टोव की विक्री 0.46 लाख रुपये से बढ़ा कर 10.16 लाख रुपये की है ।

कीटनाशक दवाओं को भी हमने किसानों को सुविधा दिलाई है ताकि अन्न का नुकसान कम से कम हो और इसके लिये विस्तृत योजना बनाई है इस योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष 6 लाख रुपये की बिक्री की तुलना में इस वर्ष 417 लाख रुपये की कीटनाशक दवाओं की बिक्री की है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कृषि मंत्री जी आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री कृष्णवीर सिंह कौशल–

श्रीमन्, यही नही हमने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के काशीपुर में जिंक सल्फेट का कारखाना लगाने का फैसला किया है जो अप्रैल, 1989 से उत्पादन शुरू कर देगा और जिसमें 3 हजार टन प्रतिदिन जिंक सल्फेट का उत्पादन संभव हो सकेगा । कीटनाशक दवाइयों के उत्पादन के लिये रैलीस इंडिया के साथ मिलकर पीलीभीत में कारखाना लगाने जा रहे है ताकि कीटनाशक दवाईयां अच्छी और सही प्रकार से मिल सकें । तो यह प्रयास हमने किये है ।

सूक्ष्म रूप में जो उपलब्धियां हमारे विभाग की थीं, जो मुख्य मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी जी, के कुशल नेतृत्व में पिछले वर्ष हासिल किया है और जो हासिल करने का पक्का इरादा है उनको हमने, व्यक्त किया है । मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी खेती में किस प्रकार उत्पादन बढ़े, किसान की आर्थिक दशा अच्छी बने उसके बारे में अपने अपने रचनात्मक सुझाव देंगे । यह मानता हूं कि इतनी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी मंजिल बहुत लम्बी है और कुछ उसमें कमियां भी हो सकती है जिनको यदि ध्यान में लाया जायेगा तो उनका निराकरण करने का हम प्रयास करेंगे और अच्छी योजना प्रदेश को हम दे सकेंगे । इसके साथ हम पुनः निवेदन करना चाहते है कि जो कृषि और औद्यानिक विकास का बजट प्रस्तुत किया है उसको पास करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान की अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(इस समय 11 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनहरन नाथ कौल पीठासीन हुए ।)

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, अभी मंत्री जी का बजट भाषण मैंने गौर से सुना । मान्यवर, यह नवीं विधान सभा का कृषि का अंतिम बजट है और इस बजट से आने वाले दिनों में सरकार को अपने बारे में बहुत कुछ बताने का और समझाने का अवसर प्रदान करता है । लेकिन मान्यवर, अभी मंत्री जी जब बजट भाषण पढ़ रहे थे तो मैं स्वत: बहुत आश्चर्य में था चूंकि अंतिम बजट है कृषि का इसलिये मैं अपने को कुछ ही मुद्दों में सीमित रखते हुए सभी सदस्यों को अवसर देने का प्रयास करूंगा कि वह अधिक से अधिक इस बजट पर सुझाव दे सकें । मान्यवर, यह कृषि विभाग जो है उसमें कृषि आदि काल से चली आ रही है और मानव को सुसंस्कृत और सभ्य बनाने का सबसे बड़ा योगदान इस कृषि विभाग का रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है आज यह कृषि विभाग सुसंस्कृत व्यक्तियों के हिकारत का निशाना बन गया है । इसके अंतर्गत जो भाव समाज में मिलने चाहिए था जो सुसंस्कृत व्यक्तियों को मिलना चाहिए था वह नहीं मिला । जिस समाज को इस विभाग ने सुसंस्कृत किया आज वही हिकारत का निशाना हो रहा है। अभी मंत्री जी उत्पादन के बारे में बातें कर रहे थे । माना मंत्री जी आपके आंकड़े हैं लेकिन उत्पादन कैसे आपने किया ? क्या अपने उत्पादन को पड़ोसियों से तुलना किया कि नहीं? बहादुरी इसमें नहीं है कि कितना पैदा कर लिया । बल्कि बहादुरी इसमें है कि पड़ोसियों ने जितनी और जिस भूमि में जितना बीज बोया उसकी तुलना करके बताएं कि हम उनसे कितना आगे हो गये।

यह यदि तुलनात्मक अध्ययन आप सामने हमारे रखते, तो आपको असली तस्वीर दिखाई देती । आपने कहा हमारा उत्पादन निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आप वास्तव में कलेजे पर हाथ रखकर सोचिये कि जो सम्भावनायें आज उत्तर प्रदेश में हैं और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, क्या उसका पूर्ण दोहन आप कर सके हैं ? नहीं कर सके हैं । तो इसके लिये दोषी कौन है ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्पादन का मैक्सिमम लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में वह अभी नहीं प्राप्त किया जा सका है । इसका क्या कारण है ? हमारी जमीन अच्छी है और काफी अच्छी है । यहां तक कि हमारी जमीन पंजाब और हरियाणा से भी अच्छी है, फिर उनका उत्पादन ज्यादा और हमारा कम क्यों है ? हमारे यहां के लोग, करोड़ों टन अनाज पैदा करके दूसरों को खिलाने वाले, आज भुखमरी के शिकार हैं । इसके लिए क्या हम जिम्मेदार हैं? नहीं इसके लिए शासन की नीतियां जिम्मेदार हैं। इस सम्बन्ध में शासन की कोई नीति स्पष्ट नहीं है । कृषि आपके पास है, वैसे व्यक्तिगत रूप से हमारे मंत्री जी दवा-दारू के आदमी हैं, फिर भी मुख्य मंत्री जी ने उनको कृषि सौंप दिया । हो सकता है इसको उन्होंने न देखा हो ।

अब आपके पास कृषि है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश और प्रदेश में कृषि के सम्बन्ध में कहां खड़े हैं । बहुत से प्रदेश ऐसे हैं, जिनकी उपज आपसे

ज्यादा है । मैं अभी थोड़ा सा औसत उत्पादन आपको बताना चाहूंगा । प्रति हेक्टर बता दूं या पूरे जाति का बता दूं ? आंकड़ा आपने हमको सन् 84-85 का 87 में दिया है । यों आप यह सब चीजें हम लोगों को देते ही नहीं हैं । इसके हिसाब से हम जो चावल की उपज है, उसकी औसत उपज जो है प्रति हेक्टर, मैं चाहूंगा कि इस पर माननीय मंत्री जी थोड़ा सा ध्यान दें । हमारे उत्तर प्रदेश में धान का औसत उत्पादन है 18.67 क्वींटल प्रति हेक्टर और मान्यवर, पंजाब में, जहां धान के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुकाबले में भूमि और जलवायु अच्छी नहीं है, 30 क्वींटल प्रति हेक्टर है ।

इसी तरह से और प्रदेशों की आप ले लीजिए । इस संबंध में आज जो हमारे भारत का मानक है वह 18.73 क्वींटल प्रति हेक्टर है । आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं, फिर भी आप कहते हैं कि हमारा उत्पादन बढ़ गया है । हमारी जो उत्पादन की सम्भावनाएं हैं, उसमें यदि पूंजी और श्रम लगाया जाए, तो हम अच्छी उपज कर सकते हैं । उत्पादन में आपका लक्ष्य भी ठीक नहीं है । मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह जो आपने दिया है इसमें दस्तख्त माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के है, उनके नाम से है उन्होंने प्रति वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया था और यह जो दूसरी किताब दी इसमें किसी के दस्तखत नहीं है, किन्तु इनमें दोनों में फर्क है । यह जो मुख्य मंत्री जी का है, सेवेन्थ फाइव ईयर प्लान का 89-90 का वर्ष होगा, उसमें चावल का लक्ष्य रखा गया है । 11,000 । इसमें 1 हजार का गुणा करके मीट्रिक टन के लिए यह 1 करोड़ 10 लाख हो गया और आपने जो लक्ष्य रखा है, वह है 9,700 और फिर 300 बढ़ाकर मीट्रिक टन कर लीजिए, यानी जो लक्ष्य निर्धारित करके नारायण दत्त तिवारी जी ने 1989-90 का रखा, माननीय कृषि मंत्री जी ने उसको कम कर दिया है । माननीय मंत्री जी ने उसको कम कर दिया और कह रहे हैं कि उत्पादन बढ़ रहा है। सेविन्थ फाइव ईयर प्लान के पृष्ठ 210 पर पहले राइस का दिया है । प्लान में लक्ष्य निर्धारित था, इसमें प्रतिवर्ष जो लक्ष्य निर्धारित था, उसे प्राप्त किया या नहीं किया, यदि नहीं किया तो किसकी जिम्मेदारी है ? आपने कुछ कहा नहीं, किसान इतनी मेहनत करता है और आपने उसको छोड़कर, आपने भेज दिया ।

आज यही हालत गेहूं की है । गेहूं का लक्ष्य पहले 24 हजार मीट्रिक टन रखा गया था और 18 हजार 800 आपकी 1989-90 की किताब में दिया गया है । मान्यवर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लक्ष्य निर्धारित किया, सेविन्थ फाइव ईयर प्लान में, आज मुख्य मंत्री जी नहीं हैं लगता है उनमें और इन मंत्री जी में लड़ाई चल रही है, तभी कुछ कम करके दिखाया गया है, जो लक्ष्य रखे गये अगर उन लक्ष्यों को पूरा करते तो उत्पादन बढ़ जाता । उत्पादन के मामले में संक्षेप में कहना चाहूंगा, उत्पादन क्यों नहीं हो रहा है, इसके बहुत से कारण हैं । आपकी जो कृषि नीति है वह स्पष्ट नहीं है । आपका कोई कृषि मूल्य निर्धारित नहीं है, जो सबसे बड़ी परेशानी का कारण है । किसान दिन भर मर-खप कर कृषि का उत्पादन करता है और आप उसको मूल्य नहीं दिला पाते हैं । आप भारत सरकार से पूंछें, दो बिलियन मीट्रिक टन गेहूं अमरीका से मंगाया जा रहा है वह किस रेट से आ रहा है । मान्यवर, वह जो गेहूं अमरीका से आ रहा है भाड़ा आदि मिलाकर 240 रुपये कुन्टल पड़ेगा तो 240 रुपये

आप अमरीका को दे सकते हैं और अपने किसानों के लिए आप 200 तक नहीं पहुंच सकते हैं । 170-172 के करीब आप देते हैं । किसानों को आप मूल्य नहीं दिला पाते हैं, तो सारा उत्पादन जो गल्ले का है वह आने वाले दिनों में कम हो जाएगा और किसान कॉश क्राप्स की तरह डायवर्ट होगा जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आ जायेगी ।

श्री अम्मार रिजवी–

मंत्री जी सुन नहीं रहे हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैं जरा जोर से बोलता हूं क्योंकि मेरा गला फंसता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इनका गला फंसा है डाक्टर के अनुसार इनको कम बोलना चाहिए ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

आपने एक पर्चा बंटवाया जो कपास के बारे में है, तो कपास के आपने कैसे दाम बता दिए ? कृषि की लागत तो आप बता नहीं पाते हैं फिर कपास की लागत आप कैसे बता दिये ? जो पर्चा दिया है इसमें दिया है कि एक हेक्टेयर में शुद्ध लाभ 4 हजार सात सौ होगा, इसमें मानव श्रम, बैल श्रम, बीज, उर्वरक, सिंचाई बाजार व्यय आदि का मूल्य निकालकर आपने बता दिया कि एक हेक्टेयर में इतना लाभ है तो गेहूं का आप क्यों नहीं बता सकते हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि अधिष्ठाता महोदय का परिचय हो जाए ।

श्री अम्मार रिजवी–

चौधरी साहब बराबर सदन में आते हैं और आप जैसी शख्सियत को कौन नहीं जानता ? जो खूबसूरत चीजों को देखते हैं वह कौल साहब को जरूर जानते होंगे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, उत्पादन के लिए खाद बीज और पानी की आवश्यकता होती है । बीज के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जितने बीज की प्रदेश में आवश्यकता है उसका 4-5 प्रतिशत बीज ही आप उपलब्ध करा पाते हैं । यह जो बीज आप देते हैं यह छोटे किसानों को नहीं पहुंच पाता है । आप बीज के पैकेट भी बनवा रहे हैं । आपका बीज बड़े किसानों को ही उपलब्ध हो पाता है, छोटे किसान उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं । आपने फ्री बोरिंग की व्यवस्था की है जिससे छोटे किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध हो गये हैं । वह चाहते हैं कि वह भी उन्नतशील बीज का उपयोग करें और उत्पादन बढ़ायें । लेकिन सरकार की जो बीज उपलब्ध कराने की नीति है वह दोषपूर्ण होने के कारण छोटे किसानों तक बीज नहीं पहुंच पाता है । वितरण व्यवस्था में जो गडबड़ी है उसको आपको देखना चाहिए । आप बीज का वितरण करने के लिए बीज को एग्रो को देते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी वितरण की व्यवस्था कर रखी है । यह जो आपके सीड स्टोर इंचार्ज हैं यह उचित ढंग से वितरण नहीं करते हैं जिससे किसानों को जितने बीज की आवश्यकता है वह उचित मात्रा में और सही ढंग से वितरित नहीं

हो पाता है । मैं इस सम्बन्ध में सुझाव दूंगा कि किसानों से गांवों में आप उन्नतिशील बीज पैदा करवायें । तराई बीज विकास निगम तथा नेशनलसीड कारपोरेशन, यह जो संस्थायें हैं यह अच्छे बीज उपलब्ध करवाती हैं तथा फर्मों पर भी बीज का उत्पादन होता है । फर्मों पर फाउंडेशन सीड बीज नहीं, सर्टीफाइड बीज होते हैं ।

वहां पर जो बीज होता है वह किसानों तक पहुंचते-पहुंचते 3-4 बार का हो जाता है जिससे उसकी उपयोगिता कम हो जाती है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि न्यूक्लियस ब्रीडर से तैयार करें ब्रीडर कांउडेशन सीड उपलब्ध करायें नहीं तो जितनी बीज उपलब्ध होता है उससे काम चलने वाला नहीं है । जब बुवाई के सीजन खत्म हो जाता है तो सीड स्टोर इंचार्ज बीज लिए घूमते हैं और कहते हैं बाबू आप खरीद लो नहीं तो तन्ख्वाह कटने वाली है ।

मान्यवर, बीजों के बारे में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में जो कहा गया है उसको मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह जो 1984-85 का प्रतिवेदन है उसके पेज 119 पर कहा गया है कि जिला कृषि अधिकारी (डी0 एफ0 ओ0) नैनीताल के अभिलेखों की नमूना जांच में यह देखा गया कि वर्ष 1983-84 की अवधि में जबकि सोयाबीन का बाजार भाव 340 रुपये क्विंटल था कृषकों को सोयाबीन बीज 290 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 320 रुपया प्रति क्विंटल निर्गम दर में से 100 रुपये की दर से पूरे उपादान का संभरण करने के बाद, उपलब्ध कराया गया। तो इसमें बीज को न देकर सब्सिडी दे दी गयी है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बीज दिया गया है वह सब स्टैन्डर्ड दिया गया है। पेज 120 पर इसके बारे में दिया गया है जो आप पढ़ लीजियेगा। यह किताब मैं आपको दे दूंगा। इसको पढ़कर आप विभाग से पूछ लीजियेगा कि यह चीज क्यों हुयी है?

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं खाद के वितरण के बारे में आप खाद का वितरण जिस ढंग से करा रहे हैं वह न्यायपूर्ण नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके अगल बगल के पड़ोसी राज्यों में आपसे ज्यादा खाद का प्रयोग हो रहा है। आप तुलना करें एन0 पी0 के0, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास का प्रयोग आपके प्रदेश की अपेक्षा हरियाणा, गुजरात, पंजाब, तामिलनाडु में अधिक हो रहा है । मैं एक लाइन पढ़कर समाप्त करूंगा कि वह कितना प्रयोग करते हैं और आप कितना प्रयोग करते हैं। यह जो आंकड़े हैं यह 1984-85 के हैं। उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर 54.8 किलोग्राम खाद का प्रयोग किया गया है जबकि पंजाब में 151.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया गया है । मेरे कहने का मतलब है कि आंध्र का देख लीजिए, तो 75 किलो ग्राम है, गुजरात का आप देख लीजिए, तो 76 किलोग्राम है, एसे-एसे 57 किलो ग्राम है। यह 84-85 के आंकड़े हैं। खाद का प्रयोग उत्पादन में किसानों को अधिक से अधिक करना चाहिए, वह उत्तर प्रदेश में कम है। उत्पादन आप प्रति हेक्टेयर जब तक नहीं बढ़ायेंगे , तब तक उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है । आपको मालूम होगा कि 10 हजार करोड़ रुपया भारत सरकार ने विभिन्न कम्पनियों को दिया था कि एटेक्स को देंगे, इस एटेक्स के माने हैं, कृषि, सहकारिता और एग्रो। किसान को खाद मिले, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। 102 रु0 में आपको खाद मिली, और आपने 123 रु0 में बेंच दिया, एक बोरी में 21 रु0 का आपको लाभ मिला। जब माननीय

रघुबर दयाल वर्मा जी ने सदन में यह मामला उठाया, तो आपने 114 रु0 कर दिया। प्राइवेट दूकानदारों को जब यह मिली, तो बाजारों में 102, 103 और 104 रु0 में मिलने लगी। इसे आपको उचित सब्सीडाइज्ड रेट पर देना चाहिए, लेकिन आपने उचित सब्सीडाइज्ड रेट पर नहीं दिया। आपके खाद का भाव कम हो सकता था, आप उत्तर प्रदेश से खाद पर जो सेल्स टैक्स है, उसको माफ करा दीजिए। यदि आप इसे केन्द्र से नहीं करा सकते हैं, तो आप रिछारिया जी से बात कर लीजिए, और खाद को सेल्स टैक्स से फ्री कराइये ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

जरा धीरे-धीरे बोलिये ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

खाद के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह खाद हमको सही मिल रही है या गलत मिल रही है, खाद के लिए आपको छापा डालना चाहिए, आपको नमूना लेना चाहिए। यह जो आपने इसमें नमूना की बात कही है, नमूना आपने छोटे व्यापारियों का लिया। आपके बी0 डी0 ओ0, डी0 ए0 ओ0 5 रु0 मांगने के लिए चला आता है, गरीब आदमियों की दूकानों पर। छापा आपने छोटे दुकानदारों पर मारा और छापे डाल कर आपने उन छोटे-छोटे दुकानदारों के लाइसेंस खत्म कर दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने किसी फैक्टरी पर भी कोई छापा डाला? जनता सरकार के जमाने में 26 कारखानों पर छापे डाले गये। आप इन फैक्टरियों पर छापे नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव में आपको उनसे चन्दा लेना है। आपने अगर वर्ष 80 से लेकर आज तक किसी भी फैक्ट्री पर छापा डलवाये हों, तो आप बताइये? मैं माननीय नरेन्द्र सिंह को एक मामले में बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने बस्ती में जहां पर खाद बनती थी, वहां पर एक डिप्टी एस0 पी0 को भेज कर छापा डलवाया था ।

(व्यवधान)

मेरे यहां, मेरे सामने एक दुकानदार इफको से खाद ले आया, बोरी खोली नहीं, सैम्पलिंग हो गयी, और उसे जेल भिजवा दिया गया, वह तीन महीने तक बन्द रहा। मेरा आपसे कहना है कि आप सीधे खाद के लिए इन फैक्टरियों पर छापा डलवाइये। अगर ये सब स्टैन्डर्ड हैं, तो इनके लाइसेंस निरस्त करवाइये।

श्री अधिष्ठाता–

कितना समय लेंगे?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में खतम कर देंगे।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, पाण्डेय जी, बाद में अपने सुझाव दे लेंगे माननीय सदस्यों को अपनी-अपनी बात कहनी है वह कह लें ये सिवाय कटौती के और कोई बात तो करेंगे नहीं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं जल्दी ही खत्म करूंगा।

मान्यवर, कृषि रक्षा उपकरणों के बारे में और कीटनाशक दवाओं के बारे में कहना चाहता हूं। आपने कीटनाशक दवाओं में छूट दी, यह छूट होनी चाहिए इसके लिए

धन्यवाद भी दूंगा लेकिन माननीय मंत्री जी, क्या आप इस चीज को दूसरे ढंग से किसानों से वापस लेना चाहते हैं। कृषि रक्षा उपकरण बिकवायेंगे एग्रो से दो तरह के बिकते हैं आई0 एस0 आई0 मार्क और क्वालिटी मार्क। क्वालिटी मार्का 500-600 रुपये में पड़ता था और 50 प्रतिशत उस पर छूट मिलती थी तो वह 300 का पडा और जो एग्रो के माध्यम से आई0 एस0 आई0 का बिकवाना चाहते हैं जब कि एग्रो उसका उत्पादन नहीं करता है, उसको बनाता नहीं है। उसका लागत मूल्य आता है 1150 रु0 और छूट देने जा रहे हैं 500 रुपये को तो आप किसानों को दे क्या रहे हैं आप अपना रुपया एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ से ले लेते हैं। एग्रो है उसमें चन्देल साहब को चेयरमैन बना दिया, आराम करें, खायें पियें। तो यह जो आई0 एम0 आई0 मार्क उनको दे रहे हैं तो एक तो इण्डस्ट्री नियमों के अन्तर्गत इसका टेन्डर होना चाहिए आई0 एस0 आई0 और इन दोनों का टेन्डर होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि इसको आप देखें क्योंकि जो दर्द पीड़ा उस किसान के प्रति हम लोगों को होती है वह इन अधिकारियों को नहीं होती है इनका तो बस एक नजरिया है कि प्रशासन को कैसे चुस्त रखें इसलिए इसको आप अपने ढंग से देखें।

मान्यवर, कीटनाशक दवाओं के बारे में कहूंगा कि आप जब तक इसको सही ढंग से नहीं बिकवायेंगे तब तक किसान को लाभ नहीं मिलेगा दूसरा यह है कि इसका नाम हिन्दी में करवायें इतना अंग्रेजी में नाम है कि गांव वाले नहीं जान पाते हैं। मैं विज्ञान तो पढ़ा नहीं हूं नाम अंग्रेजी में है मुझको भी कठिनाई होती है। इनके नाम का हिन्दीकरण करवायें यह कोई आवश्यक नहीं है कि जर्मन में खोज हुई तो जर्मनी में नाम हो गया जैसे मैमेदशन है इसको वी0 एच0 सी0 डस्ट भी कहते हैं इसको गांव वाले नहीं कह पाते हैं इसी तरह से जैसे एल्डरीन है एल्डरीन गांव वाले जान गये हैं यह तमाम नाम है इनकी हिन्दीकरण करायें, तो इसको आप एग्रो के माध्यम से बिकवा रहे है, एग्रो के पास कुछ है नहीं एग्रो दूसरे से खरीद कर जो निर्धारित मात्रा में दाम है उससे ज्यादा बताता है। मैं चाहता हूं कि इसको आप सुधारें और किसानों को सस्ते दामों पर उपलब्ध करावें। बीज और कृषि उपकरण के साथ-साथ गेहूं में जो रोग लगता है उसमें एक दवा सबसे ज्यादा काम आती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैरा का रोग गेहूं और धान सबमें लगता है जिंकसल्फेट उसमें काम आता है। जिंकसल्फेट पिछली बार कम हो गया है मैंने इसके लिए मंत्री जी से कहा था, बस्ती जनपद में जिंक की कमी हो गयी और इसकी कमी के कारण खैरा रोग लग गया। आपने जिंक का टेण्डर किया दिल्ली से, हमारे पी0 ओ0 ने उसको टेस्ट करवाया वह सबस्टेन्डर्ड था, उसको रोक दिया गया। मान्यवर, यह कीटनाशक दवा खेत में फसल बोने के पहले 2 महीने पहले, 4 महीने पहले कृषि गोदामों में पहुंचा दी जाय जितनी आसानी से किसान को मिल सके। अगर देर से मिलता है तो कोई फायदा नहीं है। मैं खुद नहीं पाया और मेरी फसल बेकार हो गयी, तो साधारण आदमी को कैसे मिलता होगा। भूमि सुधार के बारे में मा0 मंत्री जी ने कहा कि 18 लाख हेक्टेयर ऊसर है और 11 लाख हेक्टेयर के करीब बीहड़ है और ऊसर और बीहड़ का सुधार किया जाय तो प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में जितनी वृद्धि होगी वहीं प्रति व्यक्ति प्रति एकड़ दवाब भी कम होगा। इसके लिए आपने भूमि सुधार निगम बनाया है, चौधरी तैलंग अध्यक्ष हैं, उन्होंने कितना काम किया है? इतना ही सुधार किया कि बताया कि किसी जनपद में 16

हेक्टेयर और किसी में 8 हेक्टेयर, यह आपकी किताब के पन्नों में लिखा है। अलीगढ़ की जिला योजना में लिया है। कितना सुधार किया। कोई विशेष सुधार नहीं किया है। क्यों नहीं उस जमीन को वापस लेकर किसानों में बंटवा रहे हैं। प्लानिंग कमीशन की बैठक हुई थी, मा0 मुख्य मंत्री जी गये थे। उसके वाइस चेयरमैन सरदार हैं, वह भी आये थे। मेम्बर आए थे। उनके सामने आपने स्वीकार किया कि ऊसर सुधार तो नहीं हो रहा है, रुक भी नहीं रहा है, बढ़ रहा है। इसकी बढ़ोत्तरी रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। ऊसर दो प्रकार का है। एक काफी खराब है, उसका तकनीकी नाम समझ लीजियेगा और दूसरा सुधरने लायक है। सुधरने लायक को सुधारना चाहिए और जो सुधरने लायक नहीं है, उस पर अनावश्यक परिश्रम करके गरीब जनता का पैसा खराब नहीं करना चाहिए और सुधार के बाद उसे दे देना चाहिए।

तीसरे मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कहा उद्यान के बारे में, तो हार्टीकल्चर एक ऐसा विषय है जिसकी ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि गेहूं और धान का उचित मूल्य नहीं मिल सकता है और किसान की आर्थिक दशा खराब होती जा रही है, इसलिए लोगों का रुझान हार्टीकल्चर की ओर है। इसका कोई डायरेक्टर नहीं है। आई0 ए0 एस0 को कहां-कहां लगायेंगे। कुछ दिन बाद आई0 ए0 एस0 को मंत्री भी बनायेंगे। हार्टीकल्चर का काम आई0 ए0 एस0 देखेंगे। प्रदेश में इसमें न मैदान में कोई डायरेक्टर है और न पहाड़ पर। एक आई0 ए0 एस0 स्पेशल सेक्रेटरी बैठा दिया गया है। यहां तक क्षम्य था, लेकिन उन्होंने दैनिक वेतन पर तीन सौ रुपये रोज पर एक सहायक मंगा लिया। इतनी तनख्वाह तो चीफ सेक्रेटरी को नहीं मिलती होगी, भारत के राष्ट्रपति की तो अब बढ़ गयी है। तो तीन सौ रुपये रोज पर सलाहकार बुलाये गये जो सहायता करेंगे। यह क्या करेंगे? तमाम डायरेक्टर होंगे, क्यों नहीं उनको प्रोमोट करके बैठा देते। अच्छे से अच्छे लोग होंगे। बिनी तकनीकी ज्ञान के हार्टीकल्चर कैसे चलेगा। हिमांचल प्रदेश का एरिया हमारे यहां से कम है लेकिन उनका सेब पूरे हिन्दुस्तान में फैला रहता है। आपकी बिक्री नहीं होती है। हमारी जमीन माना कि उपयोगी नहीं है सेब के लिये, लेकिन उसके लिए प्रयास करना चाहिए। जमीन ही नहीं, खेत, खाद, माहौल और परिश्रम आवश्यक होता है। कोई डायरेक्टर नहीं है तो कौन करेगा। हिमांचल प्रदेश में सरकार की ओर से सेब की खेती के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, पैकिंग के लिए तथा और भी तमाम सहायता दी जाती है। पैकिंग फ्री करवाई जाती है और उसको भारत भर में बिकवाने की कोशिश की जाती है। आपके पास कुछ है? डायरेक्टर यहां देखे, हार्टीकल्चर देखे या पहाड़ देखे। यही कारण है कि पहाड़ में जो संसाधन हैं, जो दोहन होना चाहिए, शोषण होना चाहिए और उसका शोषण हमारे सामने लाकर गरीब से गरीब आदमी तक पहुंच जाय, ताकि गरीब आदमी तक पौष्टिक आहार पहुंच जाय, इसकी कोशिश करनी चाहिए। तो या तो उसको समाप्त कर दें या उसका डायरेक्टर बना दें। आपका सचिव पर नियंत्रण नहीं है। आप दबंग व्यक्ति थे। मैं नियमों के परे जाने को नहीं कहता। टिप्पणी करने का अधिकार उनको है तो आपको समय निर्धारित करने का अधिकार है। यह क्यों होता है कि 3-3, 4-4 महीने तक टिप्पणी ही नहीं आती। आपको आदेश देना चाहिए कि 7 दिन में टिप्पणी आ जाय। मुख्य मंत्री जी आप फाइल ले नहीं जाएंगे, आप तो बहादुर आदमी हैं।

पता नहीं क्यों डर जाते हैं । आप बहादुरी से मुकाबला करिये । उनसे देश का उद्धार नहीं होना है। यह उद्धार आपसे होना है, जनप्रतिनिधियों से होना है। आपके हाथ में पालिसी की बात है। यह कार्यान्वयन के लिये है। यह कार्यान्वयन भी करेंगे, पालिसी भी बनायेंगे, सभी करेंगे, इन पर रोक लगाइये। हार्टीकल्चर को डेवलप करके मसाले की खेती हो सकती है। आम वहां का इतना बढ़िया है कि उसको विदेशों में निर्यात कर सकते हैं। स्वादिष्ट, जल्दी बिकने वाला आम हमारा विदेशों में जा सकता है। चौसा जो है जल्दी खराब हो सकता है। दशहरी है वह विदेशों में खासकर खाड़ी के देशों में भेजा जा सकता है। लेकिन आपकी भेजने की व्यवस्था नहीं है। महाराष्ट्र सरकार अपने यहां परिवहन में अनुदान देती है व्यापारियों को। आप उनको कुछ नहीं देते। आप भी सुविधा दें, वह हवाई जहाज से अपना आम विदेशों में भेजें, वहां बिके। मसाले का उत्पादन बढ़ाये। महाराष्ट्र प्याज हमको सप्लाई करता है। इतना बड़ा भूभाग हमारा इतना अच्छा मौसम यहां रहता है भूमि है, प्याज मंगा रहे हैं नासिक से। अगर हार्टिकल्चर को बढ़ाया जाता तो स्थिति यहां की अच्छी होती। एक जिले पर आदमी बैठा रहेगा, ब्लाक पर आपका कोई प्रतिनिधि नहीं होगा, तो नहीं बढ़ सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आम के बहुत बड़े-बड़े बाग हुआ करते थे। एक-एक पेड़ में 4-4 10-10 ट्रक लकड़ी होती है। वह सारे के सारे कटते जा रहे हैं। कलमी आम से गांवों की जरूरत नहीं पूरी कर सकते हैं। पुराने बड़े-बड़े बाग को सुरक्षित कराइये, उनको विकसित कराइये, उनमें नयी वेरायटी का इस्तेमाल हो। उनमें शोध हो। ताकि आम आदमियों को सस्ता आम मिल सके।

आलू 62 मीट्रिक टन पैदा हो गया है, पैदा आपने नहीं किया आप तो उसके उत्पादक है नहीं। किसान मजबूर होकर गेहूं से मूल्य हटा, आलू की तरफ बढ़ा 62 लाख मीट्रिक टन पैदा हुआ उसकी भंडार की व्यवस्था कर दी? भंडारण की व्यवस्था कितनी की 26 लाख मीट्रिक टन की। आलू हुआ 62 लाख मी0 टन और भंडारण की क्षमता 26 लाख मी0 टन बाकी कहां जायेगा 36 लाख मी0 टन। आपकी बाहर भेजने की व्यवस्था समुचित है नहीं। पहले हमारे यहां का असम और बंगाल की तरफ जाया करता था। आप वैगन उपलब्ध नहीं करा सकते, बाहर भेज नहीं सकते, गोदामों में रख नहीं सकते। मान्यवर, मैं आलू बोया हूं। आप जाकर देखें कोल्ड स्टोरेज में कितनी लाइनें लगी हुई हैं। बाराबंकी में कोल्ड स्टोरेज पर लम्बी लम्बी लाइनें लगी हुई देखी हैं। आलू रखने के लिए नम्बर लगाना पड़ता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को धन्यवाद दूंगा जब वे मंत्री थे, तब हमारी तहसील में पी0 सी0 एफ0 का गोदाम बना है 40 हजार का, भरता नहीं था अब उसमें नम्बर लगाना पड़ता है। मैं स्वतः नम्बर नहीं लगा पाया रखने का। मैं कहना चाहता हूं कि भंडारण की समुचित व्यवस्था कराइये। लागत मूल्य आता है । रुपये । आप मूल्य क्या दिलवा रहे हैं 75 रु0 यही आपकी आलू नीति है ?

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने कहा कि उनके यहां एक पी0 सी0 एफ0 का गोदाम बना।

(व्यवधान)

(इसी मध्य राज्यपाल दीर्घा से दो लोगों ने सदन में पर्चे फेकने की कोशिश की और "डी0 एम0 एस0 एस0 पी0 हटाओ, जिला बचाओ, वहां वकीलों की अनिश्चित-कालीन हड़ताल है। डी0 एम0 एस0 एस0 पी0 हटाओ, फतेहपुर बचाओ के नारे लगाये गये)।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय सदस्य पाण्डेय जी ने कहा कि उनके यहां माननीय मुलायम सिंह जी ने एक गोदाम बनवा दिया। जो कभी भरता नहीं था, अब उसमें नम्बर लगाना पड़ता है। यह तो खुशी की बात है। जब इनकी सरकार आयी गोदाम बनवा दिया, पैदावार को देखा नहीं इसलिये उसका उपयोग नहीं हुआ। जब हमारी सरकार आयी तो इतना उत्पादन वहां बढ़ गया कि वहां रखने की जगह नहीं है। आपको तो हमारी सरकार को बधाई देना चाहिए। यह सरकार तो बधाई की पात्र है, आलोचना की नहीं।

श्री माता प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, भाई रघुराज प्रसाद जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनको जवाब नहीं दूंगा। यह आपको खुद सोचना चाहिये कि मुलायम सिंह जी ने कितनी अधिक सम्भावनाओं का पता लगाया, जिसमें आपकी सरकार फेल है। इन्होंने सोचा कि यह कोल्ड स्टोरेज बन जायगा तो आलू की पैदावार बढ़ जायगी, उसके भंडारण की व्यवस्था हो जायगी और इन्होंने यह भी सोचा कि हम किसानों को हार्टीकल्चर में भी दे सकते हैं। अगर हल्दी, मसाला नहीं दे सकते तो कम से कम आलू के लिये ही व्यवस्था करें। मैं इसीलिये मुलायम सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। आपकी सरकार का उदाहरण सामने है आलू पैदा हुआ 62 लाख मीट्रिक टन और भंडारण क्षमता है इनकी केवल 26 लाख टन की। कहां जायेगा यह आलू ?

मैं दूसरी एक बात और मंडी समिति के बारे में कहना चाहूंगा। मंत्री जी ने कई चीजें बताई और सड़क बनाने को कहा ? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मंडी समिति इसलिये नहीं बनी थी कि एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी उसका चेयरमैन बन जायगा, डायरेक्टर बन जायगा। मान्यवर, मंडी समिति इसलिये बनी थीं कि उससे किसानों का कुछ फायदा होगा और चुने हुये लोग उसमें ऊपर से नीचे तक रहेंगे। मान्यवर, मंडी समिति जबसे बनीं, यह समय के थपेड़े के साथ इनके चुनाव सम्पन्न नहीं हो सके और आज मंडी समितियां आई0 ए0 एस0 के हाथों की कठपुतली बन कर रह गयी है। यह आज के आई0 ए0 एस0 अधिकारी उसके कौन हैं, उनसे इस मंडी, समितियों का कुछ उद्धार होने वाला नहीं है, वह मंडी समिति को देखने थोड़े आये हैं। मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि मंडी समिति में आपकी कुछ भी चल नहीं रही है और न मंडी समिति में आपका कोई नाम लेने वाला है तो फिर आप मंडी समिति काहे को बनाये हुये हैं। इसी तरह 9आर, 6आर की बात है, आप उस पर बढ़ाकर शुल्क क्यों लेते हैं। शुल्क तो आपको तब लेना चाहिये जब आपकी मंडियों में लोग आवें और मंडियों में बैठकर इसकी बोली लगे। जब बोली लगती ही नहीं, दाम चढ़ता ही नहीं है, तो किस बात का शुल्क लेते हैं। लेकिन आपने तो इस तरह करोड़ों रुपया जमा कर लिया और किसान

को कोई फायदा नहीं । आपने कहा कि सड़क बनवा रहे हैं, मान्यवर, किसान कोई आपका नहीं है, किसान सबका है और मंडी समिति में सुधार करना आपके लिये बहुत जरूरी है । 6आर, 9आर के चलते जो आप वहां पास काटते हैं, इससे लाखों रुपये के सेल्स टैक्स की चोरी होती है, इनकम टैक्स की चोरी होती है । जहां तक 6आर का मामला है, इस पर आप चेक लगाइये और खुलेआम बोली के माध्यम से कराइये । मान्यवर, इसी तरह मंडी अधिनियम जब से बना है, उसने किसानों का बंटाधार कर दिया है । मान्यवर, बाराबंकी में, लखनऊ में मंडी समिति बनी हैं, आप जाकर देख लीजिये वहां घोड़े-गधे बंधे रहते हैं । हमारे भाई रघुराज प्रसाद पूरब में चले जायें और जाकर खुद देख लें कि वहां मंडी समिति में क्या होता है ? इन मंडी समितियों की जो उपयोगिता थी, उसको आप नहीं ले पा रहे हैं और आप मकान बनाकर व्यापारियों को उसमें दे रहे हैं ।

इसी प्रकार मान्यवर, हाईकोर्ट जो है, वह एक समानान्तर मंडी समिति बन गया है, बड़े आराम से लोग वहां चले जाते हैं और स्टे लेकर चले आते हैं । आप मंत्री जी जब इसका उत्तर देने के लिये खड़े होइयेगा, तब इसके बारे में भी जवाब देकर बताइयेगा । मैं बाद में आपको इसका ब्योरा बताऊंगा । आपके जो अधिकारी हैं, वह ठीक से हाईकोर्ट में पैरवी नहीं कर पाते हैं । मान्यवर, मंडी समिति के माध्यम से चाहे सेल्स टैक्स के मामले में हो, चाहे और किसी तरह के मामले में हो, किसानों को सुविधा देनी चाहिये । मेरे यहां बस्ती में सबसे बड़ी मंडी इटवा में है आप वहां जाकर देख लें । वहां कोई सुविधा नहीं है । वहां सचिव आता है, मैं तो उसको पहचानता भी नहीं ।

[समय 12 बजे मध्यान

और रुपए लेकर वह चला जाता है । इटवा से मण्डी शुल्क के रूप में 54 हजार रुपए आता है, परन्तु वहां न कोई नांद है और न कोई टेन्ट है । मण्डी सचिव के पास जाते हैं तो वह कह देता है कि एस0 डी0 एम0 के वहां जाओ । डाईरेक्टर तो आपका यह कुछ करता नहीं है । मुख्य मंत्री के यहां चला जाता है । हां, यह जरूर है कि आपका मण्डी सचिव एस0 डी0 एम0 का बड़ा वफादार है । अच्छा तेल, अच्छी दाल, अच्छा चावल आदि तथा ब्रांनियों के वहां से उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर देता है । सारे साधनों का आधा खर्चा तो आपके एस0 डी0 एम0 व मण्डी सचिवों के जेब में चला जाता है । आप इन पर चुनाव क्यों नहीं करा देते हैं ? यदि आप चुनाव भी नहीं करा सकते हैं तो नोमिनेट ही कर दीजिए । मण्डी समितियों के बारे में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है । वर्ल्ड डेवलपमेन्ट रिपोर्ट, 1986, पब्लिसड फार दि वर्ल्ड बैंक, आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी के पेज 61 पर लिखा है:—

इन एडीसन गवर्नमेण्ट इन्टरवेन्शन्स एट आल स्टेजेज आफ प्रोडक्शन कन्सप्शन एण्ड मार्केटिंग आफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एण्ड इनपुट्स दो अण्डरटेकिन टू इम्प्रूव दि एफिशियेन्सी आफ मार्केट्स हैव फ्रीक्वेयेन्टली रिजल्टेड इन ग्रेटर

इनएफीसियेन्सीज एण्ड लोअर आउटपुट एण्ड इनकम्स एज ए कान्सीक्वेन्स फार्म इनकम्स इन मेनी डेवलपिंग कन्ट्रीज आर स्टेगनेटिंग एण्ड लिटिल प्रोग्रेस इज बिंग मेड इन ओवरकमिंग दि प्राबेलम्स आफ पावरटी ।

कृषि उत्पादनों तथा उसमें काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन, खपत और विपणन के लगभग सभी स्तरों पर सरकारी हस्तक्षेप होने से बड़ी अक्षमता पैदा हुई है । हालांकि ऐसा इसलिए किया गया था कि किसानों के उत्पादन को बाजार की सुविधा मिल जाये । इस सब का परिणाम यह हुआ कि विकासशील देशों में कृषि से होने वाली आमदनी में बढ़ोत्तरी नहीं हुई और गरीबी की समस्या दूर करने में कृषि से बहुत कम मदद मिल पायी है ।

मण्डी अधिनियम में किसानों को जकड़ने व व्यापारियों को जकड़ने का ही यह परिणाम है । विश्वविद्यालयों के बारे में मेरा यह कहना है कि ये विश्वविद्यालय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की कल्पना को साकार करने के लिए थे । उनके हृदय में किसानों के प्रति एक भावना थी और एक दर्द था । किसानों के हितों के लिए इन विश्वविद्यालयों की रचना की गई थी, परन्तु आज ये तीनों विश्वविद्यालय राजनैतिक अखाड़े बन गये है । गोविन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर और फैजाबाद का कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक और वाइस चान्सलर तथा एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक से तथा एडमिनिस्ट्रेसन के लोग नये-नये झगड़े पैदा करवा रहे हैं, फलस्वरूप इन विश्वविद्यालयों में जो शोध का काम होना चाहिए था वह शिथिल होता जा रहा है । मैंने पंतनगर विश्वविद्यालय को गहराई से देखा है । मैं भी उसके बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट का सदस्य रहा हूं । उस समय श्री भूरे लाल जी व श्री बजाज जी जैसे लोग इसके सदस्य हुआ करते थे । किस तरह से इन विश्वविद्यालयों को राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है । वाईसचान्सलर व प्रोफेसरों की गुटबाजी के कारण, जिस पंतनगर विश्वविद्यालय का नाम पूरे एशिया में था और जिसका नाम पूरी दुनिया में था ।.....

जिसने हरित क्रान्ति लाने में सबसे बड़ा योगदान दिया, आज अवनति के कगार पर है, बन्द है । कानपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों को चयनित किया, बोर्ड आफ मैनेजमेंट में एप्रूवल कुछ का नहीं हुआ, 4 मार्च को आदेश जारी कर दिया कि कोई नियुक्त नहीं की जायगी। अगर चयन समिति ने सेलेक्शन कर लिया, बोर्ड में रखा गया, एप्रूव नहीं कराया गया, उनको ज्वाइन करा लिया गया, कहा जाता है कि वहां प्रोफेसर नहीं रहेंगे। फैजाबाद की भी यही हालत है। सारी यूनिवर्सीटियों में पार्टीबाजी और गुटबन्दी के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे हैं।

चन्द्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, जो 15 मार्च को सदन में रखी गयी, उसके बारे में एक टिप्पणी की गयी है, उसको सुना देना चाहता हूं। चन्द्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय के बारे में लिखा गया है कि, "चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर स्थापना (1975) के समय से अब तक के अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये। विश्वविद्यालय ने 1977 में 2000 एकड़ बीहड़ भूमि कृषि योग्य बनाने तथा शोध एवं विस्तार केन्द्र

की स्थापना के लिए खरीदी परन्तु न तो भूमि का विकास किया गया और न ही कोई शोध कार्य प्रारम्भ किया गया। वर्ष 1983-84 से 1985-86 के दौरान विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय बीज परियोजना में 26975 क्विंटल के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 3617 क्विंटल बीज/अनाज का उत्पादन कर सकी। धान की कुटाई हेतु संभागीय विस्तार सेवा केन्द्र की दिसम्बर, 1976 में स्थापना का कार्यक्रम भी कार्यान्वित नहीं किया गया। विश्वविद्यालय का शोध, परीक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र भी यथोचित कर्मचारियों तथा विद्युत के अभाव में प्रभावशाली रूप से कार्य नहीं कर सका।" मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं लेखा-जोखा जारी हुआ ?

पंतनगर को आपने इतने फार्म दे दिये, सितारगंज का फार्म दे दिया। बहुत बड़ा फार्म दे दिया, बीज पैदा करने के लिये था, कामर्शियल क्राप के लिये नहीं दिया था, शोध के लिए दिया था। आज जितने भी विश्वविद्यालय हैं कामर्शियल क्रांप पैदा करने में लगे हैं क्योंकि वहां के अधिकारियों/कर्मचारियों का उससे व्यक्तिगत लाभ होता है। मेरे पास लिखा हुआ है, मैं आपको भेज दूंगा। मेरा कहना यह है कि यूनिवर्सिटीज को आप सीधे महामहिम राज्यपाल के माध्यम से निर्देश जारी कराइये, उनकी स्वायत्तता को बरकरार रखिये लेकिन आई0 ए0 एस0 वहां मत रखिये, कृषि वैज्ञानिकों को नियुक्त करिये, जो उनके दर्द को समझ सकें और जो अपेक्षित परिणाम देने के लिए कहें। अपेक्षित परिणाम न दें तो आप ग्राण्ट देना बन्द कर दीजिये अगर आप ठीक नहीं कर सकते, शोध में सुधार नहीं ला सकते। पिछले 3–4 वर्षों से शोध की कोई नई वैरायटी नहीं निकली। फैजाबाद ने धान की वैरायटी में ऐसा धान निकाला है, बहराइच का धान तो आपने देखा होगा कितना नर्म और मुलायम होता है, वैसा धान नहीं निकल पा रहा है। धान की क्वालिटी को डेवलप करिये। बासमती का स्कोप तो बहुत कम है। जो नई वैरायटीज हैं, उसका टर्म्स आफ रेफरेंस बनाकर दीजिये कि अमुक-अमुक पर शोध का काम किया जाय।

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, हम लोगों को भी इस पर बोलना है इनसे कहिये कि अब ये खत्म करें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

तो मैं कह रहा था कि फैजाबाद में शोध के लिये जिन विषयों को लिया गया है उसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही है। हां, झाड़ी के संबंध में शोध का कार्य अच्छा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही साथ गेहूं और धान आदि की विभिन्न वेराइटी के लिये भी शोध होना चाहिये। न्यूक्लियस से बीज तैयार होता है और जब वह बड़े-बड़े फार्मों पर चला जाता है और जब उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है तब वह किसानों को दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि इसे आप सीधे किसानों को क्यों नहीं देते हैं कि सीधे किसानों के घरों में जाय ? जनरली आप नेशनल सीड कारपोरेशन को देते हैं क्यों नहीं आप विश्वविद्यालय से सीधे इसे किसानों को दिलवाते हैं ? इसमें आप बीच में बिचौलियों को न लायें।

मान्यवर, इसी आशा और विश्वास के साथ इस सदन को माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि यह कृषि का अन्तिम बजट है । कृषि हमारे देश और हमारे प्रदेश की आधारशिला है । कृषि से हमारा जन्म से मृत्यु तक नाता है इसलिये हम चाहते हैं कि कृषि हमारे प्रदेश में खूब उन्नतशील हो क्योंकि हम कृषि के बीच में ही पले और बढ़े हैं और आगे भी इसके बीच में रहेंगे । मैं चाहता हूं कि कृषि के बारे में माननीय सदस्यों के द्वारा अच्छे से अच्छे सुझाव आयें, मैं उनके सुझावों को आमंत्रित करता हूं जिससे कि आगे आने वाले साल प्रदेश के लिये अन्न के भण्डार से परिपूर्ण हों । अभी तो मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस पर वे अपने सुझाव दें, उसके बाद मैं फिर उत्तर भाषण में अपनी और बातों को रखूंगा ।

राज्यपाल दीर्घा से सदन में पर्चा फेंके जाने के संबंध में जानकारी

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न यह है कि अभी राज्यपाल दीर्घा से सदन में एक पर्चा फेंका गया और दो महानुभावों ने नारेबाजी की । उनको क्या परेशानी थी, क्या आपत्ति थी और किस सदस्य ने उनको पास दिया था इसकी पूरी जानकारी आप सदन को दें । उन्होंने जो कुछ कहा है उसे सदन के संज्ञान में लाया जाय और उन्हें स्वयं भी सदन में लाया जाय ताकि सदन उनसे पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया ? सदन न्यायालय में परिवर्तित करके उनको यहां कटघरे में प्रस्तुत किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

पर्चे की जांच हो रही है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

पर्चा तो अभी भी यह पड़ा हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी देख रहे हैं, इस संबंध में निर्णय से आपको सूचित किया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक विकास), अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (क्रमागत)

श्री गोरखनाथ–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कृषि के बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और माननीय पाण्डेय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं, यद्यपि वे विद्वान व्यक्ति हैं फिर भी मैं उनके कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

मान्यवर, आजादी के पहले हमारे देश और प्रदेश की क्या स्थिति थी यह सब लोगों को विदित है । सभी को इसकी जानकारी है कि हमारे गांव के गरीबों को, बड़े-बड़े किसानों को भर पेट भोजन नहीं मिलता है । वे दोनों टाईम उपवास करते

थे । लोगों के घरों में खाने की सामग्री नहीं रहती थी । आज हम इस स्थिति में हैं कि विदेशों में भी अन्न भेजते हैं और अन्न की स्थिति में अब हम आगे बढ़ रहे हैं । हमारे प्रथम प्रधान मंत्री, भूतपूर्व प्रधान मंत्री, पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश के कृषि के विकास की नींव डाली थी ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न यह है कि कृषि जैसे महत्वपूर्ण मसले का बजट पेश हो रहा है और माननीय कृषि मंत्री जी इस समय सदन में हैं नहीं और माननीय राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनको कम सुनाई पड़ता है, कैसे काम चलेगा ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री शिव बालक पासी)–

मान्यवर, इनकी तो आदत है, हर बात में बोलने की । सदन का सारा का सारा कार्य स्वयं सम्मानित सदन नियमों के तहत चलता है और चल रहा है । . . .

श्री गोरखनाथ–

मान्यवर, 1958 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ही सरकार ने अधिक अन्न उपजाओ "ग्रोमोर फूड स्कीम" चलाया, जिसके तहत खा, कृषि यंत्र तथा सुधारे बीजों का प्रयोग कर पैदावार बढ़ाने का प्रयास किया तथा 1962 में सघन कृषि विकास कार्यक्रम चलाये गये, जिसके कारण आज हम कृषि विकास में बहुमुखी कार्यक्रम देख रहे हैं, जिसमें अन्न उत्पादन है, तेलहन एवं दलहन उत्पादन है, व्यापारिक फसलें जूट, गन्ना, मूंगफली, पौध एवं सब्जी उत्पादन एवं धान के कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में विशेष चावल उत्पादन योजना माननीय राजीव गांधी जी के पहल पर चलाई जा रही हैं ताकि देश में उत्पादन एक स्तर पर समान रूप से हो । क्षेत्रों की पहिचान कर पहाड़ी, मैदानी एवं पिछड़े क्षेत्रों के लिए अलग-अलग योजना बनाकर इनके द्वारा चलाई जा रही हैं । . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आप पढ़िए नहीं, जो कुछ सुझाव देने हैं, या कहना है वह जुबानी कहिए . . .

श्री गोरखनाथ–

मैं मान्यवर पढ़ नहीं रहा हूं कृषि विकास में भूमि सुधार निगम, कृषि विश्व-विद्यालय, पन्तनगर, फैजाबाद व कानपुर के कृषि अनुसंधान, बीजों की शुद्धता के लिए बीज प्रमाणीकरण संस्था तथा बीज सप्लाई के लिए तराई बीज निगम और किसानों के उत्पादित माल के बिक्री के लिए कृषि मण्डी परिषद् का कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान है । जिसकी वजह से आज हमारा खाद्यान उत्पादन साढ़े सोलह करोड़ टन हो गया है और देश निर्यात की स्थिति में पहुंच गया है ।

मान्यवर, तराई बीज निगम की पन्तनगर, कानपुर व फैजाबाद में एक-एक करोड़ की लागत से उत्पादन इकाई लगी है । गोरखपुर मंडल अभी अछूता है । इस लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसे सुदृढ़ कर मंडल के अन्य जिलों में भी इसे लागू किया जाए और मान्यवर इसे हमारे देवरिया में भी लागू करें । दूसरे मान्यवर हमारे क्षेत्र की तहसील में व विधायक क्षेत्र रुद्रपुर में कृषि मण्डी स्थल का निर्माण किया जाए ताकि किसानों का उनके माल का उचित मूल्य मिल सके ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अब समाप्त करें । 2 बजे तक बजट होना है और अभी काफी मा0 सदस्य बोलने के लिए हैं, इसलिए कम से कम 3-3 मिनट का समय निर्धारित कर दिया जाए. . . (व्यवधान)

श्री मित्रसेन–

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज कृषि का महत्वपूर्ण बजट है, इस पर अपने अपने सुझाव रखने के लिए आप प्रत्येक दल के कम से कम एक सदस्य को बोलने के लिए कुछ समय निर्धारित कर दीजिए और दूसरी बात सदस्यों के लिए 5-5 मिनट और दल के मा0 नेताओं के लिए 10-10 मिनट कर दीजिए . . . (व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कृषि बजट अपना प्रस्तुत किया जिसे मैंने बहुत गौर से सुना और माता प्रसाद पाण्डेय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और रचनात्मक सुझाव और नीतिगत आलोचनाएं प्रस्तुत कीं उनका मैं समर्थन करते हुए आज अपनी बात को मण्डी समिति से शुरू करूंगा केवल सुझाव रूप में । माननीय मंत्री जी आप जो लाभ आढ़तियों को देते हैं वह किसान को नहीं देते हैं । इसलिए इस संबंध में यह कहना चाहूंगा कि जो 2-1 रुपया के हिसाब से मंडी शुल्क आप किसानों से पहले ले लेते हैं, वह आप आढ़तियों से नहीं लेते हैं और इसी प्रकार से आढ़ती चाहे 10 लाख का या 5 लाख रु0 का सामान खरीदे उसका शुल्क जमा न होने से उसके पास जमा होता रहता है और इस जमा पैसे का उसको लाभ मिलता रहता है। इसी प्रकार से आढ़ती खरीदारी चाहे वह नं0 1 के रूप में 10 लाख की करे और दिखाए चाहे 5 ही लाख रुपयों की, बाकी 5 लाख दो नं0 में पैसा जमा करे तो कोई कुछ पूछने वाला नहीं है इस प्रकार से जो आपने आढ़तियों को छूट दे रखी है. . . . .(व्यवधान) मान्यवर मैं कुछ नीतिगत सवाल बता रहा हूं और इस संबंध में यही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आढ़तिया जो खरीद किसानों से करता है, वह उनसे मंडी शुल्क लेता है, लेकिन मंडी शुल्क जो लिया जाता है वह बिक्री पर लिया जाता है । आढ़तिया एक प्रतिशत के हिसाब से लेता है और वह मंडी शुल्क डेली जाम होता रहता है और जब साल भर के बाद वसूली का नोटिस दिया जाता है, तो उस रुपये को वह नम्बर दो का कर देता है। इसको माननीय मंत्री जी देखें और इस पर कार्यवाही करें। यह सारा का सारा फर्जी होता है और किसानों की लूट होती है। मैं चाहूंगा कि इसकी आप जांच करायें। आडिट की जो रिपोर्ट है, उसमें भी इस प्रकार के मामलों पर आपत्ति की गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर 2 लाख 61 हजार रुपये की फर्जी खरीदारी की गयी है। मान्यवर, हाथरस की एक घी विक्रेता कम्पनी है, वह इसी तरह के कामों के लिए इस्तेमाल होती है, वह इनकी पार्टी के एक बड़े राजनेता की है और घी की बिक्री पर मंडी शुल्क नहीं लिया जाता है।

(व्यवधान)

या तो आप सुने, या मैं बोलना बन्द कर दूं। मैं कह रहा था कि वह कम्पनी जो घी का काम करती है, हिन्दुस्तान के एक बड़े राजनेता से उसके स्वामी के सम्बन्ध हैं, उसके घी की बिक्री पर मंडी शुल्क नहीं लगाया जाता है। आप इस तरफ ध्यान दें। मैं नहीं कहना चाहता कि वह कौन नेता है। अगर मैं उनका नाम कह दूंगा तो आप कहेंगे कि नाम न लें, आप भी उसे जानते हैं, आगरे के बहुत से लोग जानते हैं। उसकी आपको जानकारी है, आपके जो अध्यक्ष हैं, उनसे वह सम्बन्धित हैं और यह मामला आपकी जानकारी में है, जो इस तरह के मंडी शुल्क की चोरी करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में कड़ी कार्यवाही करें। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो सम्पर्क मार्ग 1977 से आज तक बने हैं उनके रखरखाव के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है आप कम से कम उनके रखरखाव का इन्तजाम करें। मान्यवर, खेती का जन जीवन से सम्बन्ध है लेकिन कृषकों को उसकी उपज का सही एवं लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कृषि शोध संस्थान हर साल फसल की लागत कीमत आंकता है, गेहूं की, चावल की, धान की हर प्रकार की फसल की लागत कीमत आंकता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट को आज तक सदन के पटल पर नहीं रखा गया है, इसे सदन के पटल पर रखवाने की कृपा करें। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना आप करें।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

तो मैं निवेदन कर रहा था कि कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना की जाये ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके और आप शोध संस्थान की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें। आप अपने ही जिले आगरे में देखें कि चन्द्र शेखर कृषि विश्वविद्यालय का फार्म हजरतपुर में है, वहां 2600 एकड़ जमीन काश्तकारों की कब्जे में ले रखा है और वहां पर जो आदमी आपने रख छोड़ा है, वह वहां पर लूट कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने छूट का एलान किया है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि कृषि यन्त्रों पर जो छूट दी जाती है, उसमें बड़ी गड़बड़ी की जाती है। फुट स्पेयर की दर 745 रुपया है लेकिन जो हाइमौटक की है वह 926 रुपये में और अमेरिकन 990 रुपये में खरीदी जाती है यानी 181 रुपये और 245 रुपये अधिक पर खरीदी जाती है। इस प्रकार से 24.2 प्रतिशत का कमीशन लिया जाता है। इसी प्रकार से ब्रासबाडी की दर 725 रुपया है और वह 890 रुपये में सप्लाई की जाती है। इस प्रकार से 165 रुपया अधिक लिया जाता है और 20.8 प्रतिशत का कमीशन खाया जाता है। आप इस अवैध खरीद की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करें। भारत सरकार ने 10 हजार करोड़ की छूट खाद पर दी, लेकिन जो आपकी एपेक्स बाडी है वह यूरिया खाद 123.50 रुपये और 114 रुपये में देती है और बाजार में वह 106–107 रुपये में मिल जाती है। जबकि मार्केट में 106 और 107 की मिल

पाती है लेकिन आपेक्स बाडी की खाद किसान को ऊंची कीमत पर मिल जाती है। इस तरह से इसमें एक-दो करोड़ रुपये का घपला है। आपने अपने भाषण में मशीन के बारे में कहा कि हम इतने लाख परिवारों को मशीनें देकर उन्हें सहायता प्रदान करेंगे। श्रीमन् आप तीन वर्षों के एग्रो से आंकड़े मंगाकर देख लें कि किन-किन को यह मशीनें सप्लाई की गई हैं। उनकी सूची आप मंगा लें और उसकी जांच करा लें। उसके लिये एक दल गठित कर दें जो यह देखे कि वर्ष 1987-88 और 1988-89 में इस एग्रो से कितनी मशीनों का आर्डर दिया गया और वह किन-किन काश्तकारों को सप्लाई की गई। यह जो भी आंकड़े दिये गये हैं ये सब फर्जी हैं। . . . (व्यवधान) श्रीमन्, दो मिनट का समय और दे दें।

मैं तराई बीज निगम के बारे में दो-एक बातें कहना चाहता हूं। इसके तहत आपने एक योजना बनाई है कि हम ग्रामों में बीज सम्बर्द्धन करेंगे। आपके बीज और तराई बीज निगम की कीमतों में बड़ा अन्तर है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तराई बीज निगम गेहूं तो पैदा नहीं करता है वह केवल खरीदता है और मार्केट में चार-पांच गुना ज्यादा रखता है। इसका कारण यह है कि जो आपका बीज निगम का डाइरेक्टर है वह प्राइवेट आदमी है, सरकारी नहीं है। इसीलिये तराई बीज निगम के दाम ज्यादा हैं। इसलिये आप नो-प्रोफिट नो लास बेसिस पर इसकी व्यवस्था करें। सस्ते दाम पर किसान को बीज मिले। आप तराई बीज निगम की कीमत नीचे लावें। इसी प्रोसेसिंग के नाम पर कीमत ज्यादा बढ़ती है। श्रीमन्, इसको आप चेक करें। इसलिये मैं कहता हूं कि यह विभाग सभी तरह से भ्रष्टाचार से ओत प्रोत है। इसको रोकने के लिये आप प्रभावी कदम उठायें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया है। सर्व प्रथम मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आदरणीय पाण्डेय जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं। मान्यवर, पाण्डेय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कहीं हैं। वे एक बुद्धिजीवी और कुशल व्यक्ति हैं। मैं उम्मीद करता था कि वे सरकार और विशेषरूप से इस समय जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं जो कृषि की उत्पादकता पर और उसके संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं उनको वे बधाई देंगे। मान्यवर, शायद वे दिल से तो बधाई देना चाहते थे लेकिन हो सकता है कि कुछ पार्टी के निर्देश हों, सदन के अन्दर बधाई न दें। वे मुस्करा रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे बधाई देना चाहते हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश तराई बीज निगम की तरफ ले जाना चाहता हूं और माननीय कृषि मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि इस बीज निगम को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है और फल भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कृषि मंत्री जी द्वारा सम्भवतः राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिलने जा रहा है। उसके लिये मैं कृषि मंत्री जी को और इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि वे बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश तराई बीज विकास निगम जो है उसका कार्यक्षेत्र केवल 10 जिलों तक ही था लेकिन अब उसका कार्यक्षेत्र 43 जिलों में बड़ा दिया गया है। अब 43 जनपदों के बीज उत्पादन का कार्य निगम ने लेकर कृषकों को लाभान्वित किया है। उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। मान्यवर 1987-88 में निगम ने 4.47 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन किया है। 1988-89 में इसका लक्ष्य 9 लाख क्विंटल उत्पादन का है और 1991-92 में 13.5 लाख क्विंटल का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मान्यवर, वर्ष 87 की तुलना में 19 करोड़ के व्यवसाय के विरुद्ध 88-89 में 20 करोड़ होने का अनुमान है। दलहन तिलहन का उत्पादन भी 10 गुना और 5 गुना अधिक किया है। इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं।

माननीय पाण्डेय जी ने मंडी समितियों का जिक्र किया मैं कहना चाहता हूं कि अगर एस0 डी0 एम0 और परगना अधिकारियों के बजाय जनप्रतिनिधियों को इनका काम दिया जाय तो निश्चित रूप से अच्छा काम चलेगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि रसायनिक खादों के प्रयोग से चाहे वह यूरिया हो या दूसरे फर्टिलाइजर उनके प्रयोग से उत्पादन जरूर बढ़ा है। मैं माननीय मंत्री जी को एक चीज की याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम पहले खेत में पका हुआ टमाटर खाते थे या मूली खाते थे तो उसका स्वाद जो मिलता था आज वह स्वाद नहीं मिलता है। इसी तरह से अन्न में जो स्वाद होता था वह स्वाद कृत्रिम खादों के प्रयोग के कारण नहीं मिलता है वह स्वाद रहित हो गया है। इसके लिये अनुसंधान करना पड़ेगा कि क्या कारण है जहां हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है वहां स्वाद में क्यों कमी आई है। इसलिये ऐसे अनुसंधान होने चाहिए कि उर्वरा शक्ति भी बढ़े और स्वाद में भी कमी न आये। हमारे यहां एक चावल "कालानमक" होता है जो खाने में बहुत ही अच्छी किस्म का होता है मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाय। आज लोग देहरादून चावल को खाते हैं अगर इसका प्रचार हो तो इसे उससे ज्यादा पसंद करेंगे। इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाय।

माननीय सदस्यों ने कुछ शिकायतें भी की है यह स्वाभाविक है जिस आदमी से आशा की जाती है उसी से शिकायतें भी की जाती हैं जिससे कोई उम्मीद नहीं होती है उससे कोई शिकायत करने भी नहीं जाता है। बीच में एक सरकार आई थी उससे कोई शिकायत करने भी नहीं जाता था। आपसे लोगों को आशा है आप डाक्टर भी हैं और आगरा के डाक्टर हैं आगरा में किस तरह के मरीज जाते हैं वह सब जानते हैं जब आप उनका इलाज कर सकते हैं तो आपसे पूर्ण आशा है कि कृषि विभाग के कर्मचारियों में जो कमी होगी उसका भी आप ठीक इलाज करेंगे क्योंकि आप वीर भी है, डाक्टर भी हैं और आपमें कौशल भी हैं आप अपनी इस योग्यता से कृषि विभाग में प्रगति करायेंगे जिससे उत्तर प्रदेश की आकांक्षायें पूरी होंगी। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री हरेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कृषि जैसे महत्वपूर्ण बजट पर रखे कटौती प्रस्ताव पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे प्रदेश के 80 सैकड़ा लोग कृषि पर आधारित हैं। हमारे प्रदेश के किसान ने जितनी उन्नति की है उस पर माननीय कृषि मंत्री जब अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो उनकी उन्नति की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे जो एक भ्रमजाल साबित हो रहा है ।।कृषि के लिए केवल 3, 4 बातों की आवश्यकता है और इस सरकार की गलत नीतियों के कारण दिन-प्रतिदिन किसानों का शोषण हो रहा है। खेती के लिए सबसे पहले बीज की आवश्यकता होती है। माननीय पाण्डेय जी ने बड़े अच्छे सुझाव दिये हैं और उसके बाद किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। किसान को अच्छे बीज, फांउडेशन बीज उपलब्ध कराईये तो फसल अपने आप अच्छी होगी। लेकिन यह सरकार बीज उपलब्ध कराने में असफल रही है। मेरा अनुरोध है कि फाउण्डेशन बीज किसानों को उपलब्ध कराये जायें और वह बाजार भाव पर उनको दिये जायं जो अनाज का भाव बाजार में रहता है उस भाव पर दिया जायं अन्यथा उसका दुरुपयोग होगा, मुफ्त या अनुदान में बांटने में भी उसका दुरुपयोग होगा।

जहां तक उर्वरक की बात है उसका प्रयोग बढ़ा है लेकिन किसानों को यह जानकारी नहीं है कि उसकी जमीन को किस प्रकार के फीर्टलाइजर की आवश्यकता है उसके लिए मृदा परीक्षण की जानकारी होनी चाहिए लेकिन बिना मृदा परीक्षण के. वह खाद का प्रयोग करता है और नतीजा है कि हमारे यहां उर्वरक के नाम पर किसान यूरिया खाद का प्रयोग अधिक कर रहा है जिससे जमीन की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसलिये मृदा परीक्षण करायें ताकि किसान को जानकारी हो सके कि किस फसल में किस खाद का इस्तेमाल किया जाय।

(इस समय 12 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय पीठासीन हुए) ।

मान्यवर, कीटनाशक दवाईयों के खरीदने में एग्रो द्वारा काफी घोटाला किया गया है जिससे शासन को लाखों रुपये की हानि हुई है। कानपुर उद्योग निदेशालय द्वारा कीटनाशक दवाईयों के रेट निर्धारित किये गये परन्तु अधिक कीमत पर दवाईयां खरीदी गयी हैं। इसके अलावा वह कीटनाशक दवाईयां निम्नस्तर की थीं जिनको किसानों ने खरीदा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिन-किन किसानों को निम्नस्तर की दवाइयां बेची गयीं उनको पैसा वापस किया जाये। जैसे इस वर्ष 40 मे0 टन आइसोप्रोटयुरान यू0 पी0 एग्रो विभाग से कृषि विभाग को हस्तानान्तरित किया गया परन्तु अभी तक गोदामों पर बंटने को अवशेष पड़ा है। इस वर्ष रबि में कहीं कोई बीमारी भी नहीं लगी थी, लेकिन एग्रो द्वारा करोड़ों रुपये का अनुदान वितरित कर दिया गया है।

मान्यवर भूमि संरक्षण विभाग अच्छा है परन्तु ए0 पी0 सी0 इस विभाग से नाराज हैं। श्री वीर बहादुर सिंह, मेरठ गये थे तो मंडलीय बैठक में कहा था कि चक रोड बनायेंगे लेकिन ए0 पी0 सी0 ने कहा कि नहीं बनायेंगे। लेकिन आप भूमि संरक्षण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की बात करते हैं तो उस किसान का क्या कसूर है जो खाद्यान्न आपको देता है तो उनके लिए चक रोड और पक्की नालियों का निर्माण क्यों नहीं कराया जाता है, इसलिये इस पर ध्यान दें और निर्माण कार्य करायें।

मान्यवर, मंडी समिति के बारे में किसानों का करोड़ों रुपये आपके पास जमा है उसका उपयोग केवल अन्दर के कैम्पस में करते हैं और उनका धन व्यापारियों की सुख सुविधा के लिए केवल हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि मंडी अधिनियम की धारा 16(2) के अनुसार किसानों के बच्चों की शिक्षा और सुविधा क्यों उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इसलिए अनुरोध है कि किसानों के बच्चों की शिक्षा और सुविधा में खर्च करें।

इसी तरह किसानों का करोड़ों रुपया जो आपके पास जमा है उससे सम्पर्क मार्गों का निर्माण करायें।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अब मैं हार्टिकल्चर के बारे में कहना चाहता हूं। फूड प्रोसेसिंग की योजना भारत सरकार से आयी है कि जहां खाद्यान्न अधिक पैदा होता है वहां हार्टिकल्चर विभाग प्रोसेसिंग प्लांट लगायें जिससे किसानों को अच्छा पैसा मिले।

श्री अधिष्ठाता–

आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

कोल्ड स्टोरेज के बाहर आज किसानों का आलू सड़ रहा है। व्यापारियों का स्टोरेज में गुड़ रखा जा रहा है तो इसका क्या औचित्य है? इसलिए मंत्री जी आज सदन में घोषणा करें कि जब तक किसानों का एक भी आलू कोल्ड स्टोरेज के बाहर रहेगा तब तक स्टोरेज में गुड़ रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(व्यवधान)

*श्री प्रदीप माथुर–

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और माननीय पाण्डेय जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आप समय का ध्यान रखें।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि उनके आते ही अच्छी फसलें होने लगी और बड़ी अच्छी योजनायें और व्यवस्थाएं उनके द्वारा विभाग में चालू की जा रही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं । इनका जो ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम है, वह बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, किसान के लिए उसके घर घर तक के लिए हमारे विभाग के ओर से अच्छी अच्छी योजनायें बन रही हैं और कुशलता से चलाई भी जा रही हैं । कृषि मंत्री और मुख्य मंत्री जी इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट खोला है । इससे हार्टीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग में काफी लाभ मिलेगा। इससे हमारे उद्यमियों लघु उद्यमियों को काफी लाभ होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में एक नये डायरेक्ट्रेट का सृजन किया है, इसके लिये भी वह बधाई के पात्र है। मैं अब माननीय मंत्री जी का ध्यान चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की ओर ले जाना चाहता हूं, वहां पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है । वहां पर गलत नियुक्तियां की जा रही हैं पैसा लेकर । इस गलत कार्य को रोका जाय और प्रतिबंध लगाया जाय । अब मैं मथुरा जनपद के प्रसिद्ध वेटनरी कालेज की ओर आप का ध्यान ले जाना चाहता हूं । जो एशिया का प्रसिद्ध वेटरेनरी कालेज था और जिसकी अच्छी ख्याति थी । वह आज जीता जागता कब्रिस्तान होकर रह गया है । वहां पूरी अव्यवस्था फैली हुई है । पशु मर रहे हैं, लोगों को वहां पैसा नहीं दिया जा रहा है ..

श्री अधिष्ठाता–

माथुर जी अब आप समाप्त करिये ।

श्री प्रदीप माथुर–

उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है । इस लिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसे पहले की तरह आटोनामस इंस्टीट्यूशन बनाइये, जिससे कि वह अपना नाम एशिया में फिर से रोशन कर सके ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बाकी की बात मंत्री जी को लिखकर दे दीजिएगा । मूलचन्द्र । अब आप मूलचन्द्र को अवसर दें ।

श्री प्रदीप माथुर–

मैं एक सूझाव देना चाहता हूं . . .

श्री रामशरण दास–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि यह सज्जन माथुर जो बोल रहे हैं, यह विभाग तो इनका है कृषि–एग्रीकल्चर और यह बोल रहे हैं पशुधन पर ?

श्री प्रदीप माथुर–

यह मामला आपकी समझ के बाहर है । (व्यवधान) यह इनकी हालत मान्यवर, देखें । यह इनकी बुद्धिमत्ता की हालत देखिए, यह नौटंकी के जोकर लगते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप मूलचन्द्र जी को मौका दीजिए । आप बिलकुल न बोलें ।

श्री प्रदीप माथुर–

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो कृषि विभाग है, यह बहुत अहम विभाग है, लेकिन एरीगेशन, कृषि और विद्युत तीनों अलग-अलग विभाग हैं , जबकि कृषि के लिये इनका परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध है। इन तीनों में कोआर्डिनेशन की बड़ी कमी है, जिससे

बड़ी रुकावटें आती हैं और कृषकों को भी परेशानी होती है । इसलिए तीनों विभागों की एक कोआर्डिनेशन कमेटी बनाई जाये । क्योंकि किसानों को पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती और इनकी कोई सुनने वाला नहीं है । इस तरह की एक कोआर्डिनेशन कमेटी बनायें, जो तीनों डिपार्टमेंट्स में समन्वय स्थापित करे ।

(व्यवधान)

*श्री मूलचन्द्र–

माननीय मंत्री जी ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया है और यह देश और प्रदेश कृषि प्रधान है और इस देश और प्रदेश की प्रगति कृषि पर ही निर्भर है । इस देश के कृषक और मजदूर इस देश रूपी गाड़ी के बैल हैं, जो इस देश रूपी गाड़ी को खींच रहे हैं । किन्तु दुख इस बात का है कि उसी किसान मजदूर को न पीने को पानी और न खाने को टाइम से भोजन मिलता है । उस गाड़ी को चलाने वाले लोग लगता है शराब पीकर नशे में पागल हैं । वह किसान और मजदूर रूपी बैल को न पानी देते हैं और न भोजन दे रहे हैं । पता नहीं किसान और मजदूर रूपी बैल इस देश रूपी गाड़ी को कहां ले जायेंगे । मान्यवर, किसानों के लिए मंत्री जी ने कहा है कि 75 रुपये कुन्टल आलू का भाव किसानों के निर्धारित किया है और किसानों के यहां यह एक रुपये का तीन किलो बिक रहा है और वही आलू पांच सितारा होटलों में 50–55 रुपये प्लेट बिकता है । माननीय मंत्री जी ने लघु सीमान्त कृषकों की बड़ी चर्चा की है । अब मंत्री जी आप बीज भेज देते हैं, तो जो बीज जून जुलाई में मिलना चाहिए वह सितम्बर में मिलता है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आप डाक्टर भी हैं तो इनके प्रति ख्याल रखें अपना भाषण दें तो उसमें बता दें ।

श्री सुखपाल पाण्डेय–

माननीय मंत्री जी ने घोषणा की कि एक उंगली कट जाये तो दो सौ रुपये और दो उंगली कटेगी तो 400 रुपये मिलेंगे, तो मंत्री जी का एक कान खराब हो गया है, तो इनको क्या मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री शिव बालक पासी–

हाउस से अलग मिलकर यह संतुष्ट कर लेंगे ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

जैसा कि राज्य मंत्री जी ने कहा है, पाण्डेय जी परीक्षण कर लिया जायेगा कुछ अंग इनके भी बेकार हो गये हैं ।

श्री सुखपाल पाण्डेय–

कोटा निर्धारित कर दें ।

श्री नरेन्द्र देव–

माननीय कृषि राज्य मंत्री जी से आग्रह है कि सिर पर बाल उगाने के लिए कोई नयी खाद की खोज करायें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

इसका कृषि मंत्री जी से कोई संबंध नहीं है इसे स्वास्थ्य मंत्री जी से संबद्ध करें।

श्री मूलचन्द्र–

मान्यवर, भूमिहीन गरीबों को आवंटन में पट्टे मिले हैं आपका भूमि संरक्षण विभाग समतलीकरण करता है लेकिन यहां मुड़-फोड़ा, फुलवरिया, अमिया आदि गांव हैं यहां जो हरिजनों को पट्टे दिये गये थे . . . (व्यवधान) . . . उनकी भूमि का समतलीकरण नहीं हुआ है थोड़ा करके उनके नाम फर्जी लिखा दिये हैं। वसूली आयी है सब भागे हैं जो समतलीकरण होता है उसको आप निःशुल्क कराने की कृपा करें (व्यवधान)

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक भी शीतगृह नहीं है तो वहां पर एक शीतगृह बनवाया जाये। सीमांत कृषक का जो आलू पैदा होता है उसको रखने की वहां जगह नहीं है तो सूर्यावां ब्लाक में एक शीतगृह बनाने की कृपा करें। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तत्कालीन कृषि मंत्री जी ने मेरे यहां भदोही में एक मंडी समिति की स्वीकृति दी थी तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस मंडी को अपने कार्यकाल में बनवा दें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसानों के हिमायती हैं आप किसान के दर्द को समझते हैं इसलिये आप किसान की जो उपज है उसको उचित मूल्य दिलवायें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री मूल चन्द्र–

मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय पाण्डेय जी ने जो प्रस्ताव कटौती का प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं तथा यह आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे।

*श्री हरदेव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे कृषि जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी ने प्रदेश के हित में, कृषकों के हित में, उत्पादन के हित में लाभप्रद बजट सदन में प्रस्तुत किया है। मैं उनके क्रांतिकारी बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, कृषि के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है और हम आत्मनिर्भर हुये हैं। पहले हमको विदेशों से अन्न मंगाना पड़ता था लेकिन हमारे प्रदेश में अब बड़ी मात्रा में अन्न का उत्पादन होता है जिससे हर व्यक्ति को राहत मिली है और हर व्यक्ति को गेहूं की रोटी, चावल और सब्जी उपलब्ध है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार तथा भारत सरकार ने सराहनीय कार्य किया है, इसलिये मैं प्रधानमंत्री, मुख्य मंत्री और कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमारे रसड़ा में 1980 में एक कृषि मंडी स्वीकार की गयी थी। उसका शिलान्यास भी हुआ था लेकिन अब तक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस पर काम शुरू नहीं किया गया है। इसकी जांच करने के लिए लोग यहां से गये थे लेकिन उन्होंने कोई कार्य नहीं किया और अपना डी0 ए0 टी0 ए0 ले लिया। मैं चाहूंगा कि रसड़ा में कृषि मंडी की स्थापना जल्दी से जल्दी की जाय। इसी तरह से हलधर पुर, रतनपुरा ब्लाक में सर्वे हुआ था और मुफ्त जमीन दी गयी थी लेकिन वहां पर कृषि मंडी अभी तक स्थापित नहीं हुई है। मेरे ब्लाक रसड़ा में 10 सड़कें बनाने की व्यवस्था की जाय ताकि कृषि उत्पादनों को आसानी से ले जाया जा सके। हमारे यहां मंडी न होने से हमारे यहां का विकास अवरुद्ध हो रहा है। रसड़ा में मंडी के लिये 1 करोड़ 20 लाख रुपये की योजना बनायी गयी थी तो इस योजना को जल्दी से पूरा करवा दें।

मान्यवर, मैं ऊसर सुधार की योजना के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में ऊसर सुधार की एक योजना चलायें तथा ऊसर सुधार की योजना में अधिक पैसा खर्च करें। इसके अलावा हमारे यहां विश्व बैंक की योजना में 15 ट्यूबवेल भी लगवाने की व्यवस्था करें।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री कांशिक रमाशंकर–

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, विधान सभा के अंदर जितने विरोधी दल या अन्य दल हैं उन सबका रिप्रेजेंटेशन हो जाना चाहिए लेकिन आप जो लिस्ट देखकर नाम पुकारते हैं यह नियम एवं परम्परा के विरुद्ध है। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि सभी दलों के प्रतिनिधियों के विचार आ जायें। आप सिर्फ एक तरफ देखते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कांशिक जी लिस्ट से मैं प्रतिबंधित नहीं हूं वह तो मेरी सुविधा के लिए है। लिस्ट को भी मैं कभी-कभी देख लिया करता हूं। पीठ इस लिस्ट से नहीं बंधी है। आपको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री कांशिक रमाशंकर–

मान्यवर, ऐसी व्यवस्था करें कि सभी दलों के प्रतिनिधियों की बातें आ जायं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं सभी व्यवस्थाओं को देखकर व्यवस्था देता हूं।

(श्री दिवाकर विक्रम सिंह को पुकारे जाने पर)

श्री हरदेव–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे क्षेत्र में ब्लाक रतनपुरा में एक एग्रो केन्द्र तथा एक फल संरक्षण केन्द्र खोलने की कृपा करें तथा कृषि और कृषकों की उन्नति के लिए जनपद बलिया और जनपद मऊ में विशेष योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाये जायं। आलू की खेती तथा फल उद्यान विभाग से नर्सरी आदि की योजना रसड़ा और रतनपुरा ब्लाक में और पूरी तहसील में लागू की जाय। स्टेट होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग का प्रशिक्षण केन्द्र वाराणसी में स्थापित किया

जाय। मेरे क्षेत्र और जनपद मऊ, बलिया में छोटे-छोटे कृषकों को अधिक से अधिक मिनी किट एवं खाद तथा बीज आदि की व्यवस्था की जाय। ब्लाक रसड़ा और रतनपुरा, सीयर नगरा में कृषि बीज गोदाम की लगभग 20 की आवश्यकता है, कृपया ग्राम फरहदा, ब्लाक सीयर, टीकादेवरी, हलधरपुर में खोला जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब जो हरदेव जी कहेंगे, वह नहीं लिखा जायगा। हरदेव जी आप आसन ग्रहण करें।

श्री हरदेव–

मान्यवर, कृषि विभाग में आरक्षण पूरा किया जाय।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन् माननीय अंचल जी ने, माननीय कौशिक जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया है, उन्होंने दल का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी सीधी शिकायत यह रही है कि अभी तक आपने जनता पार्टी के लोगों को बोलने का अवसर दिया है, उससे उनको ठेस लगी है। अभी आपने दिवाकर विक्रम सिंह जी को बुला लिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उनके भाषण के बाद अन्य दलों को आगे उसी सीरत में बोलावें, जिस दल की जितनी संख्या है और इसका कड़ाई से पालन करायें। मैं स्वयं इससे सहमत हूं।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, कृषि के बजट पर माननीय माता प्रसाद पाण्डेय ने अपने कटौती के प्रस्ताव में काफी बातों का उद्धरण कर दिया है, मैं यह देख रहा हूं कि काफी सम्मानित सदस्य बोलने के लिए उच्छृंखल हो रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय न लेकर कुछ चन्द सुझाव ही आपके समक्ष रखना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने जो दो-तीन घोषणाएं की हैं, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। एक तो जो आपने बीमा योजना लागू किया है कि जो किसान या कृषक मजदूर घायल हो जाता है या अंग विहीन हो जाता है या मर जाता है, उसको आप बीमा देंगे, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। यह भी घोषणा किया है कि अगर किसी की फसल जल जाती है, तो उसको किस प्रकार से क्षतिपूर्ति की जाय, यह बड़ा अच्छा मुद्दा है। अभी तक तो जानवरों के जलने या घर जलने पर राजस्व विभाग के द्वारा अहेतुक सहायता दी जाती है, लेकिन फसल जलने पर जो आपने निश्चय किया है, वह निश्चित ही बहुत अच्छी बात है। इसमें जब आग लगती है, तो केवल लघु और सीमान्त कृषकों का ही नहीं, बल्कि सभी कृषकों की फसल जल जाती है, खलिहान का पूरा खलिहान जल जाता है।

मान्यवर, लघु और सीमान्त कृषक तो 75 फीसदी ही हैं, खलिहान का खलिहान जब साफ होता है, तो 80–85 प्रतिशत तो लघु और सीमान्त कृषक ही प्रभावित होते हैं, लेकिन जो बड़े किसान होते हैं, उनको आग बचा कर नहीं चली जाती है, इसलिए इसको सामान्य रूप से सबके ऊपर लागू करें। प्रश्न यह आता है कि कम से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कम कितना धन दिया जाय और कैसे दिया जाय। जैसे अहेतुक सहायता के लिए लेखपाल और कानूनगो जाकर जांच करके और रिपोर्ट करते हैं और उन्हें सहायता दी जाती है, इसमें तो 500 रु0 से दो हजार रु0 तक की अहेतुक सहायता दे दी जाती है, लेकिन फसल के मामले में आपको यह तय करना पड़ेगा कि अगर आप यह सोचें कि जितना जिसका नुकसान हुआ है, पूरा का पूरा भरपाई कर दें, तो यह किसी भी सरकार के लिए सम्भव नहीं है। उसी प्रकार से इसमें भी जांच करके, किसका कितना नुकसान हुआ है, उसकी एक सीमा निर्धारित कर दी जाय कि कम से कम इतना रुपया और ज्यादा से ज्यादा इतना रुपया या प्रति एकड़ के हिसाब से जितने एकड़ की फसल जली हो, उसके हिसाब से उनको दे दिया जाय, ताकि उनको साल भर भुखमरी का शिकार न होना पड़े। लेकिन इतना जरूर देखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति की कितनी फसल उसमें रखी थी उसकी पूरी खेत की फसल रखी थी या कुछ खेत की फसल रखी थी। अगर पूरी फसल जल गयी है तो साल भर खायेगा क्या ? इस पर एक गोष्ठी करके, विचार करके एक समुचित राशि निश्चित कर दें कि एक एकड़ की फसल जली तो इतना रुपया दिया जायेगा इस तरह की इसमें राशि निश्चित करनी पड़ेगी। इसमें आपने जहां सब घोषणाएं की हैं वहीं एक घोषणा न करके किसानों के साथ न्याय नहीं किया है। सबसे जरूरी यह है कि आप उर्वरक उपलब्ध करवा रहे हैं, कीटनाशक दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर मृदा परीक्षण का कार्य अवश्य किया जाना चाहिए। लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह नितान्त आवश्यक विषय है इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए।

कृषि रक्षा उपकरण के विषय में आपका एग्रो इस वर्ष जो कृषि उपकरण उपलब्ध करवा रहा है उसमें धांधलेबाजी है केवल आई0 एस0 आई0 का मार्का का बहाना लेकर केवल एक या दो फर्मों से खरीद की जा रही है 1100 रुपये में एक उपकरण दिया जा रहा है जिसका दाम अपने प्रदेश में 600 रुपये है यह कदापि उचित नहीं है जबकि उन फर्मों का रेट कांट्रेक्ट भी नहीं था। एग्रो बाहर की फर्मों से खरीद कर रही है और उत्तर प्रदेश की फर्मों से नहीं खरीद कर रही है और वह फर्में खुद बनाती भी नहीं हैं बल्कि एजेंसी का काम करती हैं इस पर आप अवश्य जांच करा लीजिए इसमें आपको काफी घोटाला मिलेगा। मान्यवर, आपने कहा कि 10 टन उर्वरक रखने वाले को लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा इसमें एक चीज आपको देखने वाली है कि कहीं ऐसा न हो कि मिलावट की खाद की बिक्री उसमें बढ़ जाय। इसीलिए आपको इस पर नजर रखने की जरूरत है कि उसमें कितनी सही खाद बेची जा रही है और कितनी मिलावट की खाद बेची जा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

अभी और लोगों को बोलना है, आप समाप्त करें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, कृषि के बजट पर एक-एक लाइन बोल रहा हूं।

मान्यवर, आपने दो निदेशालय बनाने की घोषणा किया है उद्यान विभाग के। अभी तक तो इसका दुर्भाग्य रहा कि 5 वर्ष में 8 निदेशाक इसके हो चुके हैं अब दो निदेशालय बनाने की घोषणा हुई तो दो निदेशक भी बना देंगे उससे उद्यान का काम तो सही होगा लेकिन इसमें जैसा कि यहां की कार्यपालिका के क्रियाकलापों को पिछले 12-13 सालों से मैं देख रहा हूं कहीं ऐसा न हो कि इस पर एक महानिदेशक का सुझाव आ जाय । दो निदेशक बनाये यह ठीक है लेकिन बाद में दो महानिदेशक का प्रस्ताव आ जाय तो यह दो निदेशक बनाने का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा। अगर महानिदेशक बनाना है तो एक ही निदेशक रखिये तो इस पर आप अवश्य ध्यान दें। मान्यवर, हिमांचल के सेब का रस लखनऊ, गोण्डा, गोरखपुर सब जगह पर बिक रहा है तो रामगढ़ के सेब का रस उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिलता है यह बड़े दुर्भाग्य की बात है? इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री संतोष कुमार चतुर्वेदी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। हमारे युवा माननीय कृषि मंत्री जी ने जो बजट रखा है निश्चित रूप से हरित क्रान्ति में अति सराहनीय कदम है।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, यह डाक्टर है कौशल किशोर यह युवा तो रहे नहीं इन्होंने दवा से अपने बाल काले कराये हैं कितनी दवा लगायी है यह नहीं जानता, खूबसूरत तो यह बहुत हैं इसमें कोई सन्देह नहीं है लेकिन युवा कहने में मुझे एतराज है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात से लोगों को टानिक मिलता है और युवा महसूस करते हैं।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय राम शरण दास जी हमारे पुराने मरीज हैं इसलिए मुझसे उनको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। मैं यह जरूर चाहता हूं कि माननीय राम शरण दास जी भी युवा बने रहें आने वाले वर्षों में तभी मैं मानूंगा कि हमारी दवा का कुछ असर हुआ है।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, अगर यह युवा होंगे तो हम लोग शिशु हो जाएंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

चतुर्वेदी जी क्या आप बोल चुके ?

श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

मान्यवर, बीच में हस्तक्षेप हो गया था, इसीलिए शान्त होना पड़ा । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं फर्रुखाबाद जनपद की ओर जहां 18 फरवरी को सूरजमुखी की गोष्ठी में भाग लेने के लिए आप माननीय मुख्य मंत्री जी मुखी पर जनपद में कृषि परीक्षण हो रहा है । जिलाधिकारी ने पूरे जनपद में बहुत के साथ गये थे । वहां बहुत सी कृषकों के हित की महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई । सूरज-

कठिन परिश्रम करके उस अभियान को तेजी से सफलता पूर्वक चलाया है । इसकी सफलता में दो दुश्मन हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । प्रथम नहर विभाग की ओर और दूसरा विद्युत विभाग की ओर । विश्व बैंक से लगे हुए जो पब्लिक नलकूप के क्लस्टर हैं उनमें तक विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है । विश्व बैंक पब्लिक नलकूप के क्लस्टर को तथा प्राइवेट नलकूप को विद्युत आपूर्ति न होने के कारण और नहरों से पानी न मिलने के कारण सूरजमुखी का जो महत्वपूर्ण अभियान है, जिसमें आदर्श तिलहन उपलब्धि का अभियान है, उसमें बहुत गिरावट आ रही है । इसमें अविलम्ब हस्तक्षेप किया जावे । दूसरा निवेदन है कि हमारे यहां छिबरामऊ मण्डी समिति में 22 फरवरी से लगातार धरना चल रहा है । लोग कई बार अधिकारीगणों से माननीय मंत्री जी से भेंट कर चुके हैं व प्रार्थना-पत्र दे चुके हैं । विभाग को ज्ञापन भी दिये गये हैं । मण्डी समिति छिबरामऊ में न प्रवेश-पत्र जारी किया जाता है, न चबूतरों पर नीलामी की जाती है । वहां 22 फरवरी से आन्दोलन चल रहा है। इसमें विशेष हस्तक्षेप करके जांच करवा कर कृषकों को राहत प्रदान करवा कर उसको समाप्त कराने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान फरुखाबाद जनपद के आलू उत्पादकों की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं । वहां के आलू उत्पादक सदा ही उत्पादन में कीर्तमान स्थापित करते रहे हैं, लेकिन भण्डारण की हमेशा की तरह परेशानी बनी हुई है । इसमें शीतगृह मालिकों ने पुन: वही रवैया अपनाया है जो पहले अपना रखा था । कृषकों का शोषण कर रहे हैं । खाली होने के बावजूद भरा बताकर आलू का भाव गिराना चाहते हैं । अविलम्ब हस्तक्षेप कर कृषकों के आलू का भण्डारण करवाया जावे ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

इसके अतिरिक्त 27-28 फरवरी की रात में हमारे क्षेत्र के तालग्राम ब्लाक में अति भयंकर ओलावृष्टि हुई, जिससे शत प्रतिशत कृषि उपज की क्षति हुई है जिसके संदर्भ में लिखकर भी दिया गया है । मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि ओलावृष्टि से पीड़ित गांवों में अविलम्ब राहत पहुंचाई जाय तथा मृतक–व्यक्ति के वारिस को राहत प्रदान की जाय । खेद है इतनी अधिक क्षति के बावजूद अभी तक कोई राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है । इसके साथ ही माननीय कृषि मंत्री के बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तथा कटौती का घोर विरोध करता हूं ।

श्री कांशिक रमाशंकर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमारे नये कृषि मंत्री जी ने इस जिम्मेदार पद का भार संभाला है और आज उन्होंने कुछ अच्छी घोषणाएं की । उसके लिए उनको बधाई देता हूं । लेकिन श्रीमन्, हमारे प्रदेश की 80 फीसदी जनता

की जो आशाएं और आकांक्षाएं इस विभाग से हैं, वे इस विभाग में पूरी नहीं हो रही हैं। एक तो योजनाबद्ध तरीके से इस विभाग का कार्य नहीं होता है। कभी योजनाएं बनाई जाती हैं, कभी उस योजना को तोड़ा जाता है। वर्ष 1987-88 और 1988-89 में शून्य बजटिंग के तहत कई योजनाएं इन्होंने तोड़ डालीं। कपास की योजना को तोड़ डाला। सनई की योजना को तोड़ डाला और जूट की योजना को तोड़ डाला और हजारों जो कृषि विभाग में कर्मचारी थे, वे अपनी तनख्वाह के लिए सड़कों पर आ गये। फिर पता नहीं क्या सोचा कि फारेन दूसरी योजना चालू कर दी। तिलहन की योजना चालू कर दी। मेरा निवेदन है कि यदि वास्तव में प्रदेश की 80 फीसदी जनता की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो नीतियों को योजनाबद्ध तरीके से चलाना पड़ेगा और सुनियोजित योजना के जरिये से। लेकिन कृषि विभाग चारों तरफ फैला पड़ा है विभिन्न विभागों में बंटा पड़ा हुआ है उसमें हर प्रकार से सामंजस्य स्थापित किया जाय तब आप वांछित काम कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जो निगमों के रूप में सफेद हाथी है उनको भी इस विभाग को झेलना है, या काश्तकारों को झेलना है। बीज और तराई विकास निगम इसके जरिये से आप बीज का वितरण कराते हैं।

श्रीमन्, कितनी आश्चर्य की बात है कि आलू के वह काश्तकार तो प्रमाणीकरण शुल्क देकर प्रमाणित बीज को पैदा करते हैं उसका दायित्व इस विभाग को आलू बीज को खरीद कर उसको किसानों को देना है अगले वर्ष में बीज के लिए। तराई विकास निगम के जरिये से यह बीज लेते हैं, 130 रु0 कुंटल का भाव रखा है। उसने 170 रु0 कुन्टल के भाव से इन्हीं के विभाग को बेच दिया। किसान के खेत में बेच दिया। जो काश्तकार उसे 170 रु0 में बेंच सकता था, वह 40 रु0 फी कुन्टल के हिसाब से बीज निगम के पेट में चला गया। एग्रो के जरिये से यंत्र बेच रहे हैं। 50 प्रतिशत सब्सिडी की बात करते हैं। बाजार से ऐसे यंत्रों को खरीद कर जो वाकई में सस्ते बिकते हैं और यह सब्सिडी दिखाकर उसी भाव में बेचते हैं जिस भाव में बाजार में खुले रूप में बिक रहा है। सफेद हाथी के रूप में इन निगमों को पाल रखा है। इसी प्रकार से बीज का वितरण है, यह कार्य बीज और तराई विकास निगम के जरिये से करते हैं। एन0 एस0 सी0 नेशनल सीड कारपोरेशन और स्टेट फारमर्स कारपोरेशन हैं उसके जरिये से बीज खरीदे जाते हैं। बीज तराई विकास निगम खरीद कर इन्हीं के विभाग को जहां से वह खरीदता है 20-25 रु0 मुनाफे में इजाफा करके बेच देता है और वह काश्तकारों को मंहगे दामों में खरीदना पड़ता है। इन सफेद हाथियों को पालने की क्या आवश्यकता है? कृषि विभाग स्वयं सक्षम है, स्वयं बीज खरीद करे। बीज खरीदे स्वयं नेशनल सीड कारपोरेशन से स्टेट फारमर्स कारपोरेशन से। काश्तकार को सस्ता बीज दे कोई व्यवस्था इस बात की हो सकती है कि काश्तकार को उसका फायदा हो सके। जो मैंने कहा कि इसमें योजना बद्ध तरीके से काम नहीं होता विभाग में, उसका परिणाम है, 88-89 में लिए दिल्ली की सरकार ने सबसिडी दी खरीद पर साढ़े सात प्रतिशत की सबसिडी दी लेकिन हमारे कृषि विभाग ने उस साढ़े सात फीसदी सबसिडी को मात्र 30 सितम्बर तक दिया, अप्रैल से लेकर 30 सितम्बर तक दिया फिर जनवरी से चालू कर दिया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? काश्तकारों को सबसिडी मिलनी चाहिए थी 2 महीने नहीं मिली इसके लिए कौन जिम्मेदार है क्यों नहीं सबसिडी बांटी गयी?

इसी प्रकार से दूसरी सबसिडी मिलती है उसमें भी ऐसा ही होता है । पी0 सी0 एफ0 एग्रो के जरिये से अनुदान भारत सरकार की तरफ से प्राप्त होता है पी0 सी0 एफ0, एग्रो उसे डकार जाते हैं काश्तकार के पास वह पहुंचता नहीं । पहले ही हिसाब में अनुदान इनके नाम कटता जाता है, काश्तकारों को अनुदान का लाभ नहीं पहुंचता । इसी प्रकार जो दूसरे अनुदान मिलते हैं भारत सरकार से मैं सिर्फ एक मिसाल दूं । 1140 रु0 प्रति कुन्टल के हिसाब से गत वर्ष मूंग दी गयी बीज एवं तराई विकास निगम के जरिये । बाद में भारत सरकार ने 400 रु0 कुन्टल की छूट दी आपके बीज तराई विकास निगम ने क्या किया । फौरन ही 1140 की कीमत 1340 कर दी और जो काश्तकार को 400 रु0 मिलने वाले थे भारत सरकार से उस पर काश्तकार को सिर्फ 200 रु0 मिले ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था पर, हमारे काश्तकारों के ऊपर, हमारे विभाग के ऊपर बोझ बढ़ रहा है, इसको देखिए ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कौशिक जी अब समाप्त करें ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

कृषि विभाग से जो सेवायें हो सकती हैं, उसको देखें । आपके विभाग जहां-तहां फैल रहे हैं जिले में, सारे अनुभागों/विभागों को वहां एक जगह कर दें । मान्यवर, मेरा एक सुझाव और है । कृषि विभाग के लगभग 500 मंडी स्थल बन चुके हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कौशिक जी समाप्त करें ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मैं कह रहा था कि आपके 500 मंडी स्थल हैं, उनमें आप कृषक की सुविधाओं के अनुसार अगर कृषि निवेश करें, तो उनको निश्चित रूप से फायदा होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

कौशिक जी, मैंने कह दिया, आपका समय समाप्त हो गया है और आप बोले चले जा रहे हैं ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, जो एन0 पी0 के0 तथा सुपर फास्फेट इत्यादि है, वह नकली बन रहे हैं । मेरा अनुरोध है कि आप इस पर पाबन्दी लगाइये और इनको खत्म करवाइये । साथ ही खाद और बीज के मामले में प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तथा सुधारने के लिए कृषि विभाग को अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ओढ़नी चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय कृषि मंत्री जी के बजट प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, भाई राजेन्द्र सिंह जी को देखकर, हम लोग कृषि की उपलब्धियों को ऐसे ही स्वीकार करते हैं, आप खुद ही दीखिए ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मैनेजर सिंह जी, आपके लिए सभी मानक लागू हो जाता है ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत कृषि विभाग के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रीमन् कृषि विभाग के क्रिया-कलापों के माध्यम से कृषि की पैदावार में बहुत ज्यादा उन्नति हुई है । अगर कृषि विभाग के क्रियाकलाप इतने वैज्ञानिक तौर तरीकों से सामने न आये होते, तो जो प्रति 10 वर्ष पर 25 प्रतिशत आबादी में वृद्धि होती जा रही है, उसके बावजूद भी हम खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर न होते । श्रीमन् अभी कृषि मंत्री जी ने बड़े विस्तार से अपनी योजनाओं के बारे में यहां प्रकाश डाला । मैं उनको न दोहराते हुए सिर्फ कुछ सुझाव यहा रखना चाहूंगा । क्योंकि सुधार के साथ ही विकास के नये-नये आयाम बराबर पैदा होते रहेंगे, यह निश्चित बात है । मेरा पहला सुझाव है कि किसान को जितने भी प्रकार के, भिन्न-भिन्न प्रकार के अनुदान व सब्सिडी दी जाती हैं, उनके तौर-तरीके इतने क्लिष्ट हैं, जिसकी वजह से किसान को वह लाभ नहीं मिल पाता है, जो उसे मिलना चाहिए । मैंने एक सुझाव कृषि स्थायी समिति में दिया था, उसको मैं यहां भी देना चाहता हूं । जो दुकानदार हैं, किसान हैं, फेरी वाले हैं, छोटे उद्योग धन्धा करने वाले हैं, उनके लिए कैश क्रेडिट लिमिट खोली जाय और किसान के लिए 500 रु0 प्रति एकड़ के हिसाब से कैश क्रेडिट लिमिट खोली जानी चाहिए तथा उसे बैंक के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जानी चाहिए । मान्यवर, जो फसली ऋण दिया जाता है, उसमें बैंक में फार्म भरिये, उसको प्रमाणित करवाइये और तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, जिनको किसान ठीक से समझ नहीं पाता है । इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको कैश क्रेडिट लिमिट शुरू करनी चाहिए और मैं चाहूंगा कि आप आज ही अपने बजट भाषण में उत्तर देते समय इसकी सदन में घोषणा करें ।

श्रीमन् मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं । ट्रैक्टर के लिए लोन लेने पर कुछ बैंक वाले स्टाम्प लेते हैं और कुछ बैंक वाले स्टाम्प नहीं लेते हैं । इस सम्बन्ध में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस लोन को स्टाम्प से मुक्त करें । साथ ही ट्रैक्टर के लोन का जो ब्याज लिया जाता है, उसे घटाकर 9 परसेन्ट किया जाय । मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि किसान को उसकी फसलों को लाभकारी मूल्य भी दिलाया जाय और लाभकारी मूल्य देते हुए उससे जमीन की कीमत का ब्याज न लिया जाय । जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तब तक किसान की माली हालत अच्छी नहीं होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

राजेन्द्र सिंह जी, आप बैठें । मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं । कि ब्लाकों में जो ग्राम सेवक हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

राजेन्द्र सिंह जी, आप अपना महत्वपूर्ण आसन ग्रहण करें । आपका समय समाप्त हो गया है, अब आप बैठें ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं । माननीय कृषि मंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की हैं, उनका मैं भी स्वागत करता हूं । इनके आने के बाद कुछ एसा लग रहा था कि इसमें कुछ सुधार आयेगा, परन्तु वह आया नहीं । आज इनका यह डिपार्टमेन्ट किसानों के लिए निरर्थक हो गया है । इसकी उपयोगिता नहीं रह गई है । खेत राजस्व विभाग देखता है, पानी सिंचाई विभाग देखता है और मूल्य खाद्य विभाग देखता है, तो फिर आपका यह कृषि विभाग क्या देखता है ? कृषि उत्तर प्रदेश के आर्थिक जीवन का मेरुदण्ड है और कृषि से संबंधित यह सब विभाग अगर आपके नियन्त्रण के बाहर हैं तो किसानों का भला कैसे होगा, कृषि का विकास कैसे होगा ? समन्वय की बात कही गई है । मैं कृषि मंत्रालय के द्वारा इन सभी विभागों के नियंत्रण की बात करता हूं । जब तक आपके कृषि विभाग का नियंत्रण इन विभागों के ऊपर नहीं होगा, तब तक किसानों का हित होना सम्भव नहीं है । उत्पादन के बढ़ जाने का उल्लेख किया गया । मैंने भी हिसाब लगाया । जितने भी छोटे व सीमान्त कृषक हैं, उनका उत्पादन नहीं बढ़ा है, इस पर आप विचार करें। उनके नाम से फर्जी बीज का इन्दराज हो जाता है, खाद किसी को दी जाती है, उनके नाम से जोड़ दिया जाता है । मेरे ही क्षेत्र में 7 न्याय पंचायतों के सचिव सस्पेन्ड हैं । जैसा कि श्री कौशिक जी ने कहा कि आप सीधे बीज खरीदिये और किसानों को उपलब्ध कराइये, तभी लघु व सीमान्त किसानों का उत्पादन बढ़ सकेगा ।

मण्डी समितियां आपने बनाई हैं । मण्डी समिति तक किसान अपना गल्ला लेकर जाता है और बेच देता है । हमारे यहां बांसी के रानीगंज मण्डी में नरकटहा के मुख्य मार्ग से होकर सभी गाड़ियां व ट्रकें गोरखपुर, देवरिया व बस्ती आदि स्थानों को आती व जाती है । मण्डी समिति द्वारा नरकटहा के मुख्य मार्ग को बना दिया जाय, परन्तु मण्डी समिति का कहना है कि टाउन एरिया के अन्तर्गत सड़क को हम नहीं बनायेंगे । जिस सड़क से मण्डी परिषद् से संबंधित कार्य हो रहे हैं, उसको केवल इसलिए नहीं बनाया जायेगा कि वह टाउन एरिया से होकर जाती है, उचित नहीं है । कृपापूर्वक इसे बनाने का कष्ट करें । दूसरा, यह कि कृषि विभाग द्वारा कृषि उपकरण खरीदे जाते हैं । इस समय कृषि उपकरण के लिए क्वालिटी मार्क के 12 उद्योग यू0 पी0 में हैं । आई0 एस0 आई0 का कोई भी लाइसेन्सी यू0 पी0

में नहीं है, इसके बावजूद भी आपके विभाग आई0 एस0 आई0 मार्क से उपकरण खरीदता है, जो अनुचित है । ऐसा करने की वजह से इस प्रदेश के उद्योग मिट रहे हैं । किसान भी क्वालिटी मार्क पसन्द करता है । वह सस्ता भी पड़ता है । आप इसे देखें कि आपके विभाग के अधिकारी मनमानी न करें । दोनों से उपकरण खरीदे जायं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि यदि हम कृषि के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं तो सभी क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं । यह सही है कि हमारा कृषि उत्पादन बढ़ा है । इसके कारण एक स्टेबिलिटी आई है । फलस्वरूप हमारी संस्था से प्रजातंत्र को भी बल मिला है । मान्यवर, मेरे जनपद में आंवले की पैदावार बहुत होती है, इसका उचित इन्तजाम किया जाना चाहिए, जिससे आंवला उत्पादकों को अच्छा लाभ मिल सके । हार्टिकल्चर के इस समय श्री वर्मा जी जो आपके डायरेक्टर हैं, वह बहुत ही अच्छे आदमी हैं मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। वह आटो ट्रैक्टर में भी रहे हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उन्हें निर्देश दें कि वह इस मामले में गहराई से स्टडी करें ताकि इसका और बेहतर उपयोग हो सके । हमारे यहां शहर में एक मण्डी बनाई गई, परन्तु उसका कोई उपयोग नहीं है । दूसरे कामों में उसे लगाया जा सकता है । माननीय मंत्री जी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं। रेवेन्यू से भी है, इरीगेशन से भी है, पशुपालन से भी है । जितनी कमेटी बननी चाहिए चाहे मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में हों या आपकी अध्यक्षता में हों या किसी सीनियर मिनिस्टर की अध्यक्षता में हों स्थायल कन्जर्वेशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यह जो नालियां बनी हुई हैं, बहुत ही वसूली की जा रही है और किसान बहुत परेशान हैं । आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इससे किसान को मुक्त कर देना चाहिए । नाली और गूल बनाना जरूरी है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

(श्री मित्रसेन का नाम पुकारे जाने पर)

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, दो बजे बजट समाप्त करना चाहते हैं, माननीय पाण्डेय जो भी कुछ कहेंगे, उसके बाद मुझे भी जवाब देने का मौका चाहिए ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

हर ग्रुप से एक-एक आदमी की भावना आ जानी चाहिए । आपकी भी व्यवस्था भी हुई, अगर उसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है, तो उचित नहीं होगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने आपसे जो अनुरोध किया कि समय समाप्त होने के करीब है, इसलिए बहस को समाप्त करें, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृषि जैसा महत्वपूर्ण बजट है, माननीय मंत्री जी ने एक घण्टे से ज्यादा समय ले लिया था । सारे सदस्य अपनी बात कह सकें, मेरा अनुरोध है कि समय को बढ़ा दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री मैनेजर सिंह–

काफी लोग बोलना चाहते हैं । मैं भी बोलना चाहता था, नहीं बोलूंगा इसलिए कि मेरे नौजवान साथी बोलना चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठता–

यह तो सदन का निर्णय है, जब तक अन्यथा कोई प्रस्ताव न आ जाय, 2 बजे तक समाप्त करना है ।

(घोर व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, समय बढ़ाने के लिए कृषि मंत्री जी भी एहसास कर रहे हैं। कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सभी बोलना चाहते हैं । जो 2 बजे तक की बात है, अगर आगे थोड़ा समय और हो जायगा तो कोई कठिनाई की बात नहीं है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय नेता विरोधी दल और मैनेजर सिंह जी ने जो सुझाव दिया है, उसको मानने में कोई आपत्ति न होती लेकिन आप स्वयं एजेण्डा को देखें तो इसमें 3.30 बजे विनियोग विधेयक पास होना है, उसके बाद उसे विधान परिषद् के द्वारा पारित होना है, 2 बजे के बाद तीन बजट हैं । निवेदन है कि इस बजट को समय के अन्दर ही सीमित रखें ।

श्री अधिष्ठता–

आपकी बात की महत्ता को हम समझते हैं ।

[समय 1 बजकर 30 मिनट]

श्री सत्यपाल सिंह–

दूसरे बजट में आप समय कम कर दें ।

श्री अम्मार रिजवी–

दूसरे बजट के लिए इसमें समय है, अगर दूसरा बजट एक घण्टे में खतम कर लिया जाय तो फिर इसमें आधा घण्टा का समय बढ़ाया जा सकता है । अभी विनियोग विधेयक होना है इसलिए इसमें समय न बढ़ाया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं । इस समय महत्वपूर्ण बजट चल रहा है, अभी समय इतना है कि उसके अन्दर ही आप सबको समय मिल जायेगा ।

श्री मित्रसेन–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपको समय देने के लिए धन्यवाद । माननीय मंत्री जी ने बजट पेश करते समय रचनात्मक सुझाव दिए इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन सही माने में कृषि के संबंध में यदि प्रदेश की आय के लिए इसे ही एक सुनियोजित स्रोत मानते हैं तो सैद्धांतिक तरीके से इसके बारे में आपको सोचना चाहिए । मैं माननीय डाक्टर साहब से निवेदन कर रहा था कि नीतिगत तरीके से किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिल सके, इस पर ध्यान देना होगा। आप कृषि को उद्योग मान कर चलें । आपने अपने भाषण में इतनी योजनाएं गिनाई हैं, मेरा ख्याल है कि सेठी

सकते थे । फिर भी अब इनसे पूछ लीजिए, सारे नाम नहीं गिना पायेंगे । इनका ग्राम सेवक इन योजनाओं के नाम नहीं जानता है और न इनके नाम ले सकता है ।

आपने किसानों को जो कर्जा दे रखा है, पम्पिंग सेटों के लिए, खाद के लिए, उन्होंने इन सब चीजों के नाम पर जो कर्जा ले रखा है उसको आप माफ कर दें तो उनके घर में कुछ लाभ पहुंच जायेगा । आपने जो मिनीकिट जैसे चीजें दे रखी हैं इनका एक प्रतिशत लाभ गांवों तक नहीं पहुंच पाता है । यह हो सकता है कि आपके विभाग में कुछ ईमानदार अधिकारी भी हैं, आपके रचनात्मक कामों के बावजूद भी इस विभाग में छूट के नाम पर लूट है, इसके आंकड़े नहीं गिनाये जा सकते हैं ।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो आपके कृषि के विश्वविद्यालय हैं जो केवल फसल और पौधे की नर्सरी ही नहीं बनाते हैं बल्कि ये इंसान की भी नर्सरी तैयार करते हैं । वहां से जो वैज्ञानिक निकलते हैं, उनके लिए आप विश्वविद्यालयों का वातावरण स्वच्छ करें और इसके लिए कोशिश करें । वहां घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है और उसका प्रकरण उजागर हो चुका है । हम आपको बधाई देंगे कि आपने एडहाक नियुक्तियों को खतम किया है, लेकिन जो वित्तीय अनियमितताएं हैं, जिनकी जांच के लिए बात है आपने कहा कि इसकी जांच तकनीकी समिति कर रही है, आप आडिट आपत्तियों पर भी जांच कराइए और उसमें जो लोग दोषी पाए जायं उनको दण्डित कीजिए । लेकिन यह भी सुनने में आ रहा है कि आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है उसको रोकने के लिए और कुछ को प्रमोशन देने के लिए । बनारस में करोड़ों रुपए के मकान इन लोगों ने खड़े कर लिए हैं । आपके पास इतना बड़ा मकान नहीं होगा जितना कि बनारस में इन विश्वविद्यालय के लोगों ने बनवा लिया है ।

आप कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की तारीफ करिए, उन लोगों की तारीफ न करिए जो दूसरे के पेट को काटकर आराम का सामान अपने लिए मुहैया किए हुए हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम कीजिए और वहां से भ्रष्ट लोगों को निकाल दीजिए ताकि वहां का वातावरण स्वच्छ हो सके । दूसरी बात आप कृषि को उद्योग घोषित कीजिए । केन्द्र के मंत्री, माननीय हरिकृष्ण शास्त्री जी जब कृषि विश्वविद्यालय में गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम कृषि को उद्योग घोषित करने जा रहे हैं। तो जब आपके एक नेता ने यह फैसला ले लिया है तो इसको वैसे ही लागू कर दें । अन्त में इस सुझाव के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि फैजाबाद में भी मैंगो-बेल्ट कायम कर दें जिस तरह से लखनऊ को किया है . . .

श्री प्रेम पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत कृषि के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस महत्वपूर्ण बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं । मान्यवर, हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है जहां पर 80 फीसदी गरीब, हरिजन व मजदूर और सर्वहारा रहते हैं, जो इसी पर पूरी तरह से, निर्भर करते हैं । मान्यवर यह विरोध पक्ष को तो यह कटौती का प्रस्ताव रखना ही नहीं

चाहिए था उनको शायद याद नहीं है कि जब 1960 में लाल गेहूं अमेरिका से आता था, तो उस समय हमारे प्रधान मंत्री, पं0 जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि एक दिन हम खाना खाएंगे और एक दिन नहीं परन्तु अब दूसरे देशों से अन्न नहीं मंगायेंगे और स्वयं अपनी मेहनत से इनके उत्पादन को बढ़ायेंगे आज जो उत्पादन हमें दिखाई दे रहा है, वह इसी बात का द्योतक है कि आज हमारा देश व प्रदेश इस ओर पूरी तरह से आत्म-निर्भर हो गया है, इन विरोध पक्ष की ओर बैठने वालों को बजाए कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के डूब मरना चाहिए क्योंकि आज हम आत्म-निर्भर ही नहीं हुए हैं बल्कि दूसरे देशों में, अरब देशों में हमारे यहां से गेहूं जा रहा है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मा0 प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्षों में वर्ष 68-69 में कृषि उत्पादन विकास की ओर यह निर्णय लिया कि हम पहले 169 जिलों का इसके लिए चयन करते हैं, जिसमें से हमारे प्रदेश से 38 जिले चुने गए । श्रीमन् इस योजना के लिए चावल के लिए 24, मक्का के लिए 9, अरहर के लिए 6 जनपदों का और रबी में गेहूं के लिए 24 तथा चना के लिए 5 जनपदों का चयन किया गया है । इसी प्रकार से कृषकों को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार ने "सिंगिल विण्डो सिस्टम" को पहली बार चालू किया है । उर्वरक वितरण भी लक्ष्य से अधिक किया गया है जो अपने में एक कीर्तिमान है । तिलहन सूरजमुखी और सोयाबीन के उत्पादन कार्यक्रम को भी अच्छी गति दी है । इसी तरह से कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बनाए जाने वाले कृषि यंत्रों की खरीद में हमारे किसानों को 50 प्रतिशत का अनुदान देकर विशेष कार्य किया है और मान्यवर पूरे प्रदेश में मंडियों का एक जाल सा बिछा दिया गया है । जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर व उबागढ़ में मण्डी तो बन गई है और उसका निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया गया है । और मान्यवर जलेसर से लेकर इसौली तक जो मिट्टी खड़न्जे का मार्ग है, उसे जनहित में डामर किया जाए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं, और बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। . . .

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, जनपद बलिया के बारे में भी कुछ सुझाव देने का समय दे दीजिए. . . .

(एक साथ कई मा0 सदस्यों के खड़े होकर बोलने से घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त बनाए रखें, बलिया का नेतृत्व मा0 हरदेव जी अभी-अभी कर चुके हैं, क्या उन्हें आप सक्षम नहीं मानते हैं । . . (शोर)

***श्री राम आसरे वर्मा–**

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मा0 मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, इनके बारे में मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ अर्से पहले यह हम लोगों के नजदीक बैठते थे, इस नजदीक बैठने की वजह से हम लोग यह अपेक्षा कर रहे थे कि जब यह इस महत्वपूर्ण विभाग को संभालेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी इस विभाग में अवश्य लायेंगे। मान्यवर, क्रान्तिकारी परिवर्तन तो दूर रहा और माननीय मंत्री जी हम लोगों से दूर हो गयी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, प्रदेश में 80 प्रतिशत किसान हैं और आपका आर्थिक तंत्र का ढांचा कृषि पर ही निर्भर करता है । आप देखें कि किसान को उसकी उपज का मूल्य दिला पाने में शासन अक्षम है । हम अपेक्षा करते थे कि माननीय मंत्री जी कोई क्रान्तिकारी कदम उठायेंगे और निर्णय लेंगे कि किसान को उसकी उपज का मूल्य तय करने का अधिकार उसको मिलेगा । इस सिलसिले में माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कोई संकेत नहीं किया है । मान्यवर, जहां तक उपज की दुर्दशा का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि आलू की फसल की बड़ी दुर्दशा होती है । किसान आलू को पैदा करता है और जब वह पैदा करके आलू को तैयार करता है, तो उसको रखने के लिये उसके पास कोई स्थान नहीं होता है, हम उसको आलू रखने के लिये कोई स्थान उपलब्ध नहीं करा पाते हैं । मान्यवर, अगर उनको आलू रखने का स्थान मिल गया, तो किस प्रकार से किसान का उत्पीड़न होता है और शोषण होता है, इसको सभी लोग जानते हैं । कोल्ड स्टोरेज में लूट मची हुई है । वहां पर किसान का आलू सड़ा हुआ दिखा दिया जाता है और उनको उसका मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। जिन किसानों का आलू सड़ जाता है, उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है।

मान्यवर, जहां तक सीड और खाद का प्रश्न है, इनके वितरण में काफी भ्रष्टाचार है। अगर माननीय मंत्री जी इस कार्य को तकनीकी कर्मचारियों से करवायें तो वह किसान का भला कर पायेंगे । मन्डी समितियों के लीफलेट हमको देखने को मिले हैं, जिनमें किसानों को आगाह किया गया है कि मन्डी समिति से उनको क्या सुविधायें मिल सकती और क्या राहत मिल सकती है, लेकिन मान्यवर, वह लीफलेट्स निदेशालय की शोभा बढ़ा रहे हैं । अगर किसान मंडी समितियों से अपने अधिकार को जान लेगा और पहचान लेगा और उनकी मांग करने लगेगा, इसीलिये वह निदेशालय की शोभा बढ़ा रहे हैं और किसानों को नहीं दिये जा रहे हैं । जिला स्तर पर जिला कृषि अधिकारी और बी0 डी0 ओ0 होते हैं । जिला कृषि अधिकारी और ब्लाक डेवलपमेन्ट आफीसर दोनों श्रेणी दो के अधिकारी होते हैं, इसलिये जिला कृषि अधिकारी का बी0 डी0 ओ0 पर नियंत्रण नहीं होता है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके विभाग में 25–20 साल से कर्मचारी अस्थायी पड़े हैं, उनको आप स्थायी नहीं कर पाये हैं । आपने इसी सदन में मेरे ही सवाल पर आश्वासन दिया था कि जिन लोगों को 3 साल सेवा करते हो गये हैं, उनका विनियमतीकरण कर दिया जायेगा, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है । इस पर माननीय मंत्री जी ने कोई बात अपने बजट भाषण में नहीं कही है ।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट में बड़ी ऐतिहासिक घोषणायें की हैं । माननीय मंत्री जी ने जो उत्पादन के आंकड़े दिये हैं, उससे यह साबित होता है कि हमारे मंत्री जी ने ऐसा कोई स्रोत नहीं छोड़ा है, जिससे उत्पादन बढ़े और उन्होंने गांवों को मंडी से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया है । उनकी मन्शा अच्छी है कि प्रदेश में कृषि का प्रसार हो और उत्पादन बढ़े और किसान खुशहाल हो । इन सारी बातों के लिये वह बधाई के पात्र हैं । जो प्रयास माननीय मंत्री ने कृषि के क्षेत्र में किये हैं, अगर वह न किये होते तो 88–89 में तो उत्पादन हुआ है, वह न कर पाते । मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन

करना चाहता हूं कि यहां पर आलू के बारे में चर्चा हुई। मेरठ में आलू सड़कों पर पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप मेरठ में आलू बेस्ड इन्डस्ट्री लगाये और यह इंडस्ट्री आप खास तौर से खरगोदा हापुड़ में लगायें ताकि वहां के किसानों को इसका लाभ मिल सके। मान्यवर, हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर 6 अलग-अलग कृषि विश्वविद्यालय बनाने की कृपा करें और विभिन्न जलवायु की स्थिति को देखते हुये आप कृषि विश्वविद्यालय खोलें । मान्यवर, यहां पर एक टी0 एन0 बी0 योजना बनायी गई। उसको लागू किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब कृपया बैठें । श्री विक्रमादित्य पांडेय..

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र शर्मा–

मान्यवर, हम देखते हैं कृषि क्षेत्र में हमारे जितने अधिकारी हैं या विश्वविद्यालयों के अधिकारी हैं उनका किसानों के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं होता है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों का कृषि विश्वविद्यालयों से सीधा सम्बन्ध जोड़ दिया जाय और टी0 एन0 बी0 योजना लागू की जाय । इन शब्दों के साथ मैं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया है । . . .

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं दो शब्द आपसे कहना चाहता हूं । हमारे उत्तर प्रदेश में जो होल्डिंग है उसमें .5 प्रति हेक्टेयर से कम किसानों की संख्या 50.5 प्रतिशत है दस हेक्टेयर के किसानों की संख्या मात्र 4% है । बड़े किसानों की संख्या नाम मात्र की है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों की संख्या अधिक है । अगर आप कृषि क्षेत्र में विकास चाहते हैं तो मेरा अनुरोध है कि आप छोटे किसानों के हितों को सामने रखकर उनके विकास की बात करें तभी उत्तर प्रदेश में कृषि का विकास होगा । यदि आप बड़े किसानों की बात और कहेंगे कि हमने वहां पर ट्यूबवेल दे दिया, बिजली दे दी तो मैं समझता हूं कि इस से उत्तर प्रदेश का भला होने वाला नहीं है ।

छोटे किसानों के लिये जो आपने व्यवस्था बीज, सिंचाई खाद के लिये की है वह असंतोषजनक है । फ्री बोरिंग में अनियमितता है, किसानों को धोखा दिया जा रहा है केवल आंकड़ों पर विश्वास न करें । मान्यवर, कृषि का सम्बन्ध प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता से है । आपके सभी विकास के बाद किसान भूखा है, नंगा है, कर्जदार है समाज का सबसे पिछड़ा है उसे अपनी वस्तुओं की कीमत नहीं मिलती प्रति एकड़ उपज अन्य प्रदेशों से कम है । दाल तेल का अत्यन्त अभाव है । आलू सड़ रहा है उन्हें रखने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

खाद मंहगा है । आपने किसानों की कमर तोड़ दी है । कुछ घोषणाएं की है जिसका स्वागत है लेकिन उपलब्धि पर समर्थन करूंगा । मान्यवर डा0 लोहिया ने भूमि सेना का विचार दिया था बलिया उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर पिछड़ा जनपद है कृषि एक मात्र जीविका का साधन है। कृपया कृषि विकास के लिये बलिया में कृषि शोध संस्थान और कृषि महाविद्यालय खोलें ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया है । कृपया बैठें ।

(श्री बद्री सिंह का नाम पुकारा गया और श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री बद्री सिंह एक साथ बोलते रहे जिससे किसी माननीय सदस्य की बात स्पष्ट नहीं हो सकी ।)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर; एक बात बलिया के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । वहां पर नदी के किनारे बहुत बड़ा इलाका है जो ऊबड़-खाबड़ है । उसके लिए मेरा आपको सुझाव है कि आप आसाम की तरह वहां की "दीयरा लैंड डेवलपमेंट अथारिटी" बनावें । फैजाबाद तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में भी इसकी सिफारिश की गयी है । इस तरह से भूमि सुधार की व्यवस्था करें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री बद्री सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया है । मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्षों 88–89 और 89-90 के लिये विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम लागू किया है और देश के 169 जनपदों का चयन किया गया है जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के 38 जनपद लिये गये हैं । इसके लिये हमारे देश के प्रधान मंत्री, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार तथा हमारे कृषि मंत्री बधाई के पात्र हैं । मान्यवर अगले वर्ष विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत 363 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 12 लाख मीट्रिक टन तिलहन का लक्ष्य रखा गया है । यह निःसंदेह प्रशंसनीय कदम है और मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं । यहां पर सिंगल विंडो सिस्टम का प्रारम्भ प्रथम बार किया गया है..

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।। माननीय प्रमोद तिवारी जी प्रमीला के फोटो का वहां पर एग्जीबिशन कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि प्रमीला की फोटो सदन में दिखा दी जाय । इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(व्यवधान)

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, लोग रात में स्वप्न देखते हैं लेकिन माननीय सदस्य दिन में स्वप्न देख रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

जब कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाता है तो उस पर चैयर से पहले निर्णय दिया जाता है । उसको सुनने के बाद कुछ कह सकते हैं । आपके पास कुछ ऐसी चीज हो तो आप आजम खां साहब को घर आमंत्रित कर लें ।

श्री बद्री सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने बुन्देलखण्ड को सोयाबीन विस्तार योजना के लिए चयनित किया है इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं ।

अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं हमारे क्षेत्र में मंडी समिति द्वारा कई सड़कें बनाने की घोषणा पूर्व कृषि मंत्री जी ने की थी उनको बनाया जाय। जैसे कालपी से काशीरामपुर आदि है इनको मंडी समिति द्वारा बनाया जाय । हमारे कुठौन ब्लाक की कुछ पंचायतों और गांव औरइया मंडी में लगती है। जिसे वहां बड़ी असुविधा होती है इसे उन गांवों को औरइया मंडी से हटा कर कालपी मंडी में जोड़ा जाय क्योंकि वह काफी दूर पड़ती है और उससे असुविधा होती है ।

हमारे क्षेत्र में इस 27 मार्च को ओलावृष्टि हुई है जिससे फसल चौपट हो गयी है । इसलिए निवेदन है कि जिन किसानों का इससे नुकसान हुआ है, जिनकी फसल को क्षति हुई है उनको आर्थिक सहायता दी जाय, उनकी आबपासी और मालगुजारी माफी की घोषणा की जाय ।

हमारे कालपी में बीहड़ क्षेत्र है वहां पर बीहड़ सुधार योजना लागू की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री बद्री सिंह–

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

(श्री बदन सिंह का नाम पुकारे जाने तथा श्री शारदानन्द अंचल के खड़े होने पर) अंचल जी आपको क्या कहना है क्या कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर , मुझे बोलना है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई तरीका नहीं है मैंने बदन सिंह जी को बुलाया है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं सुबह से उठक बैठक कर रहा हूं आखिर क्या तरीका है नाम पुकारने का । (कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने से (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

समय बढ़ा दिया है, आपको भी मौका मिलेगा। मैं सदन को अपने तरीके से चला रहा हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

कौन सा तरीका है ?

श्री गोपीनाथ वर्मा–

मान्यवर, हमें भी मौका मिलना चाहिए । मुझे इजाजत दे दीजिए मैं बोलूंगा ।

(घोर व्यधान)

श्री अधिष्ठाता–

एक माननीय सदस्य का नाम लिया जा चुका है वह पहले बोल लें ।

श्री बाबूराम यादव–

यह ठीक है कि आपका विवेक है कि किसको बुलायें लेकिन विवेक का इस्तेमाल करते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पक्षपात न हो । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कोई पक्षपात नहीं हो रहा है, माननीय बदन सिंह बोलें ।

श्री बदन सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कम समय होने के कारण केवल सुझाव देते हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । माननीय कृषि मंत्री जी ने कुछ महत्वपूर्ण परि–योजनाओं की घोषणा की है। भूमि संरक्षण योजना लागू की गयी है लघु और सीमान्त कृषकों को भूमि समतल होने पर ही पूरा लाभ मिलता है, उसे पुन: उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी में जिप्सम आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, दूसरा सुझाव है कि जब तक कृषि, सिंचाई और बिजली विभाग का समन्वय नहीं किया जायेगा तब तक कृषि की कितनी ही योजनायें चला दी जायं उनसे किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिये सुझाव है जहां खारा पानी का क्षेत्र है, जमीन खारी है वहां नहरी पानी सिंचाई की व्यवस्था की जाये। जहां मीठा पानी है वहां भूगर्भ का जल का सदुपयोग होना चाहिए।

मान्यवर, मंत्री जी ने घोषणा किया कि खाद, बीज और कीटनाशक दवाईयों के ऊपर अनुदान देंगे तो यह अच्छी बात है । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह अनुदान जहां है वहां किसी भी किसान के पास समय से यह सुविधा नहीं पहुंचाते है और सरकारी मशीनरी की जेब में पैसा जा रहा है ।

तीसरा सुझाव है कि चना की खेती के लिए एक जीवाणु राइजोपियम होता है जो खारे पानी और खाद देने से नष्ट हो गया है इसलिये इसकी रक्षा के लिये जब तक प्रयास नही किये जायेंगे तब तक चने की खेती की प्रगति नहीं हो सकती है ।

मान्यवर, बीज की चर्चा की गयी तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी प्रजातियां प्रगतिशील बीज की है उनकी कीमत सस्ती की जाये । तभी किसानों को लाभ होगा ।

मान्यवर, खाद में अपमिश्रण को रोकने के लिये इसकी पहचान के लक्षण किसानों को बताये जिससे उनको पता चल सके कि नकली खाद है या असली खाद है । आज जितने भी अधिकारी इस संबंध में है जैसे एफ0 सी0 आई0 और कृषि जिला अधिकारी तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे है । वे नहीं देखते है कि बीज और खाद किसानों को शुद्ध सप्लाई किये जा रहे है कि नहीं । इसलिये निवेदन है कि कृषि

विशेषज्ञ उच्च श्रेणी के रखे जायं जो अपमिश्रण के मामलों को पकड़ें, तभी अपमिश्रण की समस्या हल हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ । आप बैठ जायं ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, एक मिनट और दे दें । मेरा यह भी सुझाव है कि मंडी समिति की जो सड़कें हैं उनमें कोई भी ऐसी नहीं है जिससे किसान अपना उत्पादन आसानी से मंडी पहुंचा सके, इसलिये फसल लेने के लिये इन सड़कों को पक्का और ठीक करायें । वरना किसानों को अपनी फसल का पूरा लाभ नहीं मिल पायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें । आप बैठ जायं । अब आप बोलेंगे तो आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री बदन सिंह--

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री हीरा सिंह बिष्ट--

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का समय दिया । मान्यवर, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रगतिशील नीतियों का परिचय दिया और कृषि विभाग की उपलब्धियों को सदन के पटल पर रखा । मान्यवर, किसानों को बहुत सी राहतें देने के साथ-साथ पर्वतीय क्षेत्र में एक अलग से निदेशालय खोलने की घोषणा की जिसके लिए मैं पर्वतीय जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूं ।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में फलोद्यान की महत्ता बहुत है और फलोद्यान वहां आय का एक साधन है उसमें मंत्री जी ने सुविधायें और राहतें देने की घोषणायें की हैं । लेकिन इसके साथ मैं यह भी चाहता हूं कि रेल हेड तक फल उत्पादकों को अनुदान में छूट दी जाय जिससे कि वह अपने उत्पादन की सही कीमत प्राप्त कर सके । अनुदान मिलने से कूट प्रोसेसिंग में तेजी आयेगी ।

मान्यवर, अभी एक भारत-इटली की परियोजना देहरादून में चल रही है । मैं इस संबंध में मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैंने इस योजना को देखा है, जिस लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर इटली-भारत सरकार द्वारा प्रादेशिक सरकार ने इसको खोलवाया है, उसका सार्थक परिणाम वहां अभी तक सामने नहीं आया है । इस ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कृषि मंत्री जी ने लाखों-करोड़ों रुपये की योजनाएं दी हैं, लेकिन इसका सही उपयोग नहीं हो पाया है । यह हमारा अनुभव है । भूमि संरक्षण के लिए जो अनुदान मंत्री जी ने दिया है और जो धन देने की घोषणा की है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही यह मांग करता हूं कि वहां (देहरादून) के लिए एक अलग भूमि संरक्षण अधिकारी और एक अलग कार्यालय खोलने की जो बात थी, मैं समझता हूं कि वह तय हो गया होगा, वह इसकी घोषणा करने की कृपा करें । मैं

इसके साथ उनके सुन्दर बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं ।

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर–व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी (रवीन्द्र नाथ तिवारी) अब आप इसे देखें ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

श्रीमन्, अगर माननीय मंत्री जी भी सहमत हो जाएं और आपकी अनुज्ञा मिल जाए तो 20 मिनट समय और बढ़ा दिया जाए, 2-2 मिनट माननीय सदस्य और बोल लें । दूसरे बजट में आप इतना समय काट लें।

श्री अधिष्ठाता–

दूसरे बजट में से कटौती तो पहले ही की जा चुकी है, और कोई भी सदस्य दो मिनट में अपनी बात समाप्त करने के लिए तैयार नहीं होता है और रोक भी नहीं मिलता है। कोई मानता नहीं है इसमें।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

इसका आप स्ट्रिक्टली पालन करायें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अंचल जी । लेकिन आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, इस प्रदेश के कृषि विभाग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि एक डाक्टर, जिसको नब्ज देखनी चाहिए, स्वास्थ्य देखना चाहिए, उसको खेत देखने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। उनको स्वास्थ्य विभाग में देकर खेती का विभाग दे दिया गया है, जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है । कृषि विभाग के जो डायरेक्टर हैं . . . यह इतने चरित्रवान हैं . . .

(व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

अंचल जी आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

7 हजार रुपया इसका केवल दिल्ली आने-जाने का खर्च है । कृषि मंडी में पूरी तरह से अक्षमता फैली हुई है ।

श्री अधिष्ठाता–

तिवारी जी, इसको आप देखें ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

हमारे यहां की कृषि मंडी तीन साल से बनकर तैयार है, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हो रहा है। . . . (व्यवधान) कृषि मंत्री के लिखने के बावजूद कृषि विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की है। इसी तरह से इनका बीज विकास निगम भी अक्षम है। उनके पास योग्यता नहीं है ।। एम0 डी0 पद पर जो हैं वह जहरीले बीज बेंच रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

बार बार मना करने पर आप मान नहीं रहे हैं । अब आप जो कुछ बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जाएगा ।

श्री शारदानन्द अंचल–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यही आप कह रहे थे कि समय के अन्दर समाप्त कर देंगे नमूना आप देख ही रहे हैं । राणा जी एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इस प्रदेश का चप्पा-चप्पा भूमि का सर्वेक्षण होना चाहिए कि कहां-कहां कौन फसल हो सकती है । हमारे मंत्री जी आगरा के हैं और पहली बार मंत्री हुए हैं–

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप सब बैठें । माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी मैंने आपका नाम पुकार लिया है, आपको कुछ कहना है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

माननीय माता प्रसाद जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कालान्तर में सदन का इतिहास देखने पर, कि कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित थे तो बोलने वालों के नाम याद रहेंगे, उसमें 20-25 लोगों के नाम होंगे तो और सदस्यों को भी मौका दिया जाए ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

आपको व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य यह मांग कर रहे हैं कि पानी और बिजली की कीमत कम कर दें मैं यह नहीं कहना चाहता हूं आप पानी और बिजली की कीमत और बढ़ा दें, मेरा प्रश्न यह नहीं है . . .

(शोर)

आपकी जो व्यवस्था है वह ठीक नहीं है । अहेतुक सिंचाई के नाम पर फर्जी बिल बनाकर पैसा वसूला जा रहा है वह समाप्त होना चाहिए ।

(कई सदस्यों के एक साथ पुनः खड़े होने पर)

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप सभी बैठें । पाण्डेय जी आपको कुछ कहना है या नहीं कहना है ।

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि माननीय रामगोविन्द चौधरी को आप समय दे दें, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मैं उनको स्पष्टीकरण करने के लिये मौका दे दूंगा ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि सवा 4 घंटे हो गये हैं और माननीय पाण्डेय जी को और माननीय मंत्री जी को बोलना है । साढ़े तीन बजे विनियोग विधेयक है । अभी कुछ बजट हैं । तो अब और समय देना उचित नहीं है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मुझे बड़ा दुख है । आप समय नहीं दे रहे हैं ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, मेरे ख्याल से 4 माननीय सदस्य रह गये हैं बोलने से । आप इनको मौका दे दें । माननीय माता प्रसाद जी और मैं 5-5 मिनट में अपनी बात खत्म कर लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया लेकिन मैं आपकी संचालन प्रक्रिया से बहुत दुखी हूं । मैं केवल 2-3 सुझाव देना चाहता हूं । बोलना तो मुझको बहुत था परन्तु समय कम है इसलिये कुछ सुझाव देना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने जब यह बजट प्रस्तुत किया तो कुछ योजनायें बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की । मैं मानता हूं कि बिना लाली पाप लगाये उनका चेहरा दक-दक करता है लेकिन कृषि विभाग का प्रस्तुत बजट तब वास्तविक रूप में आयेगा जब प्रदेश के किसान का चेहरा उनके चेहरे की आधी लाली के बराबर हो जायेगा । मान्यवर, भूमि संरक्षण विभाग के अंतर्गत शारदा सहायक कमांड, बलिया में खेतों की नालियों को बनाने का काम किया गया ।

आज सिंचाई विभाग, पी0 डब्लू0 डी0 आदि विभाग जब नाली बनाते हैं तो किसान की मुआवजा दिया जाता है लेकिन बलिया में कहा गया कि सरकार की तरफ से नाली खोदी जा रही है और यह नि:शुल्क खोदी जा रही है लेकिन बलिया में एक-एक गांव में लाख-डेढ़ लाख रुपया हर गांव से वसूलने की कार्यवाही की जा रही है । इस तरह से बलिया जिले के किसानों से करोड़ों रुपये वसूले जा रहे हैं । दूसरी बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह कहना चाहता हूं कि कृषि विभाग जो भूमि समतलीकरण का काम करता है तो उसमें सीमांत कृषक, लघु कृषकों की भूमि समतलीकरण का कार्य निःशुल्क किया जाता है । लेकिन इन किसानों से भूमि समतलीकरण शुल्क की वसूली की जा रही है । इसी तरह से मेरे यहां कृषि बीज गोदाम को जो खाद गयी थी वह चोरी से बेच दी गयी है । आप इसकी जांच करवायें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां भूमि संरक्षण विभाग द्वारा नाली खोदने के संबंध में जो वसूली की जा रही है उसको माफ करने की कृपा करें और किसानों को मुआवजा देने का कष्ट करें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

माननीय अधिष्ठता महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं। आज विरोधी पक्ष के सदस्य शिकायत करते हैं कि किसानों को खाद, बीज नहीं मिला, लेकिन वे इस बात की शिकायत नहीं करते कि किसान के पास उसकी भूमि नहीं है, हमारी सरकार ने जमींदारी उन्मूलन करके उन्हें भूमिधरी अधिकार दिये हैं, वे आज अपनी भूमि के मालिक हैं। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के किसान लोग शिकायत करते हैं कि हमको समय पर बीज और खाद नहीं मिलती है, यह समय पर मिलनी चाहिए । पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि संरक्षण का काम हो रहा है, लेकिन इसका कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है। गधेरों में भूमि का ट्रीटमेंट चोटी से होना चाहिए, नीचे की तरफ से शुरुआत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी उसको बहा कर ले जायेगा। हमारे क्षेत्र में फल, सेब, खुमानी, आलू, मटर आदि होती है, उनके लिए शीतगृह बनाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, तराई विकास निगम जो धान, गेहूं, दलहन, तिलहन का बीज दुगुने-तिगुने पर दे रहा है, उस काम को कृषि विभाग को करना चाहिए। मान्यवर, एग्रो में, तराई विकास निगम में, मण्डी परिषद् में आई0 ए0 एस0 को नहीं रखना चाहिए, बल्कि उससे संबंधित विशेषज्ञ को रखना चाहिए। अन्त में मेरा सुझाव यह है कि भूमि संरक्षण इकाई के स्थान पर भूमि सेना का गठन होना चाहिए, जिससे ऊसर, बंजर, जंगलात और नदियों के किनारे की जमीन को खेती योग्य बनाया जा सके, और जिससे हजारों क्विंटल अनाजों की वृद्धि होगी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

मान्यवर, मुझे एक मिनट बोलने का समय दे दीजिए। मान्यवर, मेरा ललितपुर जनपद पिछले तीन वर्षों से सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के कारण प्रभावित है। वहां की फसलें तबाह हो गयी हैं, किसान अपना ऋण नहीं दे सकता है, अतः उसके ऋण को माफ किया जाय। बुन्देलखण्ड की कृषि योग्य भूमि कम है, जमीन समतल नहीं है, ऊबड़-खाबड़ है, जिससे फसल की भरपूर पैदावार नहीं होती है, उसका समतली-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करण कराया जाय। हमारे जनपद में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोली जाय, जिससे मिट्टी का स्थानीय परीक्षण हो सके। हमारे जनपद में ललितपुर के मड़ावरा कस्बे में उप कृषि मंडी स्वीकृत हो चुकी है, उसे तुरन्त स्थापित किया जाय, साथ ही उसे कस्बे के पुराने किले के मैदान में स्थापित किया जाय। किसानों को कृषि कार्य के लिए किसानों द्वारा लिये गये ऋण में इतनी अधिक औपचारिकताएं हैं कि किसान को समय से ऋण नहीं मिल पाता और वह ऋण का समुचित लाभ नहीं उठा पाता। मान्यवर, हमारे जनपद में जो खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयां मिलती हैं, वह इतनी खराब किस्म की होती हैं कि बीज का सही जमाव व पोषण नहीं हो पाता। मैंने स्वयं पिछले वर्ष 4 कुन्टल सोयाबीन बोया, किन्तु एक भी बीज का जमाव नहीं हुआ। इस तरह से मुझे दोहरा नुकसान हुआ। इसके लिए आप अवश्य ध्यान दें। यह जो कृषि रक्षा इकाई के द्वारा मशीन देते हैं, वह अच्छी किस्म की नहीं होती हैं और खराब होने पर उन्हें पुनः ठीक करने के लिए मैकेनिक नहीं उपलब्ध होते हैं, अतः प्रत्येक रक्षा इकाई पर एक मैकेनिक की व्यवस्था की जाय, जिससे मशीन तुरन्त ठीक होकर किसान को समय से लाभ मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री राज किशोर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राज किशोर सिंह जी, आप अपने सुझाव लिखकर भेज दीजिएगा।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, मैं बार-बार खड़ा हो रहा हूं, लेकिन आप मुझे बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं सदन का वहिष्कार करता हूं।

(श्री राज किशोर सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, काफी समय से इस पर चर्चा चल रही है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी का आज सार्वजनिक निर्माण विभाग का अंतिम बजट का दिन है, लगता है कि उन्हें बजट रिलीज करना है। मान्यवर, मैं इसकी आलोचना-प्रत्यालोचना में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर जनता जिसको भेजेगी, वही इस सदन में आयेगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारा उत्पादन बढ़ा, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारा सेन्ट्रल पूल में क्या योगदान रहा, 84-85 में सबसे ज्यादा आपका था 21 लाख मीट्रिक टन के करीब और तब पंजाब को जाता था 44 लाख मीट्रिक टन। आप खाद्य मंत्री जी से पूछ लीजिएगा कि हमारे अन्न की प्रति व्यक्ति क्या उपलब्धि है, उसको बताने की कृपा करें। और दूसरे प्रदेशों में क्या है इसको भी आप अपने उत्तर में बताने का कष्ट करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा हमारा जो पैदा होता है उपभोग में चला जाता है। इसमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि उनको कुछ बचे इसको भी बताने का कष्ट करें। मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में आलू का उत्पादन ज्यादा होता है जहां आप सरप्लस मानते हैं वहां चीप्स की फैक्ट्री बनवा दीजिए जिससे आलू का उपयोग हो सके।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करिये।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि कृषि को आप उद्योग घोषित करिये और जैसे कपास का आपने कहा है वैसे हर बार गेहूं के मूल्य को आप निर्धारित करिये आप समता मूलक देते हैं लाभकर मूल्य नहीं देते हैं हमारा आग्रह है कि अगला बजट जब हो तो इसका लागत मूल्य अपने विश्वविद्यालय से कृषि फार्मों से उपलब्ध करावें उसका लागत मूल्य निकाल कर उसमें 25 प्रतिशत जोड़कर तब समता मूल्य निर्धारित करिये। मान्यवर, जो उद्योग शून्य जिले हैं मैं कहना चाहता हूं कि कृषि को उद्योग मानिये और उद्योग शून्य घोषित करके 4 प्रतिशत ब्याज पर उनको लोन उपलब्ध कराया जाय। इस तरह से किसानों को आप समृद्ध बनाये इस आशा अभिलाषा और आकांक्षा के साथ आने वाले दिनों में जो किसानों का मुरझाया हुआ चेहरा है वह भी आपके जैसा ही बन सके इस अभिलाषा के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को बल देता हूं।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय पाण्डेय जी और माननीय सभी सम्मानित सदस्यों को जो हमारे सामने बैठे हैं या इधर बैठे हैं उन सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

श्री कौशिक रमाशंकर–

धन्यवाद भी दें।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

धन्यवाद भी देता हूं। मैं तो अमली जामा पहनाने में विश्वास करता हूं बातों में कम विश्वास रखता हूं।

मान्यवर, उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिए कृषि के क्षेत्र में, मान्यवर, एक विशेष बात रही आज की चर्चा में कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस पर कमोवेश चाहे उधर के लोग हों चाहे इधर के लोग हों सबने बधाई दी उपलब्धियों पर और जो भविष्य में योजनाएं लागू करने वाले हैं।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं गलत फहमी में फंस गया आपने कहा अमली जामा पहनाने में कहीं पायजामा . . . (व्यवधान)

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, हो सकता है कि कुछ हमारी कमियां हो यह स्वीकार करते हैं जब काम करने के लिए हमने इरादा किया है और हमने काम किया है तो लाजिमी है कि कुछ कमियां भी होंगी। इन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। मान्यवर, श्री पाण्डेय जी बार-बार माननीय तिवारी जी की चर्चा कर रहे थे, हवाला दे रहे थे यह तो है वही बात हुई कि नानी से ननिहाल की बात। श्रीमन् आज जो इस प्रदेश में उपलब्धि है कृषि के क्षेत्र में उद्योग के क्षेत्र में व अन्य क्षेत्रों में, मान्यवर, जिन उपलब्धियों का जिक्र किया है और करने जा रहे हैं यह माननीय तिवारी जी के ही

कुशल नेतृत्व में उनकी प्रेरणा से, उनकी आशीर्वाद से यह हमने लागू की है, उपलब्धि हासिल की है और मान्यवर, मैं तो अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूं कि जब मैं उधर बैठता था जहां आज पाण्डेय जी बैठते हैं तो माननीय तिवारी जी नेता विरोधी दल थे और मैं सदस्य था और जब तिवारी जी नेता सदन थे उस समय भी इस सम्मानित सदन का सदस्य था उस समय भी मौका मिला मैंने व्यक्तिगत रूप से माननीय तिवारी जी से जो कुछ सीखा है उसी से आज कृषि क्षेत्र में यह प्रयास है और यह आपकी सेवा की है। किस प्रकार से किसान खुशहाल बने और उसकी खेती में उत्पादन बढ़े और हमें विश्वास है श्रीमन्, कि हमारे इरादे नेक हैं। हमने जो मंजिल तय करने का इरादा किया है, तय जरूर करेंगे।

श्रीमन्, अभी कुछ लोगों ने कहा कि निगम सफेद हाथी है। कौशिक जी और कुछ लोगों ने कहा। यह अलग विवाद है कि सफेद हाथी हैं या काले हाथी हैं, लेकिन यह जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को कि भले ही सफेद हाथी हों, उनको हम काले हाथी में बदलने का प्रयास करेंगे और गड़बड़ी को दूर करने का प्रयास करेंगे। जो कमियां हैं हार्टिकी में, एग्रो में, भूमि सुधार निगम में उनको हम दूर करेंगे। मा0 सदस्यों ने कृषि के संयंत्रों की ज्यादा कीमत के बारे में चर्चा की है कि ज्यादा कीमत देकर सब्सिडी का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। मान्यवर, यह शिकायत मा0 अन्य प्रतिनिधियों के द्वारा पहले भी आयी है, इस सदन में आयी है और हम इस विषय की उच्च स्तर से जांच कराएंगे और वह क्या कारण हैं जिनके कारण से कृषि संयंत्र सही कीमत पर या वाजिब कीमत पर किसानों को नहीं मिल रहे हैं। क्या कारण है, इसमें कैसे सुधार किया जाय, कौन दोषी है, इसकी जांच कराएंगे और जो दोषी पाया जायगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। मा0 पाण्डेय जी ने आलू के बारे में कहा, चिप्स इण्डस्ट्री के बारे में राणाजी ने कहा। हमने आलू से पोटेबिल अल्कोहल बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा। पिकप के सहयोग से यूगोस्लाविया से अल्कोहल बनाने के लिए बातचीत शुरू की है। हमारा प्रयास होगा कि आलू से अधिक से अधिक इण्डस्ट्रियल बेस बनाकर उसका उपयोग कर सकें। जो रीजनल फल हैं, आमला, अमरूद, सेव, आम आदि जो भी रीजनल स्तर के फल हैं, उसमें यंग इन्टरीप्रन्योर्स, बेरोजगार ग्रेजुएट्स के लिए हमारा प्रयास होगा कि उनको टैक्निकल नो हाउ देकर और आर्थिक सहायता ऋण के रूप में देकर उनकी सहायता कर सकें और वे उस कैश क्राप का लाभ उठा सकें।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह अनइंप्लायड ग्रेजुएट्स की बात कर रहे हैं। अमरूद का कारखाना हमारा यहां कोई ग्रेजुएट नहीं चला सकता है। इसमें बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी की प्रोसेसिंग होती है। इसमें अमरूद की लुगदी बनाने का कारखाना होता है।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आदर करता हूं। वहां के बारे में आप जो भी मार्ग-दर्शन करेंगे, उसका आदर करूंगा। श्रीमन्, मा0 सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये हैं। मेरा दुर्भाग्य रहा है कि समय की कमी के कारण बहुत से बिन्दुओं पर प्रकाश नहीं

डाल पाया। मृदा परीक्षण के बारे में जिक्र किया गया। मृदा परीक्षण हमारे प्रदेश में बहुत सुचारु रूप से हो रहा है। यह भी बताया गया कि कुछ मेधावी छात्रों को छात्र-वृत्ति मिलनी चाहिए। शासन ने पहले ही निर्णय लिया है कि मण्डी परिषद् के द्वारा किसानों के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जायगी। यही नहीं श्रीमन्, पिछले दिनों हमने मण्डी समिति के बैरियर समाप्त कर दिये ताकि किसानों का उत्पीड़न न हो। मण्डी में सही तौल हो और किसानों को सही तौल मिल सके, इसके लिये वे मशीन की स्थापना की है। मा0 माथुर साहब ने मथुरा में वेटेनरी कालेज को आटोनामस बाडी बनाने की बात कही, इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय के बारे में हमारे सामने जो बिन्दु रखे गये हैं उन पर विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं मा0 पाण्डेय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे कृपया अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और सर्वसम्मति से इस कृषि के बजट को पारित करने में अपना सहयोग दें।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी आप तो विद्वान सदस्य हैं, समय देखें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

केवल एक स्पष्टीकरण है । क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रदेश की 85 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है कृषि को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा करेंगे ? जिस तरह से उद्योग शून्य जिलों में 4 प्रतिशत की दर पर ऋण देकर उद्योग लगाने की सुविधा देते हैं, उसी तरह से कृषि के विकास के लिये कृषकों को 4 प्रतिशत की दर पर ऋण उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी आप तो विद्वान सदस्य हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

लागत मूल्य जो फसलों का होता है, उसको सरकार छिपायेगी नहीं । किसानों के आगे लागत मूल्य बता कर, मूल्य तय करेगी ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, जहां तक लागत मूल्य की बात है यह हमारे हाथ में नहीं है । भारत सरकार तय करती है वहां पर आयोग है कृषि मूल्य लागत आयोग । हम सिफारिश करते हैं भारत सरकार से । भारत सरकार मूल्य निर्धारित करती है । उनके सामने केवल पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष के परिपेक्ष्य में स्थिति होती है कितना उत्पादन पैदावार है । और उसी परिपेक्ष्य में मूल्य निर्धारण करती है भारत सरकार ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

कृषि को उद्योग के दर्जे देने की बात भी क्या है ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, किसी विषय, किसी चीज की आप घोषणा कर दें उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है । हमारी भारत सरकार, माननीय प्रधान मंत्री जी, हमारे माननीय मूल्य मंत्री जी, सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दे रहे हैं । उसे उद्योग से ज्यादा मान्यता दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप सब लोग बैठें क्या माननीय पाण्डेय जी कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,67,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,20,95,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(मेजों की थपथपाहट)

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 46-प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 63-विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग, अनुदान संख्या 85-सांस्कृतिक कार्य विभाग, अनुदान संख्या 88-सूचना विभाग

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 29,44,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो 3-4 दोनों ही मदें ले लें ।

(इस समय 2 बजकर 33 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

श्री अधिष्ठाता–

4 भी ले लें ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63-विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,67,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन् इस बात से हम और आप, कोई भी इन्कार नहीं कर सकता है कि आज जो बजट अभी कुछ ही क्षण पूर्व आपके आशीर्वाद से इस सदन में पास हुआ है, उसमें जो विकास हुआ है, उसके तहत ही आज यह प्रदेश और देश खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर हुआ है । लेकिन इसके बावजूद भी टेक्नालोजी के मामले में आज भी हम दूसरे देशों की टेक्नालोजी पर आधारित है । जबकि हम सभी जानते हैं कि अपना देश दुनिया के सभी देशों में टेक्नीशियन्स के मामले में तीसरे स्थान पर आया है । उस स्थिति को पहुंचाने में इस प्रदेश का बहुत बड़ा हाथ है । इस समय हमारे यहां 12 से लेकर 15 तक इंजीनियरिंग कालेज डिग्री स्तर की शिक्षा दे रहे हैं और इसमें लगभग 2 हजार ग्रेजुएट टेक्नीशियन प्रतिवर्ष निकल रहे हैं । 80 के करीब हमारे यहां पालीटेक्निक कार्यरत हैं जिसमें लगभग 10 हजार तकनीकी ज्ञान रखने वाले ऐसे लोग प्रतिवर्ष निकल रहे हैं, जो अपनी बेरोजगारी से सफलतापूर्वक निपटते हुये अपने उद्योग धन्धे खोलकर अपना जीवकोपार्जन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों को भी रोजगार दिला रहे हैं । श्रीमन् यह जो मैंने कहा कि हम विश्व में टेक्नीशियन्स के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंचे हैं और हमारे प्रदेश में उसका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इसके बावजूद अक्सर यह कहा जाता है कि हमारे जो टेक्नीशियन्स निकल रहे हैं, उनकी क्वांटिटी तो बढ़ रही है, लेकिन उनकी क्वालिटी का स्तर नहीं बढ़ रहा है । इसी

बात को देखते हुये हमारी प्रदेश सरकार ने क्वालिटी को ठीक करने के लिये एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में करने का इस साल प्रस्ताव किया है।

मान्यवर, चूंकि समय बहुत कम है इसलिये मैं अपनी बात संक्षेप में बताना चाहता हूं। मान्यवर, जो तकनीकी ज्ञान का क्षेत्र है, उसमें मुख्यत: छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश शासन ने प्रत्येक कमिश्नरी के ऊपर महिला पालीटेक्निक खोलने का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत हमारी 4 कमिश्नरियां रह गयी थीं, जिसमें पालीटेक्निक नहीं थे। मान्यवर, अभी तक 570 महिला छात्रायें तकनीकी ज्ञान लेकर निकल रही थीं, इस वर्ष आने वाले वित्तीय वर्ष में हमने 4 पालीटेक्निक और खोलने का प्रस्ताव किया है, यह चार स्थान झांसी, मुरादाबाद, मेरठ और इलाहाबाद हैं। आने वाले वित्तीय वर्ष में मार्च तक यह पालीटेक्निक खोल दिये जायेंगे। इसके साथ ही जो इंजीनियरिंग कालेज हैं, उनमें कालेजेज को बढ़ाया गया है। झांसी में 2 विषयों को प्रवेश देकर पालीटेक्निक प्रारम्भ किया जा रहा है।

इसके साथ ही श्रीमन् एक काम यह और किया जा रहा है कि महिलाओं ने जहां एडमीशन ले रखे थे उन सारी संस्थाओं में उनके लिये छात्रावासों का प्रबन्ध इस वर्ष करा दिया जायेगा। श्रीमन् एक नयी योजना भी प्रारम्भ की जा रही है। अब 13 संस्थाओं के अन्दर, उनमें ग्रामीण स्तर के लोगों को ट्रेनिंग देकर, 3 महीने और 6 महीने का अंश-कालिक प्रशिक्षण देकर स्वत: रोजगार योजना के लिये तैयार किये जाने का प्रस्ताव है। पिछले वर्ष 600 लोगों को इस योजना के लिये तैयार किया गया था। मान्यवर, 67 गांवों का सर्वेक्षण करके 12 टाइप के ट्रेड को भी आइडेन्टीफाई करके ट्रेनिंग दी गयी है।

इसी तरह से मान्यवर, पर्यावरण है। आज जिस तरह से इंडस्ट्रियलाईजेशन हो रहा है, उसके लिए पर्यावरण बोर्ड ने एक सर्वेक्षण किया था। जिसमें लगभग 17 ऐसे उद्योगों को छांटा गया था जो प्रदूषणकारी हो सकते हैं। उन उद्योगों को विभिन्न कैटेगरीज में बांटा गया है। उसमें कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही संवेदनशील हैं, जिनसे एकदम प्रदूषण हो सकता है। इन उद्योगों से कहा गया है कि वह तुरन्त ही वायु उत्सर्जन के यंत्र को लगावें और जो उसका इनफ्यूएन्ट (उत्प्रवाह) निकलता है, उसके ऊपर भी अपना यंत्र लगायें। शाहाबाद उद्योग के पर्यावरण के मूल्यांकन को किया जा रहा है, ब्लैक पेपर इन्डस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है, उसके ऊपर पर्यावरण का मूल्यांकरण किया जा रहा है। गोमती नदी का बहुत तेजी से इन्सेन्टिव किया जा रहा है। एक सूचना और है। गंगा नदी में एटोमेटिक मानीटरिंग के यंत्र 4-5 जगह पर लगाये जा रहे हैं ताकि पानी की एनालिसस होकर अपने आप रीडिंग आती रहे। वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में सभी माननीय सदस्य जानते हैं। अगर समय होगा तो बाद में बताऊंगा।

श्री अधिष्ठता–

एक ही माननीय सदस्य को कटौती का प्रस्ताव रखना है, इसलिए माननीय मंत्रीगण अपना बजट एक समय में रख दें और 2-3 मिनट में अपनी बात भी कह दें।

*सांस्कृतिक कार्य उप मंत्री (श्रीमती प्रेमिला बद्धवार मेहरा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवम् श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–85 सांस्कृतिक कार्य विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,20,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, सांस्कृतिक विभाग एक ऐसा विभाग है जिसे हम पूरी तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने देश की संस्कृति व कला को बरकरार रखा जाता है। हम इस कार्य हेतु कला, संस्कृति और जो हमारे एकेडेमी के लोग हैं, उनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल इन्टीग्रेसन के ऊपर भी बहुत काम किया गया है। हमारे जो प्रोग्राम हैं, उन्हें हम स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे प्रोग्राम्स नेशनल इन्टीग्रेसन में रिकगनाईज किये जांय। हमारी जो पुरानी ऐतिहासिक ईमारतें हैं, लेख हैं या मन्दिर आदि चीजें हैं, उनको ठीक से रखा जाय और जो पुरानी हो गई हैं, उन्हें सुधारा जाय। इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं। हम स्कालरशिप दे रहे हैं , नई-नई किताबें छपवा रहे हैं जो कई स्कूलों व म्यूजियमों में भी दी जा रही है ताकि लोगों को अपनी कला, संस्कृति का पता चल सके।

*सूचना राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,08,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये। मान्यवर सूचना विभाग के लिये समय तो अधिक होना चाहिये लेकिन परिस्थितियों के अनुसार समय बहुत कम दे रहे हैं। फिर भी प्रयास करूंगा कि दो चार प्वाइंट्स थोड़े से समय में कह सकूं।

सबसे पहले तो अपने सम्मानित सदस्य जो कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि तीन बार सूचना स्थायी समिति की बैठक में, जिसमें इधर और उधर दोनों तरफ के माननीय सदस्य रहे हैं, उन्होंने सर्व सम्मति से निर्णय लिया है कि सूचना विभाग के बजट को बढ़ाया जाय, इस परिपेक्ष्य में मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं पेश करेंगे, मैं उनका आभारी रहूंगा।

बहुत दिनों से जैसी कि मांग चली आ रही थी प्रेस की मान्यता समिति का गठन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मान्यता समिति के गठन की बहुत दिनों से मांग चली आ रही है, 18 सम्वाद्दाता और एडीटर्स हैं। विज्ञापन मान्यता समिति की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है, वह मान्यता समिति भी गठित कर दी गयी है। मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने वर्ष 1989-90 में पत्र कल्याण कोष की स्थापना की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थी। इसकी स्थापना हो चुकी है। (व्यवधान) मेरा अनुरोध और अपील है जर्नलिस्ट से कि उनका भी जो योगदान है जल्द कर दें तो सफल स्कीम हो जायेगी।

अभी कम्भ मेले में लगभग 230 पत्रकार विदेश से आये। अमेरिका ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन हो या वी0 बी0 सी0 हो न्यूज रील बनायी है, 15 भाषाओं में उसकी स्वीकृति हो गयी है। हम लोग जो नार्मल पब्लीकेशन्स कर रहे थे, उससे कुछ हटे हैं। चाहे डा0 सम्पूर्णानन्द हों, गोविन्द बल्लभ पन्त जी हों या आचार्य नरेन्द्र देव हों अथवा हाफिज मोहम्मद इब्राहीम हों, (व्यवधान) इनके सम्बन्ध में किताब छपेंगी।

स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को सूचना विभाग ने प्रकाशित कर दिया है। उर्दू में "नया दौर" किताब निकली थी, उसको और बढ़ा रहे हैं। विकास पुस्तकायें हर जिले में छपेंगी जिसमें उस जिले से सम्बन्धित विकास की बातें होंगी।

इलेक्ट्रानिक मीडिया के तहत "फैक्स" मशीन लखनऊ के सूचना केन्द्र पर, मुख्यालय पर पहली बार लग रही है।

(मेजों की थपथपाहट)

इस मशीन के द्वारा यह व्यवस्था सम्भव हो सकेगी कि एक मिनट के अंदर सूचना लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ पहुंच जाय। दिल्ली और लखनऊ में एक ही सूचना एक साथ छप सकती है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक के बारे में बहुत ज्यादा कहने का समय नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री नरेश चन्द्र–

3374 टी0 वी0 सेट्स प्रदेश के अंचलों में बांट चुके हैं। रेडियो और ट्रांजिस्टर लगभग 600 टी0 वी0 सेट्स पहाड़ी अंचल में तथा 3999 ट्रांजिस्टर और रेडियो पर्वतीय अंचल में दिये हैं।

(मेजों की पुनः थपथपाहट)

दूरदर्शन और आकाशवाणी से पूरा सहयोग ले रहे हैं। मैंने भारत सरकार के मंत्री भगत जी से और प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था। अभी तक आप लखनऊ की चीज दूरदर्शन पर इलाहाबाद में नहीं देख सकते थे, लेकिन नई प्रणाली लागू करने के बाद यह सम्भव हो जायगा।

(व्यवधान)

इण्टरनेशनल ट्रेड फेयर में जो "साइमन कमीशन" बना था, उसका प्रथम एवार्ड हमको मिला है।

(मेजों की पुनः थपथपाहट)

इण्टरनेशनल ट्रेड फेयर में जो काम्प्लीमेंट्स मिले हैं, वह प्रदेश में पहली बार मिले हैं। और मान्यवर, इसके लिये सुझाव आये थे–

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आपको अभी दुबारा समय मिलेगा, तब आप अपनी बात को कह लीजियेगा। माननीय शाही जी आप चारो बजट की कटौती पहले एक साथ पेश कर दें फिर उसके बाद आपको जो बात कहनी हो, उसे कहें।

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46–प्राविधिक शिक्षा विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि को घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63-विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि को घटाकर एक रुपया कर दिया जाय।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 85-सांस्कृतिक कार्य विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 88-सूचना विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शाही जी, यह बात है तो बड़ी मुश्किल कि एक साथ चार बजट हैं इस पर एक साथ आप कैसे कहेंगे, लेकिन आज आप प्रयास कर लीजिये।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज एक साथ चार बजट पेश किये गये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर जिस निकम्मेपन के साथ इस सरकार ने बजट पेश किया है इससे सारे उत्तर प्रदेश में प्रौद्योगिक शिक्षा का और विज्ञान का ह्रास होगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं और आपसे मेरी गुजारिश भी होगी कि इस विषय पर मुझको बोलने के लिये कुछ समय आप दें।

माननीय मंत्री जी ने पीठ ठोंक कर पालिटेक्निक कालेजों का जिक्र किया। इंजीनियरिंग कालेज खुलते जा रहे हैं, लेकिन इन सारे इंजीनियरिंग कालेजेज से और पालिटेक्निक से बेरोजगार बढ़े हैं, यह कालेजेज बेरोजगारी के कारखाने होते चले

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जा रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 6 हजार लोग बेरोजगार हैं जो कि स्नातक तक शिक्षा प्राप्त किये हुए हैं। डिप्लोमाहोल्डर्स की संख्या 80 हजार है। मुझे उम्मीद थी कि माननीय मंत्री बतायेंगे कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कौन सी पृष्ठभूमि में आप शिक्षा दे रहे हैं कि जिससे वे आत्मनिर्भर हो सकें। मुझे बड़ा दुख है कि इस तरह उन्होंने कुछ नहीं बतलाया है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस विषय में कुछ ऐसे सुझाव देने चाहिए थे कि सरकार की क्या नीतियां हैं उसको वे यहां पर घोषणा करते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। वही परम्परागत तरीके से जो कोर्स चलाया जा रहा है वही निरन्तर से चली आने वाली परम्परा को ही उन्होंने स्वीकार है।

बेरोजगारों की संख्या को देखते हुए, जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए यदि वे इन सबके कोर्स में परिवर्तन करते, इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग में, बायो इलेक्ट्रानिक्स में, कम्प्यूटर साइन्स में, इन सब कोर्स को पढ़ाने की यदि आप छात्रों को कोशिश करते तो शायद उनको रोजगार आप मुहैया करा सकते थे। उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग कालेजेज की संख्या बहुत कम है। अकेले बंगलौर में 17 इंजीनियरिंग कालेज हैं जबकि यहां पर बनारस, मुरादाबाद और रुहेलखण्ड में एक भी इंजीनियरिंग कालेज नहीं है और न निकट भविष्य में होने वाला है। यह इस सरकार के निकम्मेपन का सबूत है।

हां, हमारे छात्र जब बंगलौर और मध्य प्रदेश में जाते हैं तो उनको 50-50 हजार रुपया डोनेशन देकर एडीमशन मिल जाता है। उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस सरकार के निकम्मेपन के कारण दूसरे प्रदेशों में चला जा रहा है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जो इंजीनियरिंग कालेज हैं, वह बहुत ही दयनीय दशा में हैं क्योंकि आज इनके बारे में आपके यहां से कोई पालिसी कोई नियम ही तय नहीं हो पाये हैं, कुछ कालेज तो प्राइवेट पालिसी के आधार पर चल रहे हैं, कुछ प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत चल रहे हैं, इस प्रकार से कहीं पर कोई एक यूनीफार्म पालिसी नहीं है। इसी प्रकार से जो इनकी तकनीकी क्षेत्र की शिक्षा पद्धति है, वह भी बहुत पुरानी है, जो आप की आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, जैसे कि साईन्स दिन पर दिन एडवांस होती जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए नए अध्यापकों व नई पद्धति की व्यवस्था की जाती जैसे कम्प्यूटर्स है व अन्य इसी प्रकार की नयी-नयी मशीनें हैं, को पाठ्यक्रम में रखकर शिक्षा दी जाती, जिसका आधार रोजगार परक हो और नयी-नयी वस्तुओं के निर्माण के लिए सक्षम बनाये जाने वाली जो परिपूर्ण तकनीकी जानकारी के आधार पर हो, करनी चाहिए ताकि आपके यहां के लोग स्वावलम्बी बन सकें। इसी प्रकार से जो आपके डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, उनकी हालत भी बहुत खराब हो रही है, जिस तरह से और देशों में व्यवस्था है कि इंजीनियर्स के कालेज से बाहर निकलते ही उन्हें फौरन जाब मिल जाता है, इसी प्रकार से हमारे यहां भी पालि-टेक्निक शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, टूल रूम की तरह से कि इधर लड़का कालेज से निकल कर आए, उसे जाब मिल जाए, इस प्रकार के डिप्लोमा होल्डर्स प्रति वर्ष हमारे यहां 10,455 लड़के निकल रहे हैं, यदि इनकी टूल रूम प्रशिक्षण व्यवस्था करें और

इस संबंध में पूरी ट्रेनिंग इन बच्चों को मिले, व्यावहारिक ज्ञान मिले, जिस तरह से मेडिकल कलेज में प्रैक्टिकल ज्ञान लड़कों को मिलता है चिकित्सा के संबंध में, ठीक इसी तरह से वहां भी यही इन्स्ट्रूमेंटल डिप्लोमा कोर्स की व्यवस्था करा दें तो इन्हें कुछ लाभ मिल सकता है और जो 60-70 हजार डिप्लोमा इंजीनियर्स बेरोजगार हैं तो इनके लिए कोई हल निकल सकता है।

दूसरी बात मैं माननीय, विज्ञान परिषद् के बारे में कहना चाहूंगा कि इस विभाग के प्रमुख पदों पर जो आई0ए0एस0 बैठा कर जुल्म कर रहे हैं, वह नहीं होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा जो तकनीकी संस्थान बनाए गये हैं, जो विज्ञान परिषद् बनाया गया है, उसमें भी एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी को डायरेक्टर जनरल के रूप में तैनात किये जाने का क्या औचित्य है दूसरे उस पर एक आई0 ए0 एस0 एडीशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में भी नियुक्त करने जा रहे हैं जबकि उस वैज्ञानिक संस्थान में कर्मचारियों की तादाद सिर्फ 40 की है तो इन 40 पर दो आई0 ए0 एस0 आफिसर्स और एक पी0 सी0 एस0 आफिसर भी हैं, जिन्हें ही ड्राइंग व डिस्बर्सिंग ओथारिटी है व अन्य प्रशासनिक अधिकार दिए गये हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार कौन सी साजिश कर रही है उनके संस्थाओं के साथ और यहां पर तमाम वी0 सी0 आर0 व टेलीवीजन्स आदि की व्यवस्था की गयी है?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठता–

माननीय शाही जी अपनी बात को सीमित करें, समय को ध्यान में रखते हुए...

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने ऐसी कोई योजना की घोषणा नहीं की है, जिससे इस ओर कोई ठोस सुधार हो सके और हमारी इस प्रकार की शिक्षा का आधार रोजगार पूरक बन सके। यही नहीं मान्यवर मैं जानता हूं कि गत वर्ष का जो 2 करोड़ रुपये पी0एल0ए0 में जमा है, तो उनको फिर से धन देने का क्या औचित्य है। वह पी0एल0ए0 उनका परसनल कोष बन गया है और जब चाहते हैं, वह पैसा उसमें से निकाल लेते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं। इनके यहां पर तीन प्रकार की समितियां हैं। जिस समिति के माननीय मुख्य मंत्री जी अध्यक्ष हैं, उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन आज तक उसका गठन नहीं किया गया है। निदेशक की अध्यक्षता वाली जो समीति है, उसका भी गठन नहीं हुआ है और मान्यवर जो विभागीय सचिव और कर्मचारियों की समीति है, उसका गठन हो गया है। तो इस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि विज्ञान परिषद् के लिए कोई रूल नहीं है, जो वैज्ञानिक हैं, वह टेम्पोरेरी हैं और अपने वेतन की अंतिम सीमा पर पहुंच गये हैं, उनको स्थायी नहीं किया गया है और उनकी पदोन्नति नहीं की गयी वहां के निदेशक को बाहर से बुलाया गया है, जब कि वहां पर योग्य लोग उपलब्ध थे। मैं कहना चाहता हूं कि सारे प्रदेश में वैज्ञानिक वातावरण समाप्त हो गया है। शोध विद्यार्थी हैं, उनको स्कालरशिप नहीं मिल पाता है। केन्द्रीय सरकार शोध विद्यार्थियों को 1800 रुपया देती है और प्रदेश सरकार केवल 800 रुपया देती है और स्वीकृति के बाद भी उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

बाकी जो है, वह आप उत्तर भाषण में कह दें। मेरे सामने मजबूरी है। आप समझ रहे हैं। समय ने मुझे बांध दिया है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आपने 5 विभाग दे दिये हैं। अगर आप औपचारिकता निभाने के लिए कह रहे हों, तो मैं चला जाता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अच्छा आप संक्षेप कर दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, वह किस प्रकार से काम कर रहा है, उसमें बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं जानना चाहता हूं कि उसके भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आपने क्या किया है। मैं कहना चाहता हूं कि 1986 में गोमती में लखनऊ में एक फैक्टरी ने गन्दा पानी डाल दिया, सारी मछलिया मर गयीं, सारा पानी गन्दा हो गया और एक सप्ताह तक पानी की सप्लाई बन्द रही। दो बड़े कारखाने एक हरगांव का और दूसरा लखनऊ का मोहनमीकिन ने रात में प्रदूषित पानी नदी में डाल दिया, उसकी जांच हुई। 1987 में गन्दे पानी से एक बच्चा मर गया, लेकिन आपने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। आपके अधिकारियों ने कम्पनी से पैसा ले लिया और सदस्य, सचिव को निकाल दिया, जो जांच कर रहा था, ईमानदार सदस्य सचिव को निकाल दिया और उसे कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया और उनके स्थान पर ऐसे अधिकारी को रखा गया है, जो इलेक्ट्रानिक्स में डिप्लोमा लिये हैं, उनको लाकर रख दिया है और जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में स्नान कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर 3 प्रकार की व्यवस्थायें हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इनके लिए सहमति पत्र दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शाही जी, आप काफी समय ले चुके हैं। जो बातें आप कह रहे हैं उनका उत्तर भी आपको मिले। मैं यह चाहता हूं . .

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मैं चाहूंगा कि आप इसको सुनें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

एक सदस्य–

कब तक बोलेंगे ? हमें भी मौका मिलना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने सभी सदस्यों को दो-तीन मिनट दिया है। उनको भी मौका आप दें। . . (व्यवधान)। आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

[x x x]

(श्री नरेन्द्र देव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें।

(कई सदस्यों द्वारा व्यवस्था के प्रश्न को लेकर खड़े होने पर।)

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, 29,91,895.47 रुपये का सेस का असेसमेंट हुआ था। यह फाइनल हो चुका था। इसके विरुद्ध अपील की गई। . . . (व्यवधान) बड़े ईमानदार सचिव हैं। कोर्ट के आदेशों के खिलाफ अपील हुई थी। इससे 18,56,748.80 रुपये का रेवेन्यू का लॉस हुआ था। . . . (व्यवधान) अभी इसी महीने में नियुक्ति हुई है। 50-50 हजार रुपया घूस ली गई। क्यों नहीं प्रतिस्पर्धा के लिए लोगों को बुलाया गया। सितम्बर में 11 ए0 ई0 की नियुक्ति की गई। एक व्यक्ति को ई0 ई0 के पद पर नियुक्त किया गया। आपके प्रदूषण बोर्ड ने इस पर रोक लगाने के लिए कौन सी व्यवस्था की है। गंगा के प्रदूषण की यही स्थिति आगरा में है, इलाहाबाद में है, वाराणसी में है। इसके निराकरण के लिये आपके पास क्या उपाय है।

मान्यवर, सूचना विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। 5-7 मिनट इस पर भी बोल लेने का आप मुझे अवसर दें । . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया सब लोग बैठें। माननीय शाही जी को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, लेने का आप मुझे अवसर दें । . . . (व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, लोकतंत्र में सूचना विभाग का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है लेकिन सूचना विभाग की जहां पर निष्पक्षता होनी चाहिए उसे भी इस सरकार ने प्रभावित कर दिया है। यह सरकार पक्षपातपूर्ण ढंग से मान्यता देने का काम करती है। मान्यता समिति का गठन करती है। पक्षपातपूर्ण ढंग से विज्ञापन देने का काम करती है। अभी कुछ दिन पहले इस सदन में यह बात आई कि चुनाव आयोग के निर्देशों के विपरीत, उनकी अवहेलना करके 20 लाख रुपये से अधिक छपाई का भुगतान निदेशालय से कराया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंडित गोविन्द बल्लभ पंत जी के जमाने में सूचना अधिकारी एक स्वतंत्र इकाई होते थे और आज आपने उनको कलेक्टर से सम्बद्ध किया हुआ है। उसका सारा समय आज कलेक्टर महोदय की प्रेस कांफ्रेन्स और आप जैसे मंत्रियों की आवभगती की सेवा में चला जाता है और अखबारों को जो फीड वर्क जाना चाहिए वह नहीं जा पाता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। आप कहते हैं कि खोजी पत्रकारिता नहीं है। मैं कहता हूं कि लोकतंत्र का

नोट–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जो अनिवार्य अंग हैं उनके लिए आपने कौन सी सुविधा मुहैया की है ? इसी विषय में इस सदन में एक विधेयक आया और प्रवर समिति में भेजने के लिए आपने हाथ उठा दिया। . . यह सबसे बड़ी बुनियादी कमी रही है मैं इसकी निन्दा करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, समाप्त करें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

पत्रकारों की बात को दबाने का बहुत बड़ा प्रयास हुआ जिसका नतीजा आप भुगत चुके हैं तो इस स्थिति में सुधार होना चाहिए और उन छोटे पत्रकारों को जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको वाहनों की आवश्यकता होती है उनको अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है उसके लिए आप एक समिति बनाइये जिसमें पत्रकार, सरकार और मालिकों के प्रतिनिधि हों। पत्रकारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाय। इसके अलावा आप ग्रामीण पत्रकारों के लिए क्या कर रहे हैं उसकी भी कोई योजना होनी चाहिए।

आपका सूचना केन्द्र चिड़ियाघर और सिविल अस्पताल के बीच में घिरा हुआ है उसकी क्या स्थिति हो गयी है उसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं वह एक तरफ अस्पताल से और दूसरी तरफ चिड़ियाघर से घिरा हुआ है वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस भवन को बनाने के लिए आपको भारत सरकार ने पैसा दिया था और कहा था कि यहां पर स्थानीय प्रदर्शनी आयोजित की जाय जिससे प्रदेश की जनता को विकास के कार्यों से अवगत कराया जा सके लेकिन आपने उस भवन में अस्पताल बना दिया है तो क्या आप उसे अधिग्रहीत करेंगे या वह अजायबघर बना रहेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बाद में कह लीजियेगा।

*श्री नरेन्द्र देव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव का विरोध करते हुए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी हमारे साथी पत्रकारों के बारे में कह रहे थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पत्रकारों की सुविधा के बारे में अगर किसी ने सोचा भी है तो वह मात्र कांग्रेस सरकार ने सोचा है क्योंकि कांग्रेस का विश्वास लोकतंत्र में है। आज जनपदीय स्तर पर जिस प्रकार सुविधायें उपलब्ध कराई गयी हैं वह इस बात को दर्शाता है कि हमारा विश्वास लोकतंत्र में है, हमारा विश्वास स्वच्छ पत्रकारिता में है । अधिष्ठाता महोदय मैं एक सुझाव देना चाहता हूं हमारे सूचना विभाग को ब्लाक स्तर के पत्रकारों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उसके लिये उन्हें सुविधायें देनी चाहिए, उनको मान्यता देनी चाहिए जिससे ग्रामीण अंचलों में भी जागृति आ सके।

मैं अंत में चलचित्र निगम के बारे में कहना चाहता हूं और माननीय मंत्री और सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं। इस निगम की आय 1983-84 में एक करोड़ 32 लाख 84 हजार थी, 1984-85 में वह एक करोड़ 34 लाख हुई, 1985-86

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

में एक करोड़ 37 लाख हुई और माननीय अधिष्ठता महोदय वह 1988-89 में भ्रष्ट अधिकारी के कारण घट कर 85 लाख रह गयी और इस प्रकार एक करोड़ का घपला इस निगम में हो गया ..

श्री अधिष्ठता–

अब आप बैठें।

श्री नरेन्द्र देव–

वहां पर अराजकता फैली हुई है। इसलिये निवेदन है कि उस प्रबंध निदेशक को वहां से हटाइये और चलचित्र निगम के कार्य में सुधार लाइये। धन्यवाद।

*श्री फरीद महफूज किदवई–

मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने मुझे शाही जी द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं प्राविधिक शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। जो इस सरकार का अमला है उसकी करतूतों के बारे में बताना चाहता हूं। मान्यवर, महमूद अहमद नाम का एक आदमी है जो इस समय आपके विभाग में शाहजहांपुर में काम कर रहा है जिसका सीनियारिटी लिस्ट से छठा नम्बर है लेकिन दस नम्बर के आदमी को प्रोमोट कर दिया गया है और इसलिये वह दौड़ा-दौड़ा विधान सभा में घुस रहा है और हर आदमी से न्याय मांग रहा है । मंत्री जी से और सचिव से मैं तीन चार बार मिल चुका हूं और इसके संबंध में बता चुका हूं लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस विभाग का हर आदमी बेबस है और न्याय देने के लिये उसके पास समय नहीं है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस वाक्ये की जांच करायें और देखें कि दसवें नम्बर को प्रोमोट क्यों किया गया ? जिस अधिकारी ने प्रोमोट इसको किया है उसके खिलाफ कार्यवाही करें। भ्रष्टाचार को मैं समझता हूं कि इससे बड़ा सबूत नहीं मिलेगा । अंत में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं तकनीकी शिक्षा से जुड़ा हूं इसलिये कुछ बातें कहना चाहता हूं। मान्यवर, शाही जी भी बोर्ड के सदस्य हैं। आज बोर्ड बिल्कुल इक्जामिनिंग बाडी हो गयी है। मान्यवर, आज शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने और भारतवर्ष को आधुनिक बनाने के लिये बिना आगे आये हम दुनिया के साथ नहीं चल सकते हैं। इसलिये इस संदर्भ में इस शिक्षा का बहुत ही महत्व है। मान्यवर, हर जिले में पाली-टेक्नीक है और मंत्री जी ने घोषणा किया है कि 4 महिला पालीटेक्नीक्स और खोले जायेंगे तथा इस प्राविधक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे प्रयास किये जा रहे हैं। मान्यवर, अब यह भी प्रयास किया जा रहा है कि जो कुछ बुराइयां हैं वह दूर हो जांय, शिक्षा का स्तर, नकल में कमी हो इसके लिए प्रयास जारी है और आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। मान्यवर, बोर्ड का काम बहुत बढ़ गया है इसलिये उसी तरह से सुविधायें, फाइनेन्स और बजट भी बढ़ाया जाना चाहिए और जो अधिकारी हैं उनको सुविधायें मिलनी चाहिए। अंत में मैं प्राविधिक शिक्षा से संबंधित अधिकारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जैसे सचिव, निदेशक इन सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि पूरा सहयोग मिलता रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, प्रस्तुत बजट पर कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, सूचना विभाग, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं पर्यावरण और सांस्कृतिक इतने महत्वपूर्ण विभाग हैं, मैं उम्मीद करता था कि जितने यह विभाग हैं वह इस प्रदेश की बुनियाद हैं फिर वह चाहे उद्योग विभाग हो या विज्ञान विभाग हो, इसके लिए एक घण्टे की चर्चा का समय जो दिया गया है मैं समझता हूं कि इसीलिए उत्तर प्रदेश सारे प्रदेशों में आज पिछड़ा है एवं इसका बजट भी उनसे कम है । मान्यवर, सांस्कृतिक प्रोग्राम के तहत आपके उत्तर प्रदेश के अन्दर केवल भातखण्डे विद्यालय खोल दिए जाने से सांस्कृतिक प्रोग्राम का भला होने वाला नहीं है । यदि सांस्कृतिक प्रोग्राम देखना है तो नेचुरल आर्टिस्ट्स पकड़ने होंगे । यहां के नेचुरल आर्टिस्ट्स पकड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश की संस्कृति बढ़ेगी, लेकिन केवल [xxx] को खुश करने के लिए और बड़े अधिकारियों को व ऊंचे परिवारों को खुश करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, तो. . . .(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, देख लेंगे । बैठिए, देख लेंगे । प्रदीप माथुर जी आप बैठिए, समझ गए, असंसदीय कोई चीज नहीं रहेगी ।

श्री गोपाल दास यादव–

एक तरफ तो आपने शिक्षा के लिए यह किया है और दूसरी तरफ जो स्कूल खुले हुए हैं, वहां पर शोषण की नीति अपनाई जा रही है । वहां के जो प्रधानाचार्य हैं, वह शोषण कर रहे हैं. . . .(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय गोपाल राम दास जी अब विराजें । समय हो गया है ।

श्री गोपाल दास यादव–

यह जो इनका सूचना विभाग है यह सरकार की कठपुतली का काम करता है और इसमें अच्छे और योग्य लोगों के लिए स्थान नहीं है । (व्यवधान) पर्यावरण बोर्ड एक अच्छे उद्देश्य के लिए बनाया गया था, लेकिन यह बोर्ड कोई काम नहीं कर रहा है. . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपको मैंने दो मिनट का समय दिया था, लेकिन आपने काफी समय ले लिया है । अब आप विराजें । शाही जी अब बोलें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान रहा)

श्री गोपीनाथ वर्मा–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है. . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

पहले आप यह बताएं कि किस नियम में आप व्यवस्था ला रहे हैं, वरना कोई व्यवस्था नहीं । क्यों आप समय ले रहे हैं ?

*श्री महरम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती का विरोध करता हूं...

(व्यवधान के मध्य)

श्री महरम सिंह–

सूचना विभाग द्वारा ऐसा कार्य करना चाहिए, जिससे जनता और सरकार की दूरी कम हो सके और सरकार की सारी कारगुजारियां जनता को मालूम हो जाएं । किन्तु विपक्ष के भाइयों को इस विभाग के बारे में अकारण भ्रम फैला हुआ है । वह प्रचार करें तो इनको भी मालूम हो जायेगा कि राज्य सरकार क्या-क्या कर रही है ? हमारे फर्रुखाबाद के सूचना विभाग में जीप नहीं है, और कार्यालय का भवन भी नहीं है । उसमें चलचित्र की व्यवस्था नहीं है । मैं आपके माध्यम से सूचना और मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह वहां पर इन चीजों की व्यवस्था करें और इसके साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, इस विकासशील बहुसंख्यक बेरोजगार मुल्क में प्राविधिक शिक्षा का बहुत महत्व है । और यह बहुत विस्तार का विषय है, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है और कहने को भी है । इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन समयाभाव में हम लोग समय नहीं पा रहे हैं । निचले स्तर पर स्टेट टेक्निकल स्कूल खोले गए हैं, जो वहां 12 हैं, किन्तु सरकारी साजिश से उनको बन्द करने का प्रयास किया जा रहा है । क्योंकि टेक्निकल बोर्ड के लोग चाहते हैं, जो पालिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की नई व्यवस्था से उनका भ्रष्टाचार नहीं चल पाता है, वह फिर किसी रास्ते से चल निकले । इलाहाबाद के इस स्कूल के प्रधानाचार्य एक असगर हुसैन हैं, उनके खिलाफ आरोप थे, जिनकी जांच करके ज्वाइन्ट डायरेक्टर ने जुलाई, 88 में उनको प्रशासनिक कारणों से वहां से हटा दिया था, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने पता नहीं कैसे उस भ्रष्टाचारी प्रधानाचार्य को वहीं पर नियुक्त कर दिया है ।

(व्यवधान)

पता नहीं कैसे उस भ्रष्ट प्रधानाचार्य की पुर्ननियुक्ति कर दी उसका परिणाम यह हुआ कि प्रवेश के फार्म स्कूलों से बंटने चाहिए वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय बोर्ड और दुकानों से 25 से 50 रुपये में बिक रहे हैं । मान्यवर, भ्रष्टाचार द्वारा जो विद्यार्थी प्रवेश पायेंगे, निश्चित रूप से उनकी मानसिकता भ्रष्टाचार वाली होगी, और वह आगे चलकर भ्रष्ट बनेंगे और भ्रष्टता से पैसा कमाने का कार्य करेंगे, तो जो लोग इस तरह से प्रवेश पत्र बांट रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए ।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसमें जवाब दें और कार्यवाही की घोषणा करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह सौभाग्य की बात है कि मुख्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं । पत्रकारों के उत्पीड़न और शोषण को ले करके उन लोगों को सुविधा मुहैया कराई जाए इसके लिए केन्द्र सरकार ने आयोग बनाया उसकी रिपोर्ट नहीं आई है पत्रकारों ने इसकी आलोचना की है । उत्तर प्रदेश में जो पत्रकार हैं श्रमजीवी पत्रकार हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकार हैं उनका मालिकों के द्वारा शोषण किया जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में एक समिति गठित की जाए । मान्यवर, पत्रकार हमारे लोकतंत्र की चौथी धुरी है, इसलिए इसमें कार्यवाही की आवश्यकता है । मान्यवर, चलचित्र निगम के बारे में कहना चाहूंगा । 16 सिनेमाहालों में काम करने वाले कर्मचारियों को 6 माह से वेतन नहीं मिल पा रहा है जबकि दोष उनके प्रबन्धकों का है और सजा इन बेचारे कर्मचारियों को मिल रही है । मान्यवर, सूचना विभाग के बारे में यह कहना चाहूंगा कि सूचना विभाग में पदोन्नति के अवसर नहीं हैं इस विभाग का कोई कैडर नहीं है, आप सूचना निदेशक आई0 ए0 एस0 बनाते हैं . . . .

श्री अधिष्ठाता–

शान्ति बनाये रखें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

हम चाहते हैं कि पत्रकारिता जगत के जाने-माने लोग जो इस क्षेत्र में मान्यता हासिल किये हैं, और जो प्रदेश के सुविख्यात पत्रकार हैं उनको सूचना निदेशक के पद पर बैठायें। माननीय अधिष्ठता महोदय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिसर जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, वहां भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर है, तो हम चाहेंगे कि वहां के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, आपकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन होना चाहिए । करोड़ों रुपयों का घोटाला वहां चल रहा है . . . .

श्री अधिष्ठाता–

शाही जी अब समाप्त करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

तो हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र में सुधार लायें और जो वहां के वैज्ञानिक हैं उनको स्थायी करायें । इसके अलावा मैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में कहना चाहता हूं । प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में उद्योग को अनुमति पत्र देने तथा अनापत्ति देने तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है और वहां करोड़ों रुपयों का घोटाला हो रहा है वहां आपने अपात्र को बिठा रखा है, तो आप वहां के भ्रष्टाचार को दूर करने की कार्यवाही करें ।

[समय 3.00 बजे]

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, माननीय शाही जी ने कहा कि इस प्रदेश में विज्ञान और टेक्नालोजी का स्तर गिर रहा है । मैं समझता हूं कि शाही जी को इसका संज्ञान नहीं होगा । अभी श्रीमन्, पिछले वर्ष इस देश में एक महान रिसर्च हुई है । मद्रास का जो एटामिक फास्ट ब्रीडर रियक्टर है उसमें प्लूटोनियम कारबाइड फ्यूल बनाया गया । सभी सम्मानित सदस्यों को ज्ञात होगा कि भारत विश्व का पहला देश है जहां प्लूटोनियम कारबाइड फ्यूल बनाया गया है । यह फ्यूल बनाने वाले 18 इंजीनियर्स में से 10 उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग की शिक्षा पाये हुए हैं । (मेजों की थपथपाहट ।) तो यह कहना कि यहां के लोगों का वैज्ञानिक स्तर ठीक नहीं है, सिद्धान्ततः यह बात सही नहीं है । श्रीमन् जैसा मैंने प्रारम्भ में बताया था वहां के तकनीकी स्तर को बनाये रखने के लिए, चूंकि दुनियां में बहुत सी रिसर्च हो रही हैं, उनसे समन्वय स्थापित करने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनायी जा रही है । अखिल भारतीय स्तर के वैज्ञानिकों को सदस्य बना रहे हैं । यह कमेटी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनायी जा रही है । यह प्रत्येक 5 वर्ष बाद कोर्स रिव्यू करेगी और कोर्स बदला जाता रहेगा । जैसा मान्यवर, गोमती नदी के बारे में कहा गया कि उसके प्रदूषण को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है तो गोमती नदी की लम्बाई 940 कि0 मी0 है । इसमें 30 सैम्पलिंग स्टेशन बनाए गए हैं । यह 15-15 दिन बाद सैम्पलिंग करते हैं । इसी में 6 सैम्पलिंग स्टेशन लखनऊ एरिया में बनाए गए हैं जो प्रतिदिन सैम्पलिंग करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

जो सुझाव आये हैं आप उनको देख लीजियेगा ।

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं । माननीय शाही जी ने एक बात कही प्रेस मान्यता समिति के बारे में तो इसका गठन प्रेस मान्यता परिषद् की संस्तुतियों के आधार पर किया गया है। इसमें पत्रकार या पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। जहां तक पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता का प्रश्न है अभी एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसमें गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक हैं। यह समिति लखनऊ में बैठक करेगी तथा जो मंडल हैं उनमें मंडलीय बैठकें भी करेगी। श्री महरम सिंह जी ने जो जीप के संबंध में कहा तो इसी अप्रैल में जीप फर्रुखाबाद पहुंच जायगी। हरदोई की जो बात कही गयी तो वहां के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। मान्यवर, सूचना विभाग के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि इंडिया पापुलेशन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सारे प्रदेश में टी0 वी0 लगाने का काम किया जा रहा है। 3 करोड़ रुपये की धनराशि से यह टी0 वी0 प्रदेश में लगाये जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप स्थान ग्रहण करें। माननीय शाही जी क्या वापस ले रहे हैं?

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, शाही जी कटौती के प्रस्ताव पर प्रेस नहीं कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि वह कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, सरकार ने चूंकि हमारे द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओं पर कोई समाधान कारक उत्तर नहीं दिया और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए बराबर तैयार हैं इसलिये इस कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46–आविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष अनुदान संख्या 46–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 29,44,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63– विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63–विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,67,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 85–सांस्कृतिक कार्य विभाग के अंतर्गत अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85–सांस्कृतिक कार्य विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,20,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88–सूचना विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88–सूचना विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,08,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान –

अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग

नियोजन मंत्री (श्री रघुवीर सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,29,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,29,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 81,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 81,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जायेगी ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 21—कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21—कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अंतर्गत होने परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53, 54, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21—कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,54,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 30—गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30—गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 41,01,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30—गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 41,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 38—नागरिक उड्डयन विभाग

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38—नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,20,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,20,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 39–नियुक्ति विभाग

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39–नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39–नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,22,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,25,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,25,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 42—न्याय विभाग

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42—न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,15,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42—न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,15,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 45—प्रशासनिक सुधार विभाग

नियोजन राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45—प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45—प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 54—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,82,36,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,82,36,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 55–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,51,50,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,51,50,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 56–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,28,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,28,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 57-वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57-वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,05,68,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57-वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,05,68,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 58–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,20,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,20,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 59–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 60–विधान परिषद् सचिवालय

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60-विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,42,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60-विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,42,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 61–विधान सभा सचिवालय

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,41,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 78–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 37,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 37,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 79–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,70,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79-संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,70,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 80–वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,06,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,06,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 81-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,84,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,84,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 82–सचिवालय प्रशासन विभाग

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82-सचिवालय प्रशासन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,89,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,89,03,00 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 83–सतर्कता विभाग

नियोजन राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83–सतर्कता विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,43,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 83-सतर्कता विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,43,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 87—सार्वजनिक उद्यम विभाग

नियोजन राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—87 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,08,000 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[समय 3 बजकर 35 मिनट]

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1989

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मंगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रतियां बांट दी जायं ।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से, यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1989

31 मार्च, 1990 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1989 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1989-90 के लिए 1,30,13,62,80,000 रुपयों का निकाला जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1989) की अनुसूची के स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 1,30,13,62,80,000 रुपये (केवल एक सौ तीस अरब, तेरह करोड़, बासठ लाख, अस्सी हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1 आबकारी विभाग	राजस्व	5,50,50	10	5,50,60
	पूंजी	..	..	..
2 आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)	राजस्व	21,19,03	9,30,00	30,49,03
	पूंजी	51,60,87	4,40,00	56,00,87
3 आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)	राजस्व	2,14,87,65	.	2,14,87,65
	पूंजी	3,39,50	..	3,39,50
4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	2,01,21	10	2,01,31
	पूंजी	4,10,00	..	4,10,00
5 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	28,97,12	25	28,97,37
	पूंजी	10,09,23	..	10,09,23
6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	41,53,70	6,65	41,60,35
	पूंजी	2,53,09	6,60	2,59,69
7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	2,62,11	1,29,55	3,91,66
	पूंजी	29,95,00	1,58,50	31,53,50
8 उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	18,29,01	..	18,29,01
	पूंजी	20,05	..	20,05
9 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	47,99	..	47,99
	पूंजी	1,12,00	..	1,12,00

अनुसूची--(क्रमशः)

1	2	3			
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व	1,52,39	..	1,52,39
		पूंजी	3,29,80,00	..	3,29,80,00
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) ..	राजस्व	19,62,18	7,86	19,70,04
		पूंजी	3,98,30	..	3,98,30
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) ..	राजस्व	1,66,04,24	2,12	1,66,06,36
		पूंजी	99,10,16	50	99,10,66
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) ..	राजस्व	5,80,45,75	50	5,80,46,25
		पूंजी	14,76,17	..	14,76,17
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) ..	राजस्व	42,58,11	21	42,58,32
		पूंजी	1,00	..	1,00
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	41,71,72	10	41,71,82
		पूंजी	1,76,61	..	1,76,61
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) ..	राजस्व	3,22,09	2,41	3,24,50
		पूंजी	85,01	6,00	91,01
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	6,74,07	2	6,74,09
		पूंजी	..	..	..
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) ..	राजस्व	13,03,53	9,77,61	22,81,14
		पूंजी	55,10,62	8,11,77	63,22,39
19	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) ..	राजस्व	52,13,16	..	52,13,16
		पूंजी	1,47,23	..	1,47,23

20	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व	97,47	..	97,47	
		पूंजी	..	..	..	
21	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	46,25	2,18,05	2,64,30	
		पूंजी	18,00	..	18,00	
22	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	24,25,00	2,10,12	26,35,12	
		पूंजी	10,65,30,50	40,00,50	11,05,31,00	
23	खेल विभाग	राजस्व	3,53,63	..	3,53,63	
		पूंजी	1,52,63	..	1,52,63	
24	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	16,12,35	70	16,13,05	
		पूंजी	5,00,00	4,02	5,04 02	
25	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	24,40,70	22,71,11	47,11,81	
		पूंजी	62,00,01	1,79,83	63,79,84	
26	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	28,00,77	2	28,00,79	
		पूंजी	4,62	..	4,62	
27	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	4,26,61,72	54,05	4,27,15,77	
		पूंजी	7,27,26	46,20	7,73,46	
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	16,12,99	..	16,12,99	
		पूंजी	..	..	..	
29	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	33,73,06	..	33,73,06	
		पूंजी	..	..	..	
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	49,21	..	49,21	
		पूंजी	..	..	..	
*31	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	..	70,80	70,80	
		पूंजी	..	..	..	
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	1,40,14,30	1,00	1,40,15,30	
		पूंजी	8,92,84	..	8,92,84	

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	22,66,07	2	22,66,09
		पूंजी	..	..	..
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व	7,42,43	..	7,42,43
		पूंजी	..	..	..
35	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) ..	राजस्व	58,81,17	25	58,81,42
		पूंजी	18,84	..	18,84
36	चिकित्सा विभाग .. .. (परिवार कल्याण)	राजस्व	72,19,43	39	72,19,82
		पूंजो	1,04,72	..	1,04,72
37	चिकित्सा विभाग .. .. (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	76,24,58	50	76,25,08
		पूंजी	..	..	..
38	नागरिक उडडयन विभाग	राजस्व	2,55,43	..	2,55,43
		पूंजी	9,00	..	9,00
39	नियुक्ति विभाग	राजस्व	26,67	..	26,67
		पूंजी	..	..	..
40	नियोजन विभाग	राजस्व	9,95,90	..	9,95,90
		पूंजी	..	..	..
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	11,11,09	..	11,11,09
		पूंजी	..	..	
42	न्याय विभाग	राजस्व	40,18,23	6,83,34	47,01,57
		पूंजी	80,17	..	80,17

43 परिवहन विभाग	राजस्व	43,17,87	12	43,17,99	
	पूंजी	15,00,02	..	15,00,02	
44 पर्यटन विभाग	राजस्व	1,53,47	..	1,53,47	
	पूंजी	1,40,82	..	1,40,82	
45 प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	41,63	..	41,63	
	पूंजी	..	..	..	
46 प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	33,29,49	60,02	33,89,51	
	पूंजी	2,03,59	..	2,03,59	
47 पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	1,53,85,75	24,00	1,54,09,75	
	पूंजी	84,94,54	15,00	85,09,54	
48 मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	39,66	2,73	42,39	
	पूंजी	..	..	..	
49 राजस्व विभाग	राजस्व	45,39,26	35	45,39,61	
(जिला प्रशासन)	पूंजी	15,00,00	..	15,00,00	
50 राजस्व विभाग	राजस्व	10,38,39	28,75,04	39,13,43	
(दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	पूंजी	1,42,23	26,88	1,69,11	
51 राजस्व विभाग	राजस्व	1,43,39,81	1,57,05	1,44,96,86	
(राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	पूंजी	62,73	2,01,52	2,64,25	
52 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	77,84	..	77,84	
	पूंजी	1,00	..	1,00	
53 वन विभाग	राजस्व	74,59,46	20	74,59,66	
	पूंजी	28,25	..	28,25	
54 वित्त विभाग	राजस्व	20,00,10,55	11,22,46,96	31,22,57,51	
(ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	पूंजी	22,15,00	15,17,55,72	15,39,70,72	
55 वित्त विभाग	राजस्व	1,81,81,07	15,37	1,81,96,44	
(अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	पूंजी	..	..	..	
56 वित्त विभाग	राजस्व	8,43,72	..	8,43,72	
(कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	पूंजी	31,07	..	31,07	

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
57	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	1,26,82,11	..	1,26,82,11
		पूंजी	..	..	..
58	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	18,24,08	4	18,24,12
		पूंजी	..	..	..
59	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	14,07	16,89,69	17,03,76
		पूंजी	..	..	..
60	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	1,70,71	3,67	1,74,28
		पूंजी	..	..	..
61	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	6,49,48	8,58	6,58,06
		पूंजी	..	..	..
62	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	1,00,00	..	1,00,00
63	विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग	राजस्व	6,81,55	..	6,81,55
		पूंजी	..	..	..
64	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	1,14,89,71	55,85	1,15,45,56
		पूंजी	30,00	..	30 00
65	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	4,56,86,48	27,10,55	4,83,97,03
		पूंजी	1,50,49	..	1,50,49
66	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	6,90,25,92	38,33,01	7,28,58,93
		पूंजी	..	..	..

67	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	राजस्व	17,48,91	..	17,48,91
		पूंजी	..	..	..
68	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	6,02,75	..	6,02,75
		पूंजी	..	..	..
69	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	37,45,18	3	37,45,21
		पूंजी	..	..	..
70	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	27,95,99	20	27,96,19
		पूंजी	1,23,75	..	1,23,75
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	81,66,50	5	81,66,55
		पूंजी	..	..	..
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	5,18,02	9,02	5,27,04
		पूंजी	27,13,97	1,00	27,14,97
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	3,68,00	21,28	3,89,28
		पूंजी	4,51,05	50	4,51,55
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	1,25,26	20	1,25,46
		पूंजी	13,80,99	3,25	13,84,24
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	94,16,77	10	94,16,87
		पूंजी	1,72,22,38	50	1,72,22,88
75-क	सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	5,71		5,71
		पूंजी	..	..	..
76	सिचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	99,98,06	20	99,98,26
		पूंजी	70,76,38	..	70,76,38
77	सिचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	4,70,94,63	25,74	4,71,20,37
		पूंजी	4,19,68,62	1,25,52	4,20,94,14
78	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	41,23	4	41,27
		पूंजी	3,75	....	3,75
79	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर)	राजस्व	34,44,97	40	34,45,37
		पूंजी	..	..	..

अनुसूची—(समाप्त)

1	2	3			
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
80	संस्थागप वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	1,28,05	..	1,28,05
		पूंजी	..	..	..
81	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	5,71,79	4	5,71,83
		पूंजी	10,00	..	10,00
82	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	28,66,84	4	28,66,88
		पूंजी	..	..	..
83	सतर्कता विभाग	राजस्व	2,92,38	16,75	3,09,13
		पूंजी	..	..	..
84	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	राजस्व	52,78	5	52,83
		पूंजी	28,98	50	29,48
85	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	2,64,34	2	2,64,36
		पूंजी	..	..	..
86	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	15,37	2	15,39
		पूंजी	..	..	..
87	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	37,30	..	37,30
		पूंजी	..	..	..
88	सूचना विभाग	राजस्व	8,50,78	..	8,50,78
		पूंजी	..	..	..
89	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	1,72,58	2	1,72,60
		पूंजी	23,67	..	2367

90 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण)	..	राजस्व	1,20,82,38	2	1,20,82,40
		पूंजी	..	..	..
91 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	..	राजस्व	68,92,35	2	68,92,37
		पूंजी	..	..	..
92 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	..	राजस्व	2,61,55	2	2,61,57
		पूंजी	..	..	..
	योग	राजस्व	75,24,26,46	12,93,25,32	88,17,51,78
		पूंजी	26,18,26,71	15,77,84,31	41,96,11,02
		कुल योग	1,01,42,53,17	28,71,09,63	1,30,13,62,80

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3, अनुसूची, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोय विधेयक, 1989 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1989 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 31-3-89 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई । इसमें श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया । श्री गोपी नाथ वर्मा की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया, शेष सभी सूचनाएं अस्वीकार हुई ।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील अमेठी के परगनाधिकारी के व्यवहार से क्षुब्ध अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

श्री राम दुलार भारतीय परगनाधिकारी, अमेठी के विरुद्ध एक वाद के संबंध में, जो उनके द्वारा निर्णीत हुआ है तथा जिसमें एक अधिवक्ता के विरुद्ध टिप्पणी की गई है, को लेकर अमेठी तहसील के अधिवक्ताओं द्वारा दिनांक 28-12-1988 को एक बैठक कर दिनांक 29-12-1988 से हड़ताल तथा परगनाधिकारी अमेठी के न्यायालय का बहिष्कार आंशिक रूप से किया जा रहा था ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

[क्योंकि यह मामला अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में ले जाया गया है तथा वह एक विधिक कार्यवाही है, अतः परगनाधिकारी के निर्णय पर कोई टिप्पणी उचित न होगा ।

श्री राम दुलार भारतीय, परगनाधिकारी अमेठी ने अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् बहुत से ऐसे मामले प्रकाश में लाए हैं जिसमें भूमि आवंटन में गम्भीर अनियमितताएं की गई हैं जैसे तहसील अमेठी के ग्राम गुंगवाड़ में लगभग 250 बीघा भूमि कुछ ऐसे व्यक्तियों को दी गई थी जो किसी भी दशा में इसके पात्र नहीं थे । इससे कुछ व्यक्ति विशिष्ट श्री भारतीय से रुष्ट रहते हैं यह अनियमितताएं श्री भारतीय के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व की हैं ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

चूंकि अधिवक्ताओं द्वारा पिछले लगभग 2 माह से न्यायालयों का आंशिक बहिष्कार किया जा रहा है, अतएव मामले के अनावश्यक रूप से गम्भीर होने की स्थिति से बचने के लिए निराकरण के रूप में जिलाधिकारी सुल्तानपुर द्वारा श्री राम दुलार भारतीय परगनाधिकारी अमेठी का स्थानान्तरण परगनाधिकारी सदर सुल्तानपुर के पद पर कर दिया गया है । चूंकि बार एशोसिएशन सुल्तानपुर द्वारा प्रस्तुत की गई मांग के अनुसार परगनाधिकारी अमेठी के स्थानान्तरण की कार्यवाही कर दी गई है, अतएव अब अधिवक्ताओं के मध्य किसी प्रकार के असंतोष का आधार नहीं रह जाता है ।

चूंकि इन दिनों राजकीय देयों की वसूली बहुत तेज गति से हो रही है, मुकदमों का निस्तारण भी तेज गति से हो रहा है जिसके कारण कुछ व्यक्ति विशेष श्री भारतीय से खिन्न रहते हैं अन्यथा परगनाधिकारी अमेठी के विरुद्ध दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार, अनैतिक कार्य करने तथा वर्ग संघर्ष पैदा करने वाली कोई बात जिलाधिकारी सुल्तानपुर के संज्ञान में नहीं आई है और न ही इसका कोई ठोस आधार जिलाधिकारी के समक्ष उपलब्ध हुआ है । जिलाधिकारी के मतानुसार श्री भारतीय के विरुद्ध अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।]

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जैसा कि उन्होंने वक्तव्य में कहा है कि श्री रामदुलार भारतीय, परगनाधिकारी, अमेठी के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् बहुत से ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं, जिसमें भूमि आवंटन में गम्भीर अनियमितताएं की गई हैं जैसे तहसील अमेठी के ग्राम गुंगवाड़ में लगभग 250 बीघा भूमि कुछ ऐसे व्यक्तियों को दी गई थी, जो किसी भी दशा में इसके पात्र नहीं थे, यह मामले श्री भारतीय द्वारा पकड़े गए थे । क्या ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही की जा रही है या नहीं ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसमें जो मामले प्रकाश में आये हैं, उनकी जांच कराई जा रही है और उनका परीक्षण कराया जा रहा है । जब परीक्षण समाप्त हो जायगा, निश्चित रूप से उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी यदि उनका दोष सिद्ध हुआ ।

हापुड़ में व्यापारियों पर पुलिस द्वारा निर्मम लाठी चार्ज तथा कई व्यक्तियों के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 10-3-89 को करीब 20.05 बजे हापुड़ (गाजियाबाद) थाना में श्री पदम चन्द जैन पुत्र स्वर्गीय कान्ती प्रसाद जैन निवासी चण्डी रोड, हापुड़, गाजियाबाद ने लिखित तहरीर दी कि....

एक सदस्य–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री अम्मार रिजवी–

[दिनांक 9-3-89 को सायंकाल 5 बजे उनका भाई प्रमोद कुमार जैन घर से रुपये लेकर दिल्ली गया था और वापस नहीं आया । इस पर रपट सं0–55 दिनांक 10-3-89 रोजनामचा आम पर चढ़ाई गयी और विवेचना प्रारम्भ की गयी। श्री प्रमोद कुमार जैन की तलाश हेतु जनपद के समस्त थाना जात व सरहदी जनपदों को वायरलेस द्वारा सूचना दी गई । इसके अतिरिक्त क्षेत्राधिकारी हापुड़ ने भी मुरादनगर, मोदीनगर आदि स्थानों पर श्री प्रमोद कुमार जैन की तलाश के प्रयास किये गये। दिनांक 11-3-89 को 10.20 बजे दिन यातायात उपनिरीक्षक श्री मित्रदेव शर्मा ने थाने पर सूचना दी कि 300-400 व्यक्ति रिक्शा पर लाउडस्पीकर लगाकर नारेबाजी करते हुए सड़क जाम किये हैं। प्रदर्शनकारी जनसमूह के साथ गाली-गलौज कर रहे हैं और वाहनों पर ईंट पत्थर मार रहे हैं । श्री आर0 के0 सिंह प्रभारी निरीक्षक, हापुड़ जो वहां फोर्स के साथ पहुंचे थे, ने प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने का बहुत प्रयास किया। उन्हें धारा 144 द0प्र0स0 लागू होने के सम्बन्ध में भी बताया गया। इसी बीच भीड़ ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर लाठी, डन्डों एवं ईंट-पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। फलस्वरूप आठ पुलिस कर्मियों को चोटें आयीं। घटना से सम्बन्धित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सम्बन्ध में निरीक्षक हापुड़ द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–125/89 धारा 147/148/149/307/332/323/335/341/427/504/353/188 भा0 दं0 वि0 का अभियोग नरेश कुमार अग्रवाल आदि 15 नफर अभियुक्त नामजद व 300-400 अभियुक्त अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया । पुलिस पार्टी द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज नहीं किया गया ।

दिनांक 12-3-89 को 12 बजे दिन में श्री प्रमोद कुमार जैन के साले श्री डी0 के जैन ने कुछ नागरिकों के साथ आकर क्षेत्राधिकारी हापुड़ को सूचना दी कि प्रमोद कुमार पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन थाना जी0आर0 पी0 पुलिस की हिरासत में हैं। श्री प्रमोद कुमार जैन के बयान के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या-129 धारा 379/328 भा0 दं0 वि0 दिनांक 13-3-89 को थाना हापुड़ पर बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। श्री प्रमोद कुमार जैन का पता चल गया है। वर्तमान में स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है।]

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व श्री सूर्य प्रताप शाही के उपस्थित न रहने पर अनुपूरक प्रश्न पूछे नहीं गये।)

मद संख्या 17 से सम्बन्धित प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उ0प्र0 कार्यालय के कनिष्ठ लिपिक/टंककों की नियुक्तियों में अनियमितता पर लगे वक्तव्य का स्थगन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि तिवारी जी कृपा पूर्वक इसे आज के बजाय 4 तारीख को रख लें।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है स्थगित हुआ, 4 तारीख के लिये।

कृषि विभाग के अनुदानों की मांगों पर चर्चा के मध्य राज्यपाल दीर्घा से सदन में पर्चा फेंके जाने वाले व्यक्तियों को दण्डित किये जाने का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

एक सूचना है। आज दिनांक 31 मार्च, 1989 को लगभग 11.55 बजे, माननीय सदस्य श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा कृषि विभाग से सम्बन्धित अनुदान मांगों से संबंधित कटौती के प्रस्ताव पर अभिभाषण के दौरान, श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य विधान सभा जब व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये खड़े हुये, उसी समय राज्यपाल दीर्घा के उत्तरी कोने से 2 व्यक्तियों ने "डी0एम0, एस0पी0 हटाओ", (फतेहपुर बचाओ) "फतेहपुर के वकील आमरण अनशन पर तथा फतेहपुर के वकीलों की शासन से गुहार" के नारे जोर-जोर से लगाये तथा कुछ टाइप किये हुये पर्चे जिन्हें मोड़कर एक छोटे आकार में कर लिया गया था, सदन में फेंके। सभा मण्डप के प्रवेश द्वार तथा राज्यपाल दीर्घा पर तैनात रक्षकों द्वारा उक्त दोनों व्यक्तियों को तत्काल नियंत्रित कर मार्शल के आदेशानुसार हिरासत में लेकर राज्यपाल दीर्घा से बाहर से ले आया गया। पूंछतांछ पर उक्त दोनों व्यक्तियों ने अपना नाम श्री रंजीत सिंह, एडवोकेट पुत्र श्री छेदू राम सिंह निवासी ग्राम–कोराई, थाना मलवां, जिला फतेहपुर तथा श्री राम किशोर यादव, एडवोकेट पुत्र श्री जागेश्वर प्रसाद, निवासी ग्राम-उमर गहना, थाना-मलवां, जनपद-फतेहपुर बताया। उनमें से एक श्री राम किशोर यादव ने अपने को ग्राम उमर गहना का ग्राम प्रधान होना बताया है। उक्त दोनों व्यक्तियों के पास से सचिवालय द्वारा जारी राज्यपाल दीर्घा का प्रवेश-पत्र संख्या-1644 तथा 1645 प्राप्त हुआ जो श्री अर्जुन सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा जौनपुर के द्वारा अनुरोध पर जारी किया गया है। श्री अर्जुन सिंह यादव ने उक्त व्यक्तियों के प्रवेश पत्र जारी किये जाने हेतु अपने अनुरोध पत्र में केवल उनके नाम ही अंकित किये हैं। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा नारे लगाने, पर्चे फेंकने के इस आचरण से विधान सभा की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हुआ। दोनों व्यक्ति उसी समय से मार्शल की अभिरक्षा में है। उक्त श्री रंजीत सिंह तथा राम किशोर यादव के पास से प्राप्त राज्यपाल दीर्घा के प्रवेश पत्र संख्या-1644 तथा 1645 एवं उनके द्वारा सदन में फेंके गये पर्चे (जिनकी कुल संख्या–9 हैं) तथा श्री अर्जुन सिंह यादव का संस्तुति पत्र मूलरूप में इस टिप्पणी के साथ संलग्न है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि श्री रंजीत सिंह, निवासी ग्राम-कोराई, थाना मलवां, जिला-फतेहपुर तथा श्री राम किशोर यादव, निवासी ग्राम उमर गहना थाना-मलवां, जनपद फतेहपुर ने आज शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च, 1989 को लगभग 11.55 बजे पूर्वाह्न राज्यपाल दीर्घा से सभा मण्डप में पर्चे फेंक कर तथा नारे लगाकर सदन की कार्यवाही में बाधा डाली और इस प्रकार सदन का अवमान किया। अब सदन यह आदेश देता है कि इस अवमान

के लिए उक्त श्री रंजीत सिंह तथा श्री राम किशोर यादव को शनिवार, दिनांक 1, अप्रैल, 1989 को अपराह्न 4 बजे तक के साधारण कारावास का दण्ड दिया जाय और कारावास की अवधि में उन्हें जिला कारागार, लखनऊ में कारावासित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

पहले उनसे पूछ लिया जाय। मार्शल उन दोनों व्यक्तियों को लेकर सदन में आये।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा। अगर सदन के अन्दर कोई चीज फेंकी जाती है तो उसके ऊपर सदन का अधिकार हो जाता है, इसलिए उन व्यक्तियों ने जो पर्चे फेंके हैं, उनके कन्टेन्ट्स क्या हैं, वह सदन को जानकारी में आना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

आप बहुत ही सीनियर माननीय सदस्य हैं। मार्शल की जब रिपोर्ट आ जाती है तो उनको बुलाकर पूछा जाता है। सदन के अवमान का सवाल पैदा होता है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सदन का अवमान हुआ है, इससे मैं इन्कार नहीं करता हूं। बहुत बड़े दुस्साहस का कार्य किया गया है, जिससे सदन की अवमानना हुई है और कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। किन परिस्थितियों में यह दुस्साहस का कार्य किया गया है, वह तो मान्यवर, सदन को मालूम होना चाहिए?

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री राम आसरे वर्मा–

यह सदन की जानकारी में आ जाना चाहिए।

श्री मैनेजर सिंह–

इस मामले पर सदन को गम्भीर रूख लेना चाहिए। चाहे जो कोई भी हो यदि सदन के कार्य में व्यवधान डालता है, मर्यादा के खिलाफ आचरण करता है, तो उसे दण्ड मिलना चाहिए।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मैं श्री मैनेजर सिंह जी के विचारों से सहमत हूं। इस तरह की कार्यवाही सदन में बढ़ती जा रही है। यह अलग बात है कि साल में एक-आध घटना हो जाय लेकिन दिन प्रति दिन ऐसी कार्यवाही बढ़ती जा रही है। इसके प्रति कड़ा रूख अपनाना ही होगा।

(दोनों अभियुक्तों को कटघरे में खड़ा किया गया।)

श्री अधिष्ठाता–

आपका क्या नाम है?

प्रथम दोषारोपित व्यक्ति–

रंजीत सिंह।

द्वितीय दोषारोपित व्यक्ति–

राम किशोर यादव ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कहां के रहने वाले हैं ?

प्रथम दोषारोपित व्यक्ति (रंजीत सिंह)–

जी, ग्राम कोराई थाना मलवां, जिला-फतेहपुर का रहने वाला हूं।

द्वितीय दोषारोपित व्यक्ति (राम किशोर यादव)–

ग्राम उमरगहना, थाना-मलवां, जनपद-फतेहपुर का रहने वाला हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आपके पिता का क्या नाम है ?

प्रथम दोषारोपित व्यक्ति (रंजीत सिंह)–

श्री छेदू राम सिंह ।

द्वितीय दोषारोपित व्यक्ति (राम किशोर यादव)–

श्री जागेश्वर प्रसाद ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने आज विधान सभा की राज्यपाल दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र किसके माध्यम से जारी कराया था ?

(दोनों दोषारोपित व्यक्तियों द्वारा एक साथ उत्तर दिया गया ।)

दोनों दोषारोपित व्यक्ति–

नेता, विरोधी दल के कार्यालय से ।

(शेम, शेम की आवाजें)

श्री अधिष्ठात।–

आप लोग शान्त रहें ।

क्या आपने आज लगभग 11.55 बजे पूर्वाह्न राज्यपाल दीर्घा से पर्चे फेंके और नारे लगाये थे ?

प्रथम दोषारोपित व्यक्ति (रंजीत सिंह)–

जी हां ।

द्वितीय दोषारोपित व्यक्ति (राम किशोर यादव)–

जी हां ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप जानते हैं कि आपके इस कार्य से सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी और सदन का अवमान हुआ ?

प्रथम दोषारोपित व्यक्ति (रंजीत सिंह)–

जी हां ।

द्वितीय दोषारोपित व्यक्ति (राम किशोर यादव)–

जी हां ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप अपने आज के इस कृत्य के लिए क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं ?

प्रथम दोषारोपित व्यक्ति (रंजीत सिंह)–

क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं अगर एक मिनट हमारी बात सुन ली जाय ।

(द्वितीय दोषारोपित व्यक्ति श्री राम किशोर यादव द्वारा उक्त उत्तर से सहमति व्यक्त की गयी)

श्री अधिष्ठाता–

हां या नहीं में जवाब दें ।

प्रथम दोषारोपित व्यक्ति (रंजीत सिंह)–

जी हां, तैयार हैं ।

(द्वितीय दोषारोपित व्यक्ति श्री राम किशोर यादव द्वारा सहमति व्यक्त की गयी)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मार्शल दोनों व्यक्तियों को सदन से बाहर ले जायं और सदन का निर्णय होने तक अपनी अभिरक्षा में रखें ।

(मार्शल द्वारा दोनों व्यक्तियों को सदन के बाहर ले जाया गया)

(कई सदस्यों के खड़े होने से घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठिये, नेता, विरोधी दल बैठे हैं, यदि कोई बात है तो वह स्वयं बात कर लेंगे ।

श्री सत्यपाल सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, अभी जिन दो नौजवानों को यहां सदन में बुलाया गया था और जिन्होंने कहा कि नेता, विरोधी दल के यहां से प्रवेश-पत्र जारी हुआ और हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने बड़े जोर से मेजें थपथपाईं, जैसे बहुत बड़ा जुर्म कर दिया . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने उनको रोक दिया था ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मुझे साफ तौर से कहना है कि मेरे यहां से मेरी कलम से कोई भी प्रवेश-पत्र जारी नहीं हुआ । दो नौजवान पकड़कर आये । कल अगर कोई कांग्रेसी डकैती डाल दे और कहे कि नेता, विरोधी दल के यहां से भेजा गया हूं, तो क्या मान लिया जायगा ? इस सदन की गरिमा बढ़ायी जानी चाहिए । मैं इससे सहमत हूं । संसदीय कार्य मंत्री की बात से सहमत हूं कि अगर राज्यपाल गैलरी से पर्चे फेंके जायेंगे तो सदन की कोई गरिमा रह नहीं जाती है । मैं पूर्णतया सहमत हूं कि इन लोगों के लिए जो आपके विवेक से आपके दिमाग में उचित हो, वही दण्ड मिलना चाहिए । केवल एक बात कहना चाहता हूं, मान्यवर, जब एक सरकारी अधिकारी ने विधान सभा के सदस्य के साथ

दुर्व्यवहार किया था, उस समय माननीय तिवारी जी, मुख्य मंत्री यहां बैठे हुए थे, उस अधिकारी ने क्षमायाचना मांगी तो उन्होंने कहा था कि इसने क्षमा याचना कर ली है, अब इसे क्षमा कर देना चाहिए । आज हम उसके क्षमा मांगने के बाद भी नहीं कहते हैं कि उनको क्षमा कर दिया जाय, बल्कि मेरा कहना है कि उन्हें दण्डित किया जाय । दोनों नौजवानों को दण्ड दिया जाना चाहिए । मेरा सुझाव है संसदीय कार्य मंत्री जी उन दोनों को आज सदन के उठने तक, उनको सजा दी जानी चाहिए ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अभी माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं समझता हूं कि इसको बहुत गम्भीरता न दी जाय नहीं तो इससे प्रोत्साहन मिलेगा । माननीय नेता विरोधी दल का प्रस्ताव मान लिया जाय और सदन के उठने तक उनको सजा दी जाय ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्ति बनायें, यह गम्भीर मामला है । शान्त रहें ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने अभी अभियुक्तों से बयान लिया, जो उन्होंने क्षमा याचना कर ली तो उनको दण्ड देने का कोई औचित्य नहीं है, वैसे आप उन्हें दण्ड दे सकते हैं । माननीय नेता सदन ने कहा था क्षमा मांगना बहुत बड़ी बात है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इनकी क्षमा याचना पर विचार किया जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्ति बनायें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय अधिष्ठाता जी, जो आज घटना घटी है, मैं समझता हूं कि राज्यपाल दीर्घा में इससे पहले कभी वहां से पर्चा नहीं फेंका गया, यह पहली बार राज्यपाल दीर्घा से पर्चा फेंका गया जो कि अत्यन्त अशोभनीय है, जो कि नहीं होना चाहिए । मैंने आपके सामने एक प्रस्ताव पेश किया था कि जो लोग राज्यपाल दीर्घा को इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको इस पर रोक लगानी चाहिए, मेरे जो सेन्टीमेन्टस थे उससे माननीय नेता विरोधी दल ने और अन्य माननीय सदस्यों ने उससे अपने को सम्बद्ध किया है । अभी चन्द दिनों पहले क्षमा के बारे में माननीय नेता सदन जो कहा था, मैं समझता हूं कि यह संसदीय प्रणाली है कि जो सदन के अंदर आ कर कोई व्यक्ति अपने को समर्पित कर देता है और क्षमा याचना मांग लेता है तो सदन का दायित्व हो जाता है, एक बड़प्पन होता है, यह सारे प्रदेश को रिप्रेजेन्ट करता है, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि सजा मिलनी चाहिए और सजा का क्वान्टम उन्होंने कहा कि आज सूर्यास्त होने तक उनको सजा में रखना चाहिए । सबकी राय थी कि उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यह परम्परा रही है कि जब किसी ने अपने को सदन के सामने समर्पित कर दिया है, क्षमा मांग ली है तो जो मैंने प्रस्ताव किया था उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया जाय कि आज सदन के उठने तक उन्हें यहां रखा जाय और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो अपने पूर्व प्रस्ताव में बात रखी थी, क्या सदन सहमत है कि उसमें संशोधन कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, सदन उठने के उपरांत उन दोनों को छोड़ दिया जाय ।

जनपद बुलन्दशहर की अनूप शहर तहसील में नरौरा के निकट उजाड़े गये गांवों को पुनः न बसाये जाने विषयक सूचना के सम्बन्ध में वक्तव्य 1

राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)–

नरौरा परमाणु, विद्युत परियोजना....

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इसका पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)–

[बुलन्दशहर के लिए एक्सक्लूजन जोन हेतु 1063 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है । इस अधिग्रहण से 5 गांव पूर्ण रूप से विस्थापित हुए हैं । इसके अतिरिक्त 8 ग्रामों की आंशिक भूमि का अधिग्रहण भी किया गया है । जो ग्राम पूर्ण रूप से विस्थापित हुए हैं, उनके नाम एवं प्रभावित परिवारों की संख्या निम्नवत् है–

ग्राम का नाम	विस्थापित परिवार	हटाये गये विस्थापित परिवारों की संख्या
1	2 3	4
1–वादीपुर	310 परिवार	–
ग्राम–बिजऊ	358 परिवार	–
3–ग्राम–हकीमपुर बांगर	41 परिवार	–
4–ग्राम-हकीमपुर खादर	21 परिवार	21 परिवार
5–ग्राम-गंगावास खादर	110 परिवार	110 परिवार
कुल योग..840 परिवार		

8 ग्राम जिनकी आंशिक भूमि अधिग्रहीत की गई है, उनकी सूची निम्न प्रकार है–

(1) ग्राम–राम घाट खादर 5 परिवारों की आंशिक भूमि ली गई है ।
(2) ग्राम–राम घाट बांगर 3 परिवारों की आंशिक भूमि ली गई है ।

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(3) ग्राम–नित्यानन्द पुर 23 परिवारों की आंशिक भूमि ली गई है।
(4) ग्राम–महराजपुर 4 परिवारों की आंशिक भूमि ली गई है।
(5) ग्राम–गंगागढ़ 1 परिवार की आंशिक भूमि ली गई है ।
(6) ग्राम–जरगवां 2 परिवारों की आंशिक भूमि ली गई है ।
(7) ग्राम–नरौरा टाउनशिप 2 परिवारों की आंशिक भूमि ली गई है ।
(8) ग्राम–रामपुर 1 व्यक्ति की आंशिक भूमि ली गई है ।

2–प्रस्तर–1 में इंगित ग्राम- हकीमपुर खादर के 21 परिवार ग्राम-निवाड़ी खादर की आबादी के मजरे एक मील की मड़ैया तथा डेढ़ मील की मड़ैया में आकर स्वेच्छा से बस गये हैं ।

3–ग्राम-गंगावास खादर के 110 परिवारों की स्थिति इस प्रकार है:–

1 ढाई मील की मड़ैया के 68 परिवार ग्राम-निवाड़ी खादर में कैनाल विभाग की भूमि संख्या–8, 12, 13, 15, 33 व 34 में अपनी स्वेच्छा से आकर बस गये हैं ।

2 परिवार ग्राम-उदयगढ़ी बांगर में ग्राम समाज की भूमि में बस गये हैं।

3 मील की मड़ैया के 40 परिवारों में से 9 पारवार ग्राम-रामपुर की ग्राम समाज की भूमि पर तथा शेष 31 परिवार ग्राम-राम घाट बांगर में ग्राम समाज की भूमि पर स्वेच्छा से आकर बस गये हैं ।

4 प्रस्तर-2 एवं 3 के अनुसार 2 ग्रामों के विस्थापित अपनी इच्छा से बस चुके हैं। अन्य तीन ग्रामों की स्थिति निम्न प्रकार है:–

ग्राम–हकीमपुर बांगर

कुल 41 परिवारों में से 39 परिवारों को 100-100 वर्ग मीटर के 73 प्लाट नरौरा बांगर में गाटा संख्या–339, 350 में आवंटित किये गये हैं । दो परिवार अन्यत्र स्वेच्छा से बस गये हैं ।

ग्राम–धिजाऊ

कुल 358 परिवारों में से 244 परिवारों को वैकल्पिक जगह दी गयी है। शेष परिवारों को वैकल्पिक जगह की व्यवस्था की जा रही है ।

ग्राम–बादीपुर

कुल 310 परिवारों में से 39 परिवारों को 100-100 वर्ग मीटर के 39 प्लाट नरौरा बांगर में, गाटा संख्या–411 में दिये गये हैं । 157 परिवारों में 100-100 वर्ग मीटर के 187 प्लाट नरौरा बांगर के गाटा संख्या–345 व 150 में आवंटित किये गये हैं । शेष 114 परिवारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ।

5–उपरोक्त सभी आवासीय प्लाटों का आवंटन सिंचाई विभाग से क्रय की गयी भूमि पर किया गया है । विस्थापित परिवार अपनी सुविधानुसार आवंटित स्थल पर बसने के लिए जा रहे हैं । कुछ परिवारों को प्लाटों का आवंटन अभी किया जा रहा है । प्रत्येक परिवार में वयस्क सदस्य जिनका कि, पृथक परिवार है, उन्हें अलग-अलग प्लाट आवंटित किये गये हैं ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

6–अर्जित भूमि के आस-पास की ग्राम समाज की कृषि भूमि को विस्थापितों को आवंटित किये जाने के संबंध में जिला प्रशासन यथा-नियम व यथा सम्भावना कार्यवाही करेगा ।

7–नरौरा प्रोजेक्ट के एक्सक्लूजन जोन के अन्तर्गत आने वाली 1063 एकड़ भूमि वर्जित क्षेत्र है । परियोजना के निदेशक ने सूचित किया है कि इस भूमि पर दो वर्ष तक कृषि करने के लिए अनुमति देना सम्भव नहीं है ।

8–प्रतिकर व उसके वितरण के आंकड़े–

प्रश्नगत भू-अर्जन से 418 खातेदार प्रभावित हैं, जिन्हें रुपया-5,24,55,774.96 पैसा प्रतिकर देय था । अब तक रु0–5,00,75,092.85 पैसा का भुगतान किया जा चुका है । जो प्रतिकर अब भुगतान हेतु शेष है, उसकी धनराशि रुपया–23,80,682.11 पैसा है । इस धनराशि का भुगतान विवादग्रस्त स्थिति होने के कारण नहीं हुआ है। पांच गांवों के 840 परिवारों की आबादी का क्षेत्रफल 1,10,151 वर्गमीटर भूमि का अधिग्रहण हुआ है, जिसका प्रतिकर रुपया–86,83,210.23 पैसा तथा भवनों का प्रतिकर रु0–1,82,01,262.00 पैसा अर्थात् कुल प्रतिकर रुपया–2,68,84,472.23 पैसा देय था, जिसमें से केवल 12,10,849.52 पैसा 24 परिवारों का भुगतान करना शेष है, जो विवादग्रस्त होने के कारण अभी नहीं किया जा सका है।

9–जिला प्रशासन द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार ग्राम-बादीपुर में रुपया–28,196.11 पैसा, ग्राम-हकीमपुर बांगर में, 2,816.40 पैसा, ग्राम-हकीमपुर खादर में 1,783.01 पैसा, ग्राम-गंगावास बांगर में रुपया–460.25 पैसा, ग्राम गंगावास खादर में रुपया-5,212.20 एवं बिजऊ में, रुपया-1,19,078.23 पैसा अर्थात् कुल 1,57,546.20 रुपया भू-राजस्व आदि बकायों की वसूली अवशेष है, जिसे माफ किये जाने का प्रस्ताव जिला प्रशासन द्वारा जब शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तो शासन स्तर में इस दिशा में यथा-नियम निर्णय लिया जायेगा।

10–शासन के स्थायी आदेश है कि अर्जित भूमि से विस्थापित परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यतानुसार भूमि पर स्थापित होने वाली परियोजना में नौकरी अवश्य दी जाय । इस प्रकरण में शासन इस व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देश दे चुका है और उसका अनुश्रवण कर रहा है । यहां यह उल्लेख है कि बबराला खाद फैक्ट्री जनपद-बुलन्दशहर में नहीं है; अपितु बदायूं जनपद में है । जिलाधिकारी, बुलन्दशहर ने जिलाधिकारी बदायूं को नरौरा परियोजना से विस्थापित परिवारों के सदस्यों को बबराला खाद फैक्ट्री में नौकरी दिये जाने का आग्रह किया है ।]

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि श्री किरनपाल सिंह जी उपस्थित नहीं है इसलिये स्पष्टीकरण का प्रश्न नहीं उठता ।

अब मैं अगली मद ले रहा हूं ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में शीतगृह मालिकों द्वारा आलू उत्पादकों को सड़े हुए आलू का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 19, माननीय गोपीनाथ वर्मा . . .

श्री गोपीनाथ वर्मा–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में इस समय किसानों की हालत बदतर हो गई है क्योंकि प्रदेश के किसानों के आलू के भण्डारण की सबसे कठिन समस्या आज उत्पन्न हो गई है। किसानों का आलू सड़कों पर और ट्रकों पर पड़ा हुआ है। उनके ठीक तरीके से, समुचित तरीके से यहां पर व्यवस्था नहीं है। पूरे प्रदेश में शीतगृह मालिकों द्वारा मनमाने तरीके से एडवान्स पैसा लेकर किसानों का शोषण किया जा रहा है। इन मिल मालिकों द्वारा प्रति क्विंटल 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक एडवान्स लिया जा रहा है और किसान से इस हिसाब से प्रति बोरी एडवान्स ले रहे हैं लेकिन उनका आलू लेने के लिये कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। इस प्रकार सारे कोल्ड स्टोरेज पर अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है, मारपीट हो रही है। किसानों का आलू सड़ रहा है। उनका कोई पुर्सा हाल नहीं है। विगत वर्षों में कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने शासन द्वारा निर्धारित किराया जो 23 रुपया प्रति क्विंटल था उसके अतिरिक्त 3 रुपया प्रति क्विंटल और लिया और इस प्रकार 26 रुपया प्रति क्विंटल ले लिया। इस संबंध में कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने इलाहाबाद और लखनऊ उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश ले लिया और यह कहा कि हम 26 रुपया प्रति क्विंटल वसूल करेंगे। सरकार ने उच्चतम न्यायालय में जाकर शीतगृह मालिकों द्वारा जो 26 रुपया प्रति क्विंटल वसूल किया था उसका स्थगन आदेश रद्द करा दिया। सरकार ने एक आदेश जारी किया कि जिन किसानों से 3 रुपया प्रति क्विंटल जो ज्यादा वसूल किया था उसको वापस कर दिया जाय।

सरकार ने इस संबंध में कई आदेश जारी किये लेकिन कोल्ड स्टोरेज मालिक इसको मानने के लिये तैयार नहीं है। वे कहते हैं कि हमसे लेना देना नहीं है। हम 23 रुपया लेने के लिये तैयार नहीं हैं। इस विषय पर आज पूरे प्रदेश में किसान आन्दोलित हैं, जगह-जगह आन्दोलन हो रहा है। मारपीट हो रही है और इस प्रकार पूरे प्रदेश में आन्दोलन शुरू हो गया है। सरकार कोई ठोस कदम उठाने के लिये तैयार नहीं है। मैं मान्यवर एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जनपद फैजाबाद की टांडा तहसील में एक साकेत कोल्ड स्टोरेज है, इसके मालिक श्री वी0सी0 पुरी हैं, इन्होंने मान्यवर किसानों से विगत वर्षों में किराया कुछ अतिरिक्त ले लिया था निर्धारित दर से, जब इसकी वापिस के लिए किसान गये तो उन्होंने देने से इन्कार किया कि नहीं देंगे। इस पर मान्यवर किसान बहुत ही रुष्ट हुए और स्थिति यहां तक पहुंच गयी कि दसियों हजार किसानों की एक भीड़ उनके मुख्य गेट पर खड़ी हो गयी और वह किसान मान्यवर आज भी उनके घर पर धरना दिए हुए हैं... ... "व्यवधान" स्थिति मान्यवर वहां की बहुत ही गम्भीर बनी हुई है और यही नहीं पिछले साल भी इसी कोल्ड स्टोरेज में किसानों का 35 सौ बोरे आलू सड़ गया और जब इस सड़े हुए आलू का मुआवजा किसानों ने मांगा तो उसके मालिक ने बजाए उस मुआवजा देने के कुछ गुण्डे बुला लिए

और गुण्डों के आधार पर इस मामले को दबाना चाहा। जब मान्यवर, यह स्थिति उत्पन्न हुयी तो परगनाधिकारी को माध्यम बनाकर दोनों में एक समझौता हुआ और इस समझौते में यह तय हुआ कि 65 रुपया बोरी के हिसाब से मुआवजा कोल्ड स्टोरेज मालिक देंगे, लेकिन मान्यवर इस समझौते के बावजूद उन्होंने इसको नहीं माना और इस समझौते के विरुद्ध उच्च न्यायालय में मुकदमा कायम कर दिया और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए । इसकी जानकारी मान्यवर मैंने मा0 मंत्री जी को दी और अनुरोध किया कि किसान का जो आलू सड़ा है, इसका मुआवजा दिलाने की कृपा करें . . . "व्यवधान" करीब 12 सौ किसानों का 15-20 लाख रुपया मुआवजा होता है । इस पर मान्यवर जिलाधिकारी द्वारा फिर आदेश हुए कि यह सारा का सारा पैसा किसानों का भुगतान कर दिया जाए एक माह के अन्दर अन्दर और यदि एक माह के अन्दर नहीं दिया गया तो पूरा पैसा मय ब्याज के वसूल किया जायेगा, मान्यवर इस आदेश का भी पालन उस कोल्ड-स्टोरेज मालिक ने नहीं किया तो फिर जिलाधिकारी ने आदेश जारी किये कि समय रहते सारा पैसा किसानों का भुगतान कर दें, इस पर भी जब उन्होंने मनमानी की तो फिर उन पर आर0 सी0 जारी हुयी, नीलामी का नोटिस दिया गया और जब भी वह नहीं समझे तो कोल्ड स्टोरेज के नीलामी की कार्यवाही की गयी । इस पर मान्यवर सरकार के रवैये को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सरकार की यही मंशा है कि वह कोल्ड स्टोरेज उसी तरह से चलता रहे और किसानों का पैसा उन्हें न मिले और इनका शोषण इसी प्रकार से होता रहे . . (कुछ देर तक सदन से बिजली चले जाने के कारण व्यवधान)

इसलिए मान्यवर मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि टांडा तहसील के साकेत कोल्ड स्टोरेज के मालिक द्वारा जब तक किसानों के सड़े आलू का मुआवजा जो करीब 20 लाख रुपयों का होता है और जो अतिरिक्त किराया 3 रुपया प्रति कुन्तल मालिकों द्वारा लिया गया है, उसकी वापसी न कर दी जाय तब तक यह कोल्ड स्टोरेज चालू न किए जाए । लेकिन मान्यवर, मुझे ताजी जानकारी मिली है कि कुछ असामाजिक तत्वों के जोर पर उस कोल्ड स्टोरेज को खुलवाने और उसमें आलू भरवाने की प्रक्रिया चालू की जा रही है जबकि इस कोल्ड स्टोरेज के लाइसेन्स का रिनीवल भी इस वर्ष का नहीं हुआ है इसलिए आपसे निवेदन है कि आपके स्तर से ऐसे आदेश निर्गत किए जाए कि जब तक इन किसानों का मुआवजा व अतिरिक्त किराया जो लिया गया है, उसे वापिस न करें तब तक इस कोल्ड स्टोरेज में आलू के भण्डारण का काम न कराया जाए और न ही उनका रिनीवल किया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं मा0 मंत्री जी यह कहना चाहता था कि बजट के इनीशिएट होने के बाद माननीय मंत्री जी कुछ 2-4 बातें अगर कह देतें तो आगे की चर्चा चले ।

कृषि मंत्री (डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौंशल)–

मान्यवर मैं तैयार हूं लेकिन सिर्फ इस टांडा के बारे में या पूरे प्रदेश के बारे में?

. . .

(शोर)

एक सदस्य–

नहीं पूरे प्रदेश के बारे में . . . "व्यवधान"

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, प्राप्त सूचना जो हमारे पास उपलब्ध हैं, उसके अनुसार प्रदेश के 45 शीतगृहों में लगभग 2,18,456 कुन्तल आलू, लगभग रु0 1,56,53,824.00 मूल्य का क्षतिग्रस्त हुआ जिसका लगभग 1,30,53,446.00 का प्रतिकर निर्धारित किया गया जिसमें से लगभग रु0 6,70,445.00 का भुगतान भण्डारणकर्ताओं को हो चुका हैं । लगभग 1,28,70,818.00 रुपये के मामले न्यायालय में लम्बित हैं । अब मान्यवर, टांडा पर आता हूं । उसके सम्बन्ध में स्थिति यह हैं कि साकेत कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री में वर्ष 1988 में नव निर्मित चैम्बर नं0 2 में भण्डारित 28,792 बोरों में 26.244.58 कुन्तल आलू क्षति ग्रस्त हो गया था । इस क्षतिग्रस्त आलू के प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में 20-10-1988 को नहीं बल्कि 21-9-88 को कोल्ड स्टोरेज के डाइरेक्टर ने परगनाधिकारी टांडा, क्षेत्रीय विधायक श्री गोपी नाथ वर्मा तथा श्री लाल जी वर्मा सदस्य विधान परिषद् के समक्ष एक समझौता किया था, किन्तु उक्त समझौते के विरुद्ध डाइरेक्टर उच्च न्यायालय में चले गये, नोटिस सं0 7403/88 दायर कर दी ।

श्री लक्ष्मी नारायण–

माननीय मंत्री जी पहले फाइल पढ़ लें, फिर उत्तर दें ।

(व्यवधान)

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मैं फाइल से ही बता रहा हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

ऐसा लगता हैं कि उस पर लाल रिबन चढ़ा हुआ हैं ।

(व्यवधान)

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

अगर फाइल के बिना बोलूंगा तो कहेंगे कि अन्दाज से बोल रहे हैं। तो मान्यवर मैं बता रहा था मान्यवर, उक्त शीतगृह आलू का प्रतिकर 15,33,247.54 जिलाधिकारी ने निर्धारित किया हैं । मान्यवर, इस आदेश के विरुद्ध भी वह कोल्ड स्टोरेज अधिकरण में चले गये हैं । जिसकी एडमिशन हेतु सुनवाई 18 फरवरी, 4 मार्च, 14 मार्च और 20 मार्च को हुई और अगली तिथि 7 अप्रैल को निर्धारित हैं। अधिकरण ने 20 मार्च, 1989 को यह आदेश दिये हैं कि 7 अप्रैल तक शीतगृह स्वामी की न तो कुर्की की जाये और न उन्हें गिरफ्तार किया जाये। . . . (व्यवधान) मैं अधिकरण की बात कर रहा हूं। और यह बचन बद्धता ले ली जाय कि वह कोल्ड स्टोरेज सहित अपनी परिसंपत्ति, संपत्ति बैंक बैलेंस का निस्तारण न करे (व्यवधान) वह बीमारी अभी तक फैल रही हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

तब भी इलाज आपके ही पास हैं ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

सुन लीजिये जो कानूनी व्यवस्था हैं वह मैंने बताई (व्यवधान) अगर वर्मा जी जब मैं कृषि का बजट प्रस्तुत कर रहा था उस समय रहे होते तो मैंने बताया था 91 लाख

प्रतिकर का इक्सट्रा चार्ज किया है उसके अगेन्स्ट 66 लाख रुपया जमा करवा लिया है और 18 लाख बंटवा दिया है और जो बचा है उसके लिए कार्यवाही कर रहे हैं। मैं वर्मा जी को निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो ज्यादा पैसा लिया है या जो सड़ गया है और अदालत में मामला गया है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं केवल पैरवी कर सकते हैं और जैसे ही वहां से आदेश हो जायेंगे और जो जिलाधिकारी ने निर्धारित कर रखा है वह दिलवा देंगे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फिरोजाबाद के जैना (जपना) कोल्ड स्टोरेज में पिछले साल बहुत सा आलू सड़ गया, उसका प्रश्न भी किया गया था और शिकायत भी की गयी थी लेकिन आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम उसकी जांच कराकर जो भी काश्तकारों का हर्जाना बनता है वह दिलवा दें।

दूसरी बात यह कि ज्यादातर आलू इसलिये सड़ता है कि शीतगृह के मालिक व्यापारियों का आलू रख लेते हैं और फिर वहां जगह नहीं रहती है। इसलिये हर किसान के पास जो आलू उत्पादक है उसका खाता खसरा खतौनी बना दिया जाय और उसी के अनुसार उसकी कितनी खेती है वह नोट हो जाय और उसी हिसाब से किसानों का क्रम से आलू रखा जाय। व्यापारी का आलू रखने में प्राथमिकता न दें।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

वर्मा जी का सुझाव अच्छा है नोट कर लिया है।

श्री राम आसरे वर्मा–

वर्तमान कोल्ड स्टोरेज शर्तों के अन्दर यह शासन कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। कोल्ड स्टोरेज के मालिक जितनी मनमानी किये हैं और नाजायज तरीके से धन वसूल रहा है उसका कोई हिसाब नहीं 10 रु0 से 15 रु0 प्रति बोरी बिना रसीद दिये हुये ले रहे हैं। अगर माननीय मंत्री जी को विश्वास न हो तो वह हरदोई के किसी भी कोल्ड स्टोरेज को देख लें हर कोल्ड स्टोरेज ने बिना रसीद दिये पैसा लिया है। मल्लावां क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोरेज में पिछले साल 20 हजार बोरी आलू सड़ गया था उससे किसान परेशान है और इस संबंध में प्रदर्शन भी हुए आज तक कुछ नहीं हुआ। उनको कोई प्रतिकर नहीं मिला है। तो क्या उनको आप प्रतिकर दिलवाने में सक्षम होंगे या नहीं?

दूसरी बात यह जो नाजायज वसूली हो रही है इस पर आप अंकुश लगायेंगे या नहीं? तीसरी बात कोल्ड स्टोरेज के मालिक कुछ व्यापारियों से सांठगांठ कर लेते हैं और व्यापारियों के लिये जगह खाली रखते हैं और साधारण किसान दर-दर भागता फिरता है उसका आलू सड़कों के किनारे पड़ा सड़ता है। इसके बारे में भी कोई व्यवस्था करेंगे या नहीं?

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

आज से कुछ दिन पहले इस सदन में यह मामला आ चुका था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय कोल्ड स्टोरेज के मालिक क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके यहां जगह नहीं है, उन्होंने दलालों का जाल बिछा रखा है और किसान का आलू नहीं रख रहे हैं वह क्या करते हैं कि 10, 15 दिन तक किसान सड़कों पर

इधर उधर घूमता रहता है ..तो मिट्टी के भाव उनका आलू खरीद लेते हैं । बाद में पता नहीं फिर कैसे वह लोग रखने का प्रबंध कर लेते हैं ? मान्यवर, वर्तमान में किसान बर्बाद हो रहा है और उसका सारा आलू सड़ रहा है । इसलिये अनुरोध है कि शीतगृहों की चेकिंग की जाये। 5–10 शीतगृहों की चेकिंग की गयी लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिये मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये ।

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर, विगत वर्ष में साकेत कोल्ड स्टोरेज में आलू उत्पादकों से तीन रुपये किराये के अतिरिक्त प्रति क्विंटल लिये गये थे जिसके सम्बन्ध में कोर्ट ने वापस करने के लिए निर्णय दिया था लेकिन वह धन आज तक वापस नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि वह पूरी धनराशि कितनी है और उसका आप भुगतान करने का काम कब से करेंगे? क्या मालिकों ने स्थगनादेश ले लिया है? यदि हां, तो कब तक है? स्थगनादेश यदि नहीं है तो 20 लाख रुपये मुआवजा कब तक भुगतान करा देंगे?

कोल्ड स्टोर मालिक असामाजिक तत्वों को बटोरकर कल या परसों आलू रखना चाहता है जबकि शीतगृह का नवीनीकरण नहीं हुआ है । इसलिये यदि नवीनीकरण नहीं हुआ है तो क्या आप आदेश देंगे कि शीतगृह का नवीनीकरण न किया जाये ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

श्रीमन्, श्री गोपी नाथ वर्मा जी ने जो बहुमूल्य सुझाव दिया उस पर विचार करेंगे?

श्री हरिश्चन्द्र जी ने जो विचार प्रकट किये हैं उनको देखते हुए हमने उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों और हमारे जो जिला उद्यान लाइसेंसिंग अधिकारी हैं उनको निर्देश दिये गये हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज में जाकर फिजिकल वेरीफिकेशन करें कि कितने शीतगृह भर गये हैं और कितने खाली हैं ? यदि खाली हैं तो बाहर बोर्ड रख दें कि इतने खाली और इतने भरे हैं, यह आदेश कर दिये गये हैं ।

श्री गोपी नाथ वर्मा ने जो पूछा है तो मान्यवर, मैं पहले ही विस्तार में बता चुका हूं कि टंडा के निदेशक और श्री वर्मा के बीच में समझौता हो गया है । प्रतिकर निर्धारित किया गया लेकिन मालिक हाईकोर्ट में चले गये हैं, इस प्रकार कार्यवाही चल रही है ।

श्री गोपी नाथ वर्मा–

स्थगनादेश के बारे में बता दें।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, मैंने कह दिया है कि उसके पास स्थगनादेश है । यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो हमारे चैम्बर में आ जायं मैं संतुष्ट कर दूंगा ।

मद संख्या 20

उ0 प्र0 तराई क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधियों को सरकार द्वारा नियंत्रित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

आइटम नं0 20 स्थगित हो गया है ।

अब हम उठते हैं और 3 अप्रैल, 1989 को 11 बजे पूर्वाह्न फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 40 मिनट पर सोमवार, 3 अप्रैल, 1989 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
31 मार्च, 1989

विधान सभा

पी0एस0यू0पी0–एल0 56 विधान सभा (90)–1989–813 ।